एनसीवीईटी परिषद्

की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 31 मई, 2024

समय : 12.30 बजे अपराह्न

स्थान : चौथी मंजिल, कौशल भवन, एनसीवीईटी

फाइल सं: 360004/04/2020/एनसीवीईटी
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् की दिनांक 31 मई, 2024 को आयोजित 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की 11वीं परिषद् बैठक दिनांक 31 मई, 2024 को डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले परिषद् सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** पर है।

प्रारंभ में, अध्यक्ष महोदय ने श्री अभिषेक सिंह, अपर सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का स्वागत किया, जिन्हें दिनांक 17 मई, 2024 के एमएसडीई के आदेश सं. 31/1/2024-ईओ (एसएम.I)-02 के तहत एनसीवीईटी परिषद् के गैर-कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

परिषद् द्वारा बैठक में विचार-विमर्श की गई कार्यसूची मदों और लिए गए निर्णयों को आगे के पैरा में दिया गया है।

कार्यसूची मद 1: एनसीवीईटी परिषद् की दिनांक 21 फरवरी, 2024 को हुई 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

1.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि परिषद् की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त परिचालित कर दिए गए थे और कोई भी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी।

1.2 परिषद् ने दिनांक 21 फरवरी, 2024 को हुई 10वीं एनसीवीईटी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची मद 2: 10वीं परिषद् बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट

2.1 परिषद् के समक्ष, 10वीं एनसीवीईटी परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

2.2 **परिषद् ने की गई कार्रवाई को नोट किया और उसे अनुमोदित किया।** सभी कार्रवाई बिन्दुओं की अनुपालना की स्थिति **अनुबंध-II** पर है।

कार्यसूची मद 3: परिषद् द्वारा पात्र अवार्डिंग निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों की पुष्टि

3.1 परिषद् के समक्ष पात्र अवार्डिंग निकायों (एबी) और मूल्यांकन एजेंसियों (एए) को दिनांक 23 मई, 2024 की स्थिति अनुसार प्रदान की गई मान्यता की स्थिति प्रस्तुत की गई। प्रस्तावों की विस्तृत स्थिति क्रमश: **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** में दी गई है। एबी और एए प्रस्तावों की मान्यता के लिए सार नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	मान्यता प्रक्रिया के चरण	एबी	एए	कुल
1.	आवेदक निकायों से प्राप्त आवेदनों की कुल सं.	183	208	391
2.	आवेदक निकाय द्वारा वापस लिए गए आवेदनों/ प्रस्तावों की सं.	21	51	72
3.	एनसीवीईटी के विचाराधीन आवेदन	162	157	319
4.	आवेदक निकायों से प्राप्त अनुरोधों की पुन: शड्यूलिंग अथवा आवेदक निकायों से प्रतीक्षित सूचना के कारण जांच अधीन और प्रक्रिया अधीन आवेदन	14	08	22
5.	जिन आवेदनों में जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है	148	149	297
5.1	आवेदक निकाय के नियमित मान्यता प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित करार/ जारी एनओआर	97*	65	162
5.2	आवेदक निकाय को जारी एनओआई और प्रदत्त अनंतिम मान्यता	16	01	17
5.3	आयोजित की गई उप-समिति बैठकें। तथापि, आवेदक निकाय से टिप्पणियों की अनुपालना प्रतीक्षित है।	07	01	08

5.4	विस्तृत जांच और मूल्यांकन के दौरान पात्र न पाए गए आवेदन	28	82	110

*कुल 97 में 4 संस्थाएं, जो मान्यता के पत्र (एलओआर) जारी करके मानित एबी - दोहरी श्रेणी के रूप में मान्य की गई हैं, शामिल हैं।

3.2 परिषद् ने उपरोक्त पैरा 3.1 के तहत दी गई तालिका के अनुसार प्रस्तावों की मान्यता की उपरोक्त स्थिति पर प्रगति को नोट किया और अनुमोदित किया तथा अब तक अवार्डिंग निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों को प्रदान की गई मान्यता की पुष्टि की गई, जो क्रमश: अनुबंध-III और अनुबंध-IV में है।

कार्यसूची मद 4: विकसित किए गए और अंतिम रूप दिए गए दिशा-निर्देशों, नीतियों और एसओपी से संबंधित स्थिति की सूचना और पुष्टि

4.1 वीईटीएस में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की स्थापना और प्रचालनीकरण के लिए दिशा-निर्देश

4.1.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि **राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क** को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और यूजीसी द्वारा 10 अप्रैल, 2023 को उसकी पुष्टि की गई है *(https://www.ugc.gov.in/Ncrf.aspx.)* । तदोपरांत, एनसीवीईटी द्वारा 12 मई, 2023 को एनसीआरएफ को भी अपनाया गया है। एनसीआरएफ में शैक्षणिक, व्यावसायिक/ कौशल और अनुभवजन्य शिक्षण सहित सभी शिक्षण और क्रेडिट का मूल्यांकन, संचयन, भंडारण, हस्तांतरण एवं रिडेम्पशन के मूल्यांकन के अध्यधीन प्रदान किया गया है। इसमें विषय के बीच अंतर को दूर किया गया है और व्यावसायिक व सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समतुल्यता की स्थापना की गई है, जबकि उनके भीतर और उनके बीच गतिशीलता को सक्षम बनाया गया है।

4.1.2 समिति को यह भी अवगत कराया गया कि **अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की सह-अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की गई है** ताकि एनसीआरएफ के प्रचालनीकरण और कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके।

शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) एनसीआरएफ के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए एक एकीकृत घटक है। एबीसी एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें छात्रों/ शिक्षार्थियों द्वारा अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान अर्जित किए गए क्रेडिट की सूचना स्टोर की जाती है। इसमें यह अनिवार्य हो जाता है कि मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय अपने क्रेडेंशियल और छात्रों/ शिक्षार्थियों को पंजीकृत करता है।

4.1.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के समावेशी सिद्धांत और एनसीआरएफ के प्रावधानों के अनुसरण में **व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की स्थापना और प्रचालन दिशा-निर्देशों** के लिए प्रारूप अधिसूचना तैयार की गई थी और सार्वजनिक परामर्श के लिए रखी गई तथा साथ ही, परिषद् के सदस्यों के साथ उनके इनपुट के लिए साझा की गई थी। प्राप्त टिप्पणियों को समुचित रूप से शामिल किया गया और अंतिम एबीसी दिशा-निर्देशों को एनसीवीईटी वेबसाइट पर डाला गया है।
लिंक:https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/05/Guidelines-for-Establishment-and-Operation-of-Academic-Bank-of-Credit-in-VETS-May-2024.pdf

4.1.4 **परिषद् ने संतुष्टि के साथ प्रगति को नोट किया और अधिसूचना के लिए उसकी पुष्टि की गई।**

4.2 प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण (टीओटी) दिशा-निर्देश

4.2.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों को हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने (21 दिनों के सार्वजनिक परामर्श सहित) और हितधारकों तथा जनता से प्राप्त टिप्पणियों को समुचित रूप से शामिल करने के बाद, एनसीवीईटी द्वारा विकसित किया गया है। ये दिशा-निर्देश मानकीकृत प्रक्रियाओं और पद्धतियों को स्थापित करते हैं ताकि कुशल मूल्यांकनकर्ताओं/ मास्टर मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों/ मास्टर

प्रशिक्षकों का एक पूल वीईटीएस व्यवस्था में तैयार कर सके। इस मानकीकरण से प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अस्पष्टता में कमी और दक्षता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

4.2.2 टीओटी और टीओए के लिए अंतिम दिशा-निर्देश क्रमश: दिनांक 01 फरवरी, 2024 और 27 मार्च, 2024 को एनसीवीईटी की वेबसाईड पर अधिसूचित किए गए हैं और निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

टीओटी के लिए लिंक: chrome-https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/02/ToT-Guidelines.pdf

टीओटी के लिए लिंक : chrome-https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/03/ToA-Guidelines_final.pdf

4.2.3 परिषद् ने संतुष्टि के साथ प्रगति को नोट किया और उसकी पुष्टि की।

4.3 दिव्यांगजनों के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश।

4.3.1 परिषद् को यह सूचित किया गया कि एनसीवीईटी ने एनईपी 2020 में यथा-परिकल्पित समावेशिता के सिद्धांत में सुविधा के लिए **"दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिर्शा-निर्देश"** तैयार किया है। इससे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में, विशेष रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सुगम्यता मानदंडों का मानकीकरण होगा, जिससे अनुकूल वातावरण का सृजन करने, सीखने की बाधाओं को दूर करने तथा दिव्यांगजनों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे और साथ ही पहुंच और अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।

4.3.2 इसके अलावा, दिनांक 11 जनवरी, 2024 को दिव्यांगजन जीवन का जश्न बनाने के लिए पर्पल फेस्ट - एक अंतरराष्ट्रीय समारोह में सार्वजनिक परामर्श के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। और साथ ही **डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट और पीएम दक्ष पोर्टल** के साथ-साथ **एनसीवीईटी की वेबसाइट** पर भी प्रकाशित किए गए थे। प्राप्त टिप्पणियां दिशा-निर्देशों में समुचित रूप से शामिल कर ली गई हैं।

4.3.3 "दिव्यांग जनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधानों के लिए दिशा-निर्देश" https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/05/SOP-for-Development Alignment-Implementation-of-Skill-Based-Courses.pdf पर उपलब्ध हैं।

4.3.4 परिषद् ने संतुष्टि के साथ प्रगति को नोट किया और उसकी पुष्टि की।

4.4. उच्चतर शिक्षा और स्कूली शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) अर्हताओं के विकास, संरेखण और कार्यान्वयन के लिए एसओपी

4.4.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया कि एनसीआरएफ में यह प्रावधान हैं कि यूजी/पीजी कार्यक्रम की कुल क्रेडिट आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत तक उपयुक्त एनसीआरएफ स्तरों के कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/अर्हताओं से पूरा किया जा सकता है और यह कि **उच्चतर/स्कूल शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को शामिल करने और क्रेडिट प्रदान करने** के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को समग्र शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

4.4.2 तदनुसार, एनसीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार, सभी विश्वविद्यालय/ एचईआई/ स्कूल बोर्ड को अपने पाठ्यक्रमों में वीईटीएस आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि छात्रों के लिए समग्र शिक्षा सुनिश्चित हो सके। उच्चतर और स्कूल शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक एसओपी तैयार की गई है और इसे दिनांक 15 मार्च, 2024 को हुई राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 36वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है। एसओपी में वीईटीएस में एनसीआरएफ के प्रचालनीकरण के लिए एसओपी के अन्तर्गत प्रदत्त दिशा-निर्देशों और प्रावधानों को कार्यान्वित किया जाएगा और उन्हें इसके कार्यान्वयन के लिए आगे सुदृढ़ बनाया जाएगा। एसओपी द्वारा उच्चतर और स्कूली शिक्षा में कार्यान्वयन के लिए अर्हताओं को आसानी से डिजाइन करने और विकसित करने के लिए एबी का मार्गदर्शन भी किया जाएगा।

4.4.3 उच्चतर शिक्षा और स्कूली शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) अर्हताओं के विकास, संरेखण और कार्यान्वयन के लिए विस्तृत

एसओपी https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/05/SOP-for-Development-Alignment-Implementation-of-Skill-Based-Courses.pdf पर उपलब्ध है।

4.4.4 इसके अलावा, समिति को यह अवगत कराया गया कि मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों के साथ साथ एमएनसी/ ओईएम और अग्रणी उद्योग उद्यमों के उच्चतर शिक्षा में यूजीसी/ एआईसीटीई के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं सहित कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं को शामिल करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरु कर दी गई है। इसके अलावा, अन्य अवार्डिंग निकाय भी अन्य एचईआई के अलावा, जो स्वयं मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय बन रहे हैं, एचईआई/ विश्वविद्यालयों में प्रस्तावित किए जा रहे उपयुक्त विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम/ अर्हताएं विकसित कर रहे हैं।

4.4.5 परिषद् ने संतुष्टि के साथ प्रगति को नोट किया और उसकी पुष्टि की।

कार्यसूची मद 5: भारत के शासकीय राजपत्र में एनसीवीईटी परिषद् द्वारा विकसित और अनुमोदित दिशा-निर्देशों की राजपत्र अधिसूचना

5.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार, एमएसडीई द्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) को इसके कार्यों के निर्वहन के लिए और भारत के शासकीय राजपत्र में एनसीवीईटी के सभी दिशा-निर्देशों (पैरा 1 (परिभाषाएं), (xiii) को अधिसूचित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है (अधिसूचना के पैरा 19 के अनुसार)।

5.2 अत: सभी एनसीवीईटी परिषद् अनुमोदित दिशा-निर्देशों को एनसीवीईटी द्वारा भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करना आवश्यक और अनिवार्य है। दिशा-निर्देशों का ब्यौरा, जिन्हें एनसीवीईटी द्वारा तैयार किया गया है, जिनमें अभी तक निम्नलिखित सभी विधिवत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए तैयार किया गया है :

क्र.सं.	**दिशानिर्देश**	सार्वजनिक परामर्श की	परिषद् द्वारा अनुमोदन की तिथि

		तिथियां	
क)	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क - 2023	26/12/2022	17/08/2023 (9वीं परिषद् बैठक)
ख)	शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश	08/09/2021	17/08/2023 (9वीं परिषद् बैठक)
ग)	शिक्षण पूर्व मान्यता के लिए दिशानिर्देश	20/02/2023	20/03/2023 (8वीं परिषद् बैठक)
घ)	व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए मिश्रित शिक्षण के दिशानिर्देश	05/04/2022	13/07/2022 (6वीं परिषद् बैठक)
ड.)	बहु कौशल - क्रास सेक्टर कौशल के लिए दिशानिर्देश	18/02/2022	17/082023 (9वीं परिषद् बैठक)
च)	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) के विकास, अनुमोदन और उपयोग के लिए दिशानिर्देश	06/06/2022	20/03/2023 (8वीं परिषद् बैठक)
छ)	व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए दिशानिर्देश	15/05/2023	17/08/2023 (9वीं परिषद् बैठक)
ज)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और प्रमुख भारतीय उद्यमों के कौशल और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अर्हताओं को क्रेडिट प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश	23/07/2023	17/08/2023 (9वीं परिषद् बैठक)
झ)	प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी)* के लिए दिशानिर्देश	03/07/2023	31 मई 2024 (11वीं परिषद् बैठक)
ञ.)	मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए)* के लिए दिशानिर्देश	11/07/2023	31 मई 2024 (11वीं परिषद् बैठक)
ट)	वीईटीएस* में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की स्थापना और प्रचालनीकरण पर दिशानिर्देश	02/04/2024	31 मई 2024 (11वीं परिषद् बैठक)
ठ)	दिव्यांग जनों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुगम्यता मानकों के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश*	11/01/2024	31 मई 2024 (11वीं परिषद् बैठक)

ड)	अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हताओं के अंगीकरण के लिए दिशानिर्देश	22/02/2022	16 मार्च 2022 (5वीं परिषद् बैठक)

****दिशानिर्देशों को 11वीं परिषद् बैठक में परिषद् द्वारा पुष्टि के लिए रखा गया।***

5.3 दिशानिर्देशों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए, एनसीवीईटी ने दिनांक 10/01/2024 के ईमेल के तहत इसका नाम ई-गजट पोर्टल में शामिल करने/जोड़ने के लिए "एनआईसी हेल्पडेस्क" से अनुरोध किया था ताकि यह अपने संगठनों का पंजीकरण आगे पूरा कर सके और इसके दिशानिर्देशों/ सामग्रियों को ई-पब्लिकेशन के लिए प्रस्तुत कर सके। तदोपरांत, "प्रकाशन विभाग" के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मामले पर पत्राचार भी शुरु किया गया था।

5.4 प्रकाशन विभाग ने एनसीवीईटी को यह परामर्श दिया था कि वे "भारत के राजपत्र के विभिन्न भागों के विशिष्ट ई-पब्लिकेशन के संबंध में संशोधित निर्देश" के "भाग III, खंड 4" के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करें। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि संबंधित मंत्रालय से इस संबंध में एक बारगी सिफारिश पर एमएसडीई को एनसीवीईटी के पंजीकरण की जरूरत पड़ेगी।

5.5 तदनुसार, एमएसडीई से एनसीवीईटी को भारत के शासकीय राजपत्र में दिशा-निर्देशों के प्रकाशन के लिए अधिकृत एक संस्था के रूप में शामिल करने के लिए प्रकाशन विभाग को पत्र लिखा जाना है ताकि एनसीवीईटी एक राष्ट्रीय नियामक के रूप में वीईटी के लिए अपनी बाध्यता को पूरा कर सके और इसकी स्वतंत्रता और कार्यात्मक स्वायत्ताता सुनिश्चित हो सके।

परिषद् ने प्रगति को नोट किया और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से प्राथमिकता आधार पर प्रकाशन विभाग को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) का नाम शामिल करने के लिए एक बार सिफारिश भेजने का अनुरोध किया ताकि दिनांक 05.12.2018 को एनसीवीईटी संकल्प के तहत यथा-प्रदत्त राजपत्र अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी कर सके।

कार्यसूची मद 6: दिशानिर्देशों का अनुमोदन, जिन्हें सार्वजनिक परामर्श के बाद और उपयुक्त रूप से टिप्पणियों को शामिल करके अन्तिम रूप दिया गया है।

6.1 डिजिटल कंटेंट तैयार करने और गुणवत्ता फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश

6.1.1 परिषद् को यह सूचित किया गया कि एनसीवीईटी ने डिजिटल कंटेंट के निर्माण और गुणवत्ता फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं ताकि मिश्रित शिक्षण कार्यक्रमों में कंटेंट की गुणवत्ता और सुलभता बढ़ सके और एक परिवर्तनीय प्रभाव डालने के लिए उच्च गुणवत्ता का, आकर्षक और शिक्षार्थी केन्द्रित कंटेंट तैयार किया जा सके। ये दिशानिर्देश एक ऐसी रणनीति तैयार करने पर बल देते हैं, जो धीरे-धीरे एक व्यापक कंटेंट रिपोजिटरी तैयार हो सके और वीईटीएस कंटेंट के लिए मार्केटप्लेस प्रदान किया जा सके।

6.1.2 तदनुसार, 21 दिनों के सार्वजनिक परामर्श के लिए एनसीवीईटी वेबसाइट पर दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए थे और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी संगत सुझाव और टिप्पणियां तथा सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त सुझावों पर विधिवत विचार किया गया है और उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

6.1.3 परिषद् ने प्रगति को नोट किया और **"डिजिटल कंटेट निर्माण तथा गुणवत्ता फ्रेमवर्क" दिशानिर्देशों को अधिसूचना के लिए अनुमोदित किया।**

6.1.4 परिषद् ने भी परिषद् सदस्य श्री गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा से बैठक के कार्यसूची पर प्राप्त ई-मेल टिप्पणियों को नोट किया और सहमति दी, जिसमें स्वयं प्लस प्लेटफार्म जैसी उपलब्ध शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों (एलएमएस) का उपयोग करने के लिए सशक्त समर्थन किया गया ताकि पहुंच बढ़ सके और छात्रों/ शिक्षार्थियों को सहायता मिल सके, जो दिशानिर्देशों में यथा-उल्लिखित किसी वास्तविक केन्द्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

6.2 एनसीवीईटी के आंतरिक प्रयोग के लिए सूचना और डेटा सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश

6.2.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी ने हितधारकों के आंतरिक प्रयोग के लिए सूचना और डेटा सुरक्षा पर दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इस दिशानिर्देश में कर्मचारियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की व्यक्तिगत सूचना, मूल्यांकन परिणामों, मान्यता विवरणों और विभिन्न अन्य गोपनीय रिकॉर्ड की सुरक्षा को शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन को देखते हुए, मजबूत "सूचना और डेटा सुरक्षा" उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि डेटा उल्लंघनों, अनधिकृत पहुंच और ऐसे साइबर खतरों के लिए संरक्षण हो सके, जिससे कि एनसीवीईटी द्वारा देखने में आई गतिविधियों के विश्वास और प्रभावकारिता से समझौता होता है।

6.2.2 "प्रारूप सूचना और डेटा सुरक्षा दिशानिर्देश" दिनांक 04.03.2024 से 25.03.2024 तक 21 दिनों के सार्वजनिक परामर्श के लिए एनसीवीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे।

6.2.3 विभिन्न हितधारकों से और सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त संगत सुझावों और टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया गया है और अन्तिम दिशानिर्देशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन के लिए **एनसीवीईटी द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है और अधिसूचित किया गया है**। दिशानिर्देशों को एनसीवीईटी के अधिदेश के अनुसार भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। दिशानिर्देशों का लिंक *https://ncvet.gov.in/wpcontent/uploads/2024/05/Guidelines_for_Information_and_Data_Security.pdf* पर है।

6.2.4 **परिषद् ने संतुष्टि के साथ प्रगति को नोट किया और उसकी पुष्टि की।**

6.3 "संचार प्रोटोकोल के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश" के विकास की स्थिति पर सूचना

6.3.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी ने एनसीवीईटी और उसके मान्यता प्राप्त निकायों के कामकाज के संबंध में सूचना के प्रमुख पहलुओं को देखने के लिए **"संचार प्रोटोकोल के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश"** विकसित किए हैं। इससे **संचार के एकीकृत दृष्टिकोण को देखने और तैयार करने** के लिए मदद मिलती है, जिससे विभिन्न संचार माध्यमों से स्पष्टता, एकता और निरंतरता को बढ़ावा मिलता है।

6.3.2 दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक संगठन में विभिन्न पहलुओं पर प्रभावी संचार प्रदान करना है। ये दिशानिर्देश आन्तरिक और बाहरी संचार में सुधार लाने, ब्रांड की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा भ्रम और गलतफहमी से बचने के लिए तैयार किए गए हैं।

6.3.3 प्रारूप दिशानिर्देशों को 21 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श हेतु एनसीवीईटी की वेबसाइट पर रखा गया था। विभिन्न हितधारकों से और सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त संगत सुझावों और टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया गया है और अन्तिम दिशानिर्देशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था। परिषद् को एनसीवीईटी के अधिदेश के अनुसार भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना सहित संचार प्रोटोकोल के लिए प्रचालनीय दिशानिर्देश अनुमोदित करने के लिए प्रस्ताव किया गया था।

6.3.4 अन्तिम दिशानिर्देशों का लिंक *https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/05/Draft-Operational-Guidelines-For-Communication-Protocol.pdf* पर है।

6.3.5 परिषद् ने अत्यावश्यक दिशानिर्देशों की पहल की सराहना की और समुचित संशोधन के साथ कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों में विचार के लिए माननीय सदस्यों के साथ साझा करने के लिए कहा गया।

6.3.6 परिषद् ने दिशानिर्देशों और अधिसूचना को अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद 7: सार्वजनिक परामर्श और टिप्पणियों को शामिल करने के बाद दिशानिर्देशों के अन्तिम निपटान की प्रक्रिया की स्थिति की सूचना

7.1 वर्ष 2020 में प्रकाशित अवार्डिंग निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन।

7.1.1 परिषद् को संक्षेप में बताया गया कि अवार्डिंग निकायों को दिनांक 05 दिसंबर, 2018 की एनसीवीईटी अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के तहत मान्यता प्रदान करने के अधिदेश के अनुसरण में, एनसीवीईटी ने **"अवार्डिंग निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश"** (इसके बाद एबी दिशानिर्देश के रूप में उल्लिखित और प्रचालनात्मक मैनुअल तैयार किया था, जिन्हें माननीय मंत्री, एसडीई द्वारा 27 अक्तूबर, 2020 को शुरु किया गया था।

7.1.2. प्रमुख नीतिगत पहलों जैसे 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और 2023 में संशोधित राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनसीक्यूएफ) और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के परिणामस्वरूप आए सकारात्मक व्यवधानों के कारण, भरोसेमंद और प्रभावी प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के जरिए उच्च गुणवत्ता के वीईटीएस प्रचालनों को सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से, एबी दिशानिर्देश 2020 में व्यापक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

7.1.3 एबी दिशानिर्देशों को एनसीवीईटी द्वारा हितधारक परामर्शों, विशेषज्ञ समीक्षाओं और साहित्य समीक्षा पर बल देने के साथ फीडबैक सहित किए गए व्यापक और कठिन परामर्श की प्रक्रिया/ कार्रवाई करके व्यापक संशोधन किया गया है। प्रारूप दिशानिर्देश 21 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए एनसीवीईटी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।

7.1.4 प्राप्त संगत सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने और अन्तिम रूप देने के लिए दिशानिर्देशों में शामिल करने के संबंध में जांच की जा रही है। दिशानिर्देशों के अन्तिम प्रारूप को किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी के लिए सभी परिषद् सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, दिशानिर्देशों को एनसीवीईटी के अधिदेश के अनुसार, भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

7.1.5 प्रारूप दिशानिर्देशों की प्रति दिनांक 31.05.2024 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/05/Draft-AB-Guidelines-for-Public-Consultation-1.pdf

7.1.6 परिषद् ने इसे नोट किया और आगे की टिप्पणियों तथा आगे राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के लिए 7 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त सभी संगत सुझावों/ टिप्पणियों को शामिल करने के बाद परिषद् सदस्यों के साथ प्रारूप अंतिम दिशानिर्देशों को साझा करने का निदेश दिया।

7.2 वर्ष 2020 में प्रकाशित, मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए

दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन

7.2.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि इसी प्रकार से "मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश" में भी विगत कुछ वर्षों में कौशल व्यवस्था में प्रमुख नीतिपरक और प्रौद्योगिकीय बदलावों के कारण एक व्यापक संशोधन करना आवश्यक था।

7.2.2 संशोधित व्यापक "मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों" में गुणवत्ता आश्वासन के वैश्विक मान्यताप्राप्त मान्यता मानकों के अनुरूप व्यापक शासन और प्रभावकारी कार्यगत सिद्धांत तय किए जाएंगे, जिससे एनसीवीईटी व्यवस्था में सर्वोत्तम स्तर की मूल्यांकन एजेंसियों की पहचान और प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाएगा और मानकीकृत मानकों, निरंतर गुणवत्ता शासन और बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नियमन के लिए निगरानी और मूल्यांकन नेटवर्क प्रदान किया जाएगा।

7.2.3 दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विचार हेतु और शामिल किए जाने हेतु प्राप्त प्रासंगिक सुझावों और टिप्पणियों की जांच की जा रही है। दिशानिर्देशों के अंतिम प्रारूप को किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी के लिए सभी परिषद् सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने पर दिशानिर्देशों को एनसीवीईटी के अधिदेश के अनुसार भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

7.2.4 दिनांक 31.05.2024 की स्थिति के अनुसार प्रारूप दिशानिर्देशों की प्रति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2024/05/Comprehensive-Revised-AA-guidelines-02052024_1.pdf

7.2.5 **परिषद् ने इसे नोट किया और प्रारूप अन्तिम दिशानिर्देशों को आगे की टिप्पणियों और राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के लिए 7 दिनों के सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त संगत सभी सुझावों और टिप्पणियों को शामिल किए जाने के बाद परिषद् के सदस्यों के साथ साझा करने का निदेश दिया।**

7.3 अर्हताओं के अंगीकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन

7.3.1 परिषद् को एनसीवीईटी प्रमाणन के लिए किसी अर्हता के अवार्डिंग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए अर्हताओं को अपनाने के लिए दिशानिर्देशों का विस्तृत विवरण दिया गया। यह एक अवार्डिंग निकाय (डवलपर निकाय द्वारा विकसित अर्हता (एनएसआरसी में एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित और एनक्यूआर में अपलोड की गई) के अवार्डिंग के अधिकार को किसी अन्य अवार्डिंग निकाय (अंगीकरण निकाय) के मूल तत्वों अर्थात पात्रता मानदंड, स्तर, अनिवार्य एनओएस/ शिक्षण परिणाम, उपस्कर, मान्यता और मूल्यांकन मानकों में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी सम्पूर्णता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 22.02.2022 को अंतिम रूप दी गई और 16 मार्च, 2022 को आयोजित की गई, परिषद् की 5वीं बैठक में अनुमोदित/ पुष्टि की गई **अर्हताओं के अंगीकरण के लिए दिशानिर्देशों** द्वारा संचालित होती है।

7.3.2 सदस्यों को अपडेट प्रदान करते हुए, सूचित किया गया कि व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल व्यवस्था (वीईटीएस) में स्टैंडअलोन राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस), माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) और नेनो क्रेडेंशियल (एनसी) की संकल्पना के साथ साथ इन अल्पावधिक एनसी/ एमसी अथवा एनओएस के कार्यान्वयन के लिए उद्योग की मांग के कारण मान्यताप्राप्त एबी द्वारा आवश्यक और सूचित किए गए आवश्यक संशोधन, जिनमें एनसी/ एमसी और एनओएस के अंगीकरण के लिए सहायक प्रावधान शामिल हैं, की प्रक्रिया चल रही है और परिचालित करके कार्यसूची के माध्यम से अनुमोदनों के लिए संशोधित दिशानिर्देश अन्तिम रूप दिए जाने पर अनुमोदित किए जाएं।

7.3.3 परिषद् ने प्रगति को नोट किया और उसे "सैद्धान्तिक" अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद 8 : राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) की मान्यता के कार्यान्वयन की स्थिति और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की मानित एबी के रूप में स्थिति की सूचना

8.1 परिषद् को संक्षेप में बताया गया कि व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) को राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) द्वारा सक्षम शिक्षा में एकीकृत करने के लिए, परिषद् ने अपनी 9वीं बैठक, दिनांक 17.08.2023 में अनुमोदन दिया और निम्नलिखित विभिन्न

श्रेणियों के विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को मानित अवार्डिंग निकायों का दर्जा प्रदान किया, बशर्ते कि वे एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं/ पाठ्यक्रमों के विकास, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों की अनुपालनो करें। तद्नुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय और एचईआई को परिषद् द्वारा मानलित अवार्डिंग निकायों का दर्जा दिया गया:

क) आईआईटी, एनआईटी, एनआईडी, आईआईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर सहित सभी आईएनआई प्रमुख सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं, जो भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं।

ख) सभी विश्वविद्यालय और एचईआई, जिनके लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति विजिटर हैं और भारत के माननीय उप राष्ट्रपति कुलाधिपति हैं। (इन एचईआई में अन्य मंत्रालयों से संस्थान भी शामिल हैं)।

ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत स्थापित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय

8.2 चूंकि इन विश्वविद्यालयों और एचईआई में पहले से ही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विधान के अंतर्गत, यूजीसी से विधिवत मान्यता के साथ अनुमोदित संस्थान हैं, अत: उनके पास बुनियादी भौतिक, शैक्षणिक और शासन संरचना तथा सांविधिक फ्रेमवर्क पहले से है, जो कि एक अवार्डिंग निकाय (एबी) बनने के लिए आवश्यक है, और एनसीवीईटी द्वारा इन एचईआई को "मान्यता की प्रक्रिया" में कुछ चरणों की प्रक्रिया को सरल बनाकर मानित अवार्डिंग निकाय का दर्जा प्रदान करने के लिए एक सरल तंत्र विकसित किया गया है और कार्यान्वित किया जा रहा है। जैसा कि ऊपर पैरा में दिया गया है एचईआई की श्रेणी का सरलीकृत प्रोसेस फ्लो, इस प्रकार है :

चरण 1: इच्छुक एचईआई द्वारा रुचि की	**चरण 2: ब्यौरों की जांच करने के लिए एक समर्पित**	**चरण 3: सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानित**	**चरण 4: संबंधित एचईआई को "मान्यता का पत्र"**

अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना	**केस सदस्य का नामांकन**	**अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए अनुमोदन**	**जारी करना**

8.3 इसके अलावा, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सुझाव के अनुसार, सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को एनसीवीईटी द्वारा एक प्रारंभिक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें नियमित यूजी/ पीजी पाठ्यक्रमों में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने और अन्य शिक्षार्थियों को एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं का प्रस्ताव करने के लिए संभव तरीके स्पष्ट किए जाएंगे ताकि वे उन्हें मानित अवार्डिंग निकाय बनने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करने के लिए सुविधा प्रदान कर सकें। तद्नुसार, अपेक्षित पत्र भेजे जा रहे हैं और उनकी रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने पर, एनसीवीईटी द्वारा एक मान्यता का पत्र जारी किया जा सकता है। **रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और मान्यता के पत्र (एलओआर) का मानक प्रारूप क्रमश: अनुबंध V और VI में संलग्न है।**

8.4 इसके अतिरिक्त, परिषद् ने अपनी 9वीं बैठक में, एचईआई/ विश्वविद्यालयों की कतिपय श्रेणियों को एक सरल और तीव्र गति की प्रक्रिया के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं/ पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करने के लिए अवार्डिंग निकायों के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई थी। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले एचईआई/ विश्वविद्यालय नीचे दिए गए हैं: सभी एचईआई/ विश्वविद्यालय (ऐसे एचईआई को छोड़कर, जिन्हें एनसीवीईटी द्वारा मानित अवार्डिंग निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है)।

8.5 भारत सरकार द्वारा यूजीसी/ एआईसीटीई की सिफारिश पर मानित विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यताप्राप्त और अधिसूचित संस्थानों को भी मानित अवार्डिंग निकायों का दर्जा देने पर विचार किया जाना है। तथापि, जैसा कि 9वीं एनसीवीईटी परिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया है, एनसीवीईटी के पास ऐसे मानित अवार्डिंग निकायों को दर्जा (दोहरी श्रेणी) प्रदान करने के लिए अन्तिम विचार के लिए अधिकार सुरक्षित है।

8.6 उपरोक्त पैरा में उल्लिखित एचईआई/ विश्वविद्यालयों के लिए एबी के रूप में मान्यता के लिए विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है :

विश्वविद्यालयों और एचईआई के लिए एबी के रूप में मान्यता की प्रक्रिया

चरण 1: एचईआई द्वारा सरलीकृत आवेदन प्रस्तुत करना	**चरण 2: नामित केस सदस्य द्वारा प्रस्ताव की जांच करना**	**चरण 3: निदेशक की समीक्षा**	**चरण 4: उप समिति द्वारा अंतिम समीक्षा**	**चरण 5: अनंतिम मान्यता (एनओ) जारी करना**	**चरण 6: करार पर हस्ताक्षर करना**

सरलीकृत आवेदन फार्म का मानक प्रारूप अनुबंध VII पर संलग्न है।

ऐसे एचईआई/ विश्वविद्यालयों का विवरण, जिनके लिए ईओआई फार्मेट साझा किया गया है, अनुबंध VIII में है।

8.7 परिषद् को अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, यूजीसी की अध्यक्षता में और अध्यक्ष, एनसीवीईटी की सह-अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने पहले ही एक आसान तरीके से यूजी और पीजी स्तर के कार्यक्रमों में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और अर्हताओं के एकीकरण के लिए एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुमोदित की है। अत: इस पहल से उच्चतर शिक्षा प्रणाली के कौशल शिक्षा के साथ एकीकरण की प्रक्रिया और भी मजबूत होगी, ताकि उन्हें कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और अर्हताओं का प्रस्ताव किया जा सके, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

8.8 **परिषद् ने की गई प्रगति की सराहना की और आईएनआई, सीयू, मानित विश्वविद्यालयों/ एचईआई के लिए समग्र मान्यता प्रक्रिया अनुमोदित की। परिषद् ने पात्र एचईआई/ विश्वविद्यालयों की अवार्डिंग निकाय के रूप में तेज गति से मान्यता के लिए सरलीकृत आवेदन फार्म को भी अनुमोदन प्रदान किया।**

कार्यसूची मद 9 : 4 वेरिएंट में रोजगार योग्य कौशलों, जीवन कौशलों और सॉफ्ट कौशलों के 50 उप-माड्यूलों के साथ 9 माड्यूलों के कंटेंट विकास पर प्रगति की स्थिति की सूचना

9.1 परिषद् सदस्यों को परियोजना की पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए, यह अवगत कराया गया कि एमएसडीई ने शुरु में अपनी अग्रगामी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2.0 के अंतर्गत सभी एनएसआरएफ संरेखित और अनुमोदित जॉब भूमिकाओं में, जो उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित हैं, वर्ष 2016-17 में सभी जॉब भूमिकाओं में एक 40 घंटे का रोजगार योग्य माड्यूल शुरु किया था। अधिक व्यापक और स्थानीय रोजगार योग्य कौशलों के लिए जरूरत को पहचानते हुए, अंग्रेजी, रोजगार योग्य और उद्यमशीलता (ईईई) पर एक 155 घंटे का मिश्रित माड्यूल बाद में पीएमकेवीवाई 3.0 के अन्तर्गत, अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरु किया गया था।

9.2 व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में व्यापक रोजगार योग्य कौशलों के एकीकरण की प्रणाली में आगे सुधार लाने के लिए, 30 घंटे, 60 घंटे 90 घंटे और 120 घंटे के विभिन्न रोजगार योग्य कौशल माड्यूल विकसित किए गए थे और जून, 2022 में हुई 20वीं एनएसक्यूसी बैठक में अनुमोदित किए गए। एनसीवीईटी परिषद् की 8वीं बैठक में, परिषद् को इन सुधारों के बारे में अवगत कराया गया था। सभी अवार्डिंग निकायों को एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए विकसित की जा रही अपनी सभी मौजूदा अर्हताओं और भावी अर्हताओं में यथा लागू इनमें से एक ईएस एनओएस माड्यूलों को शामिल करने का अधिदेश दिया गया था। ये एनओएस जिनमें 12 तत्व/ माड्यूल नामत: रोजगार योग्य कौशलों की शुरुआत, संवैधानिक मूल्य-नागरिकता, 21वीं सदी में पेशेवर बनना, बुनियादी अंग्रेजी कौशल, करियर विकास एवं लक्ष्य निर्धारण, संचार कौशल, विविधता और समावेशन, वित्तीय और कानूनी साक्षरता, अनिवार्य डिजिटल कौशल, उद्यमशीलता, ग्राहक सेवा, अप्रेन्टिशिप और जॉब के लिए तैयार होना शामिल हैं।

9.3 तथापि, इन व्यावसायिक मानकों को कार्यान्वित करते समय, विभिन्न अवार्डिंग निकायों ने जॉब भूमिका और लक्ष्य छात्रों/ शिक्षार्थियों की विशिष्ट अपेक्षा को देखते हुए, विभिन्न जॉब भूमिकाओं के लिए अवार्डिंग निकायों द्वारा अंगीकरण किए जाने के लिए उनकी कठिनाइयों और सुझावों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए साझा किया गया था। इसके अलावा, यह महसूस किया गया था कि ये घटक रोजगार योग्य कौशलों के भाग के रूप में शामिल थे, विशेष रूप से भावी कार्य के लिए कौशल प्रदान करने और भावी प्रौद्योगिकी कौशलों को देखते हुए, व्यापक नहीं थे। सभी हितधारकों ने विभिन्न स्तर के वेरिएंट में विकासशील माड्यूलों के लिए अधिक ग्रेन्युलर दृष्टिकोण की सिफारिश की।

9.4 प्रशिक्षण में रोजगार योग्य कौशल एनयूएस के कार्यान्वयन के दौरान, एबी ने कई चुनौतियों की सूचना दी थी। मान्यताप्राप्त एबी के समक्ष आई चुनौतियों का सामना करने के लिए और साथ ही, स्कूल शिक्षा प्रणाली, तकनीकी शिक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षार्थियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए, रोजगार योग्य कौशलों (ईएस)/ साफ्ट कौशलों (एसएस)/ जीवन कौशलों (एलएस के माड्यूलों और सब माड्यूलों के फ्लैक्सिबल प्लग और प्ले मॉडल विकसित करने की जरूरत महसूस की गई थी।

9.5 तदनुसार, एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार, एक समिति गठित की गई थी। समिति में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, एनसीईआरटी, डीजीटी, एनएसडीसी से सदस्य और चुनिन्दा एबी और एसएससी, जिनमें कुछ विशेषज्ञ संगठन जैसे क्वेस्ट अलायंस, यूनिसेफ, वाधवानी फाउंडेशन शामिल हैं, से विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने अनेक बैठकों के माध्यम से विभिन्न कौशलों और क्षमताओं, जिनमें विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तर के अनुरूप उच्चतर कौशल शामिल है, की पहचान की है। शामिल प्रक्रिया में 9 माड्यूलों की पहचान करना शामिल है, जिनमें आगे विभिन्न एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ स्तरों, जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, विभिन्न एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ स्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 वेरिएंट्स में 30 घंटे, 60 घंटे, 90 घंटे और 120 घंटे के 50 सब-माड्यूल हैं :

क) बुनियादी स्तर ईएस/ एसएस/ एलएस में शामिल कौशल - कुछ मामलों में एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ स्तर 1 और 2 और स्तर 2.5 की पूर्ति करेगा।
ख) मध्यवर्ती ईएस/ एसएस/ एलएस - एनसीआरएफ/ एनएसक्यूसी स्तर 2.5,3,3.5 और 4
ग) अग्रिम ईएस/ एसएस/ एलएस- एनसीआरएफ/ एनएचईक्यूएफ/ स्तर 4,4.5,5,5.5 और 6
घ) उच्चतर आदेश ईएस/ एसएस/ एलएस - एनसीआरएफ/ एनएचईक्यूएफ स्तर 6,6.5, 7 और 8

9.6 उपरोक्त चार वेरिएंट, जिनमें शिक्षण परिणाम (एलओ), प्रदर्शन मानदंड (पीसी), प्रशिक्षक की अर्हता/ पात्रता/ अनुभव, आकलनकर्ता की अर्हता/ पात्रता/ अनुभव, आकलन मानदंड के लिए मॉडल पाठ्यचर्चा को हितधारकों और संगठनों जैसे, सीआईआई, मीडिया एसएससी, मैनेजमेंट एसएससी, एनएएसएससीओएम (नासकॉम) एसएससी, वाधवानी फाउंडेशन, एनआईईएसबीयूडी

आदि की सहायता से विकसित की गई है। पाठ्यचर्चा की हितधारकों और संगठनों, जैसे टीआईएसएस, सीआईआई, एसएससी के विश्वविद्यालयों, मीडिया घटकों, सीडेक आदि से विशेष विशेषज्ञों द्वारा पुनरीक्षा कराई गई है।

9.7 विभिन्न माड्यूलों और पाठ्यचर्चा/ अर्हता के रोजगारयोग्य कौशलों को प्रदान करने के लिए कंटेट को न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए, सभी नौ माड्यूलों के लिए सामग्री विकसित की जानी है, जिनमें अन्य प्रशिक्षण परिसंपत्तियां जैसे प्रतिभागी हैंडबुक, सुविधा प्रदाता मार्गदर्शिका, बुनियादी शिक्षण/ अधिगम संसाधन, मॉडल पाठ्यचर्चा आधारित ई-कंटेंट, प्रशिक्षण मैनुअल, मूल्यांकन मैनुअल, बुनियादी असाइनमैंट्स ट्यूटोरियल, सभी चार मैनुअल के लिए व्यावहारिक मूल्यांकन पद्धति शामिल है।

9.8 माड्यूलों/ सब माड्यूलों की सामग्री विकसित करने के लिए (जिनमें ई-लर्निंग सामग्री और अनुदेशक आधारित प्रशिक्षण सामग्री शामिल है) संकल्प योजना के तहत परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक प्रस्ताव संकल्पना नोट और अनुमानित लागत शीट/ संसाधन आवश्यकता के साथ परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) एमएसडीई के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। संकल्प टीम (पीएबी और पीएससी अर्थात परियोजना जांच समिति) द्वारा समुचित प्रयास किए जाने के बाद, *** रु. राशि का एक अनंतिम बजट (बैठक के दौरान सदस्यों को सूचित कर दिया गया) अनुमोदित किया गया है। तथापि, इसमें वाणिज्यिक बोलियों, जिनमें पूंजीगत व्यय (क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लागत) शामिल है, प्रचालनात्मक व्यय (5 वर्षों के दौरान वितरित), स्क्रेनिंग, सुरक्षा एवं अभिगम्यता लेखा परीक्षा व्यय, जो भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार 5 वर्षों के लिए है, शामिल नहीं है, जिसे अलग से प्रदान किए जाने की जरूरत होगी। जैसा कि परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा निर्णय लिया गया है, परियोजना को संकल्प के आर घटक के लिए पी के तहत वित्तपोषित किया जाएगा।

9.9 एनसीवीईटी को कंटेंट विकास एजेंसी/ एजेंसियों के चयन के द्वारा उक्त परियोजना शुरु करने का कार्य सौंपा गया है। कंटेंट विकास एक समयबद्ध तरीके से किया जाना था, जिसमें परियोजना को विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बुनियादी वेरिएंट के साथ, गुणवत्ता पर समझौता किए बिना पूरा करने का प्रयास किया जाना था। तदनुसार, परिषद् के अनुमोदन से तीन विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा माड्यूल विकसित कराने का निर्णय लिया गया था।

9.10 अत:, एजेंसियों का चयन 'गुणवत्ता लागत आधारित प्रणाली' (क्यूसीबीएस) के आधार पर, तकनीकी: वित्तीय भार 60:40 के साथ जेम पर एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था। तदनुसार, जेम पोर्टल पर तीन आरएफपी (3 माड्यूल प्रत्येक) कंटेंट विकास एजेंसियों के चयन के लिए डाले गए थे। तथापि, प्रतिस्पर्धा न्यूनतम थी, क्योंकि केवल 1/2/0 बोलीदाता ही इन तीन आरएफपी के लिए पात्र/ योग्य पाए गए थे। तदोपरांत, परिषद् ने अनुमोदित किया (परिचालन के लिए कार्यसूची) कि उपरोक्त तीन आरएफपी, जो जेम पर डाले गए थे, बंद किए जाएं और नए आरएफपी परियोजना की समीक्षा के बाद डाले जाएं।

9.11 ईएस के कंटेंट विकसित करने के लिए परियोजना के उच्च स्तरीय दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं :-

क) राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा यथा अनुमोदित मॉडल पाठ्यचर्चा को एक उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से वैध करना। एजेंसी पाठ्यचर्चा में परिवर्तनों का प्रस्ताव कर सकती है, बशर्ते एनसीवीईटी/ एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदन हो।

ख) माड्यूल पाठ्यचर्चा पर आधारित कक्षा प्रशिक्षण पाठ्यचर्चा में शिक्षार्थी की वर्कबुक, बुनियादी शिक्षण/अधिगम संसाधन और सभी उप माडॅलों के लिए अधिगम संसाधन/ सहायता शामिल है।

ग) सभी उप मॉडलों के लिए मॉडल पाठ्यचर्चा के आधार पर अंग्रेजी और हिंदी में ई-कंटेंट (ऑडियो/ विडियो/ टेक्स्ट आदि)।

घ) सभी उप माड्यूलों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल और अवसंरचना रणनीति, प्रशिक्षक स्लाइड, बुनियादी असाइनमेंट, ट्यूटोरियल।

ड.) सभी उप माड्यूलों के लिए मूल्यांकन मैनुअल और रणनीति, बुनियादी असाइनमैंट, ट्यूटोरियल, व्यावहारिक आकलन और मूल्यांकन।

9.12 कंटेंट का प्रत्येक घटक एक माड्यूलर तरीके से, उपरोक्तानुसार अभिज्ञात चार स्तरों (बुनियादी, माध्यमिक, उन्नत और उच्चतर स्तर) के लिए विकसित किया जाना है, जैसे कि प्लग और प्ले फार्मेट में विविध समावेश किए जाते हैं। तदनुसार, इस कार्य के लिए चुनी गई एजेंसी ई-लर्निंग और क्लासरुम प्रशिक्षण कंटेंट के विकास के क्षेत्र में अत्यधिक विश्वसनीय होनी चाहिए। आरएफपी के दौरान और ईएस के 4 विभिन्न स्तरों के लिए कंटेंट विकास के लिए जांच प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि :-

क) न्यूनतम प्रतिस्पर्धा के साथ प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी, जबकि रोजगार योग्य कौशलों पर कंटेंट स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल व्यवस्था, नि:शुल्क सहित हितधारकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए विकसित किए जाने हैं, जिसमें यह आवश्यक हो कि यह उच्च गुणवत्ता और मानक का है।

ख) बड़ी कंपनियां उच्च विश्वसनीयता के साथ परियोजना के लिए आगे नहीं आई, क्योंकि व्यक्तिगत आरएफपी का छोटा आकार होने के कारण है, जो उनके वित्तीय कार्यक्षेत्र के अनुकूल नहीं हो सकता।

ग) कंटेंट विकसित करने के लिए एजेंसियों का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, परियोजना के लिए अलग दृष्टिकोण और रणनीति थी। शिक्षार्थियों के उपयोग और समझने में आसानी के लिए उन्हें एक साझा संरचना में लाने के लिए परिणामों की समग्र गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चुनौती होगा।

घ) इसके अलावा, संकल्प परियोजना, जिसके तहत वित्तपोषण का प्रस्ताव किया गया है, अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाई गई है।

9.13 उपरोक्त को देखते हुए, परिषद् के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए थे :

क) सभी 9 माड्यूलों और 50 उप माड्यूलों के लिए सभी चार वेरिएंट हेतु आईएलटी और ई-कंटेंट विकसित करने के लिए **एक व्यापक संशोधित आरएफपी** एक ही खरीद एजेंसी के माध्यम से भेजी जा सकती है।

ख) **आरएफपी** को **जेम** के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। संशोधित प्रारूप आरएफपी तैयार किया गया है, जिसमें जेम के माध्यम से, विगत ई-खरीद में पाई गई सभी व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं पर विचार किया गया है।

ग) परिषद् द्वारा **आरएफपी/ बोली प्रस्तुत करने** के लिए एक उपयुक्त पदनाम, **प्रभारी परियोजना** के साथ **एक अधिकारी नामित** करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए शक्तियां प्रभारी परियोजना अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती है, ताकि खरीद आदेश भेजने तक की प्रक्रिया कर सके। तथापि, खरीद आदेश परिषद् के अनुमोदन और निर्णय के बाद भेजे जा सकते हैं।

घ) **एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी)** जो एमएसडीई, एनआईईएसबीयूडी, सभी नियामक निकायों (एआईसीटीई, यूजीसी, एनसीवीईटी), शिक्षा क्षेत्र (मीडिया एसएससी,

एनआईओएस, सीबीएसई, इग्नू आदि) से चुनिन्दा एबी और कोई ऐसा संगठन, जो अध्यक्ष, एनसीवीईटी द्वारा उपयुक्त समझा जाए, को मिलाकर, परियोजना-प्रभारी के अनुमोदन के अनुसार तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित की जा सकती है।

9.14 **परिषद् ने उपरोक्त पर विचार किया और उपरोक्त 9.13 के अनुसार प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इसके अलावा, परिषद् ने एनसीवीईटी को रोजगार योग्य कौशलों के सभी 09 माड्यूलों और 50 उप माड्यूलों को परिषद् के सदस्यों के साथ उनके सुझावों/ टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए साझा करने का निदेश दिया।**

कार्यसूची मद 10 : सरकार की वित्तपोषण योजनाओं के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं, एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित डिप्लोमा अर्हताओं तथा प्रशिक्षण के लिए एक मानक प्रमाण-पत्र का प्रारूप तैयार करना

10.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया कि राजपत्र अधिसूचना सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के अनुसरण में, एनसीवीईटी द्वारा वीईटी व्यवस्था की गतिशील जरूरतों की पूर्ति के लिए परंपरागत प्रमाण-पत्र के लिए निरंतर विचार और विकास किया जा रहा है ताकि प्रमाण पत्र प्रक्रिया में मानकीकरण हो सके और सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र के क्रेडेंशियल में सुधार हो सके। इसके अलावा, माननीय मंत्री, एसडीई और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, एनसीवीईटी ने मौजूदा अनुमोदित 17 प्रमाण-पत्रों के प्रारूप का संशोधन शुरु किया है और सभी ऐसे संशोधनों की परिषद् की 10वीं बैठक में पुष्टि की गई थी तथा एमएसडीई और एनएसडीई को सूचित कर दिया गया था।

10.2 एनसीवीईटी ने पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और पहुंच बढ़ाने के लिए 17 सितंबर, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से डिजाइन किए गए प्रमाण-पत्रों का टेम्पलेट जारी किया। प्रमाण पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क) प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रतिस्पर्धा का प्रमाण पत्र
ख) मूल्यांकनकर्ता के लिए कौशल प्रतिस्पर्धा का प्रमाण पत्र

ग) कौशल प्रतिस्र्धा के लिए प्रतिष्ठा पुरस्कार

घ) कौशल उन्नयन के साथ अधिगम पूर्व मान्यता प्रमाण पत्र

10.3 इसके अतिरिक्त, 62(52+09) जॉब भूमिकाएं, जो कि विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा और भारत कौशल प्रतिस्पर्धा का भाग हैं, भी एनसीआरएफ और एनएसक्यूएफ के क्षेत्राधिकार में लाई गई थीं, और चार (04) नए प्रमाण पत्र टेम्पलेट डिजाइन किए गए थे। प्रमाण पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क) भारत कौशल प्रमाण पत्र - राष्ट्रीय

ख) भारत कौशल प्रमाण पत्र - पूर्व राष्ट्रीय

ग) भारत कौशल प्रमाण पत्र - राज्य स्तरीय

घ) भारत कौशल प्रमाण पत्र - जिला स्तरीय

10.4 इसके अलावा, एनसीवीईटी ने भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति (एआईसीटीई) के परामर्श से व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) में डिप्लोमा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया। अब एनसीवीईटी भी एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए डिप्लोमा अर्हताएं प्राप्त कर रही है। तदनुसार, डिप्लोमा अर्हताओं को पूरा करने वाले शिक्षार्थियों को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का टेम्पलेट तैयार कर लिया गया है और परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। प्रमाण पत्र टेम्पलेट का डिजाइन **अनुबंध IX** पर है।

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा के लिए प्रमाण पत्र टेम्पलेट के डिजाइन की पुष्टि की गई है और साथ ही डिप्लोमा प्रमाण पत्र टेम्पलेट अनुमोदित किया है, जो अनुबंध IX पर है।

कार्यसूची मद 11 : एमएसडीई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की स्थिति के संबंध में सूचना

11.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 229(xi) के अन्तर्गत प्रावधानों को देखते हुए, प्रत्येक संगठन/ संस्थान जो पांच करोड़ रु. (5 करोड़ रु.) से अधिक प्रति वर्ष की बजट सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक मंत्रालय

या विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने अपेक्षित हैं, जिसमें प्रदर्शन इकाइयों के साथ साथ कार्य संबंधी कार्यक्रम और आउटपुट में गुणवत्तापरक सुधार का विवरणों के संदर्भ में प्रदर्शन मानदंडों, आउटपुट लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाएगा, जो इन संगठनों को प्रदान की गई बजटीय सहायता के आधार के रूप में कार्य करेगा।

11.2 तदनुसार, एनसीवीईटी ने वर्ष 2024-25 के लिए एक प्रारूप एमओयू तैयार किया है, जिसे एमएसडीई के साथ हस्ताक्षर किया जाना है। प्रारूप एमओयू को एमएसडीई के साथ साझा किया गया है। एमएसडीई से करार के हस्ताक्षर की पुष्टि अभी प्रतीक्षित है। एमओयू की प्रति **अनुबंध X** में संलग्न है।

11.3 **परिषद् ने इसे नोट किया और एमएसडीई से एमओयू पर शीघ्र हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया।**

कार्यसूची मद 12 : संकल्प योजना के अंतर्गत परियोजनाओं और कार्य की प्रगति की स्थिति के संबंध में सूचना

12.1 परिषद् को एमएसडीई के अनुमोदन से संकल्प योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्थिति और नियुक्त पीएमयू टीम के कार्य की प्रगति के बारे में संक्षेप में बताया गया, जो नीचे तालिका में दिया गया है :

वर्क स्ट्रीम	10वीं एनसीवीईटी परिषद् की बैठक के अनुसार कार्रवाई योग्य बिंदु	प्रतिबद्धता की तारीख	वर्तमान स्थिति	आगे की कार्रवाई
निगरानी तंत्र: मूल्यांकन एजेंसियां (एए)	**अंतिम रूप दिया गया:** • डेशबोर्ड का विकास किया जा रहा है। • जोखिम निगरानी और रेटिंग फार्मेट • डीईपी में शामिल	15.03.2024	• एनसीवीईटी को एक बुनियादी एए निगरानी डेशबोर्ड प्रस्तुत किया गया है। यह अभी अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। • एनसीवीईटी के साथ परामर्श करके विस्तृत उत्कृष्टता	• एए वार्षिक कार्यक्रम फार्मेट • एए मार्च-अप्रैल 2024 विश्लेषण • अर्हता-वार विश्लेषण

	करने के लिए टीसीएस/एनसीवीईटी के साथ साझा किया।		जोखिम फ्रेमवर्क और स्कोरिंग मेट्रिक्स तैयार किया गया है तथा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किए गए एए दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है। **अन्य उपलब्धियां** • नवंबर और दिसंबर, 2023 के लिए रेड फ्लैग एए का उल्लेख करते हुए विस्तृत मासिक एए विश्लेषण एनसीवीईटी के साथ साझा किया गया है। • माह जनवरी और फरवरी 2024 के लिए डेटा कोलेशन और क्लीनिंग • मूल्यांकन एजेंसी दिशा-निर्देशों के निगरानी खंड का प्रारूप तैयार किया गया और एए दिशा-निर्देशों के अन्य पहलुओं पर इनपुट प्रदान किए।	
निगरानी तंत्र: अवार्डिंग निकाय(एबी)	• डेटा वैधता के साथ मासिक डेटा के फार्मेट को अन्तिम रूप दिया गया है, और एबी के साथ साझा किया गया है।	29.02.2024	• एबी के पायलेट डेटा से लर्निंग के अनुसार अवार्डिंग निकायों के लिए मासिक निगरानी फार्मेट को अंतिम रूप दिया गया है। **अन्य उपलब्धियां** • एनसीवीईटी के साथ परामर्श करके अवार्डिंग निकायों की निगरानी के लिए प्रारूप उत्कृष्ट जोखिम फ्रेमवर्क	• एबी के साथ मासिक फार्मेट साझा करना। • अवार्डिंग निकायों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन • दिशानिर्देशों ओर डीईपी वायरफ्रेम को अंतिम रूप

			तैयार किया। • सार्वजनिक परामर्श के लिए अवार्डिंग निकाय के निगरानी खंड का प्रारूप तैयार किया।	देने में डेटा विश्लेषण से सीखना
डीईपी सपोर्ट	• दिए गए और शामिल किए गए इनपुट पर डीईपी टीम (एनसीवीईटी + टीसीएस) के साथ समीक्षा और विचार-विमर्श	31.03.2024		• एनएसक्यू एफ विवरणों को अंतिम रूप देना

12.2 संकल्प टीम व्यावहारिक मूल्यांकन को स्वत: बनाने पर भी काम कर रही है और उनमें से कुछ में अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और आगे संशोधित की गई है। इसके अतिरिक्त, नई प्रासंगिक परियोजनाएं एनसीवीईटी/ एमएसडीई के परामर्श से तलाशी जा रही है।

12.3 **परिषद् ने संतुष्टि के साथ इसे नोट किया।**

कार्यसूची मद 13 : वीईटीएस पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय भाषाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की सूचना "व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल भारतीय भाषाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति"

13.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पहल को पूरे देश में लागू करने में भारतीय भाषाओं के उपयोग पर बल दिया है, जिसका उद्देश्य भाषा को कौशल व्यवस्था के भीतर शिक्षार्थियों के लिए अवरोध बनने से रोकना है।

13.2 इस संबंध में, एनसीवीईटी ने सभी अवार्डिंग निकायों को द्विभाषी फार्मेट में एनएसक्यूएफ संरेखण और एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदन के लिए अपेक्षित सभी अर्हताओं को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, अवार्डिंग निकायों को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश

दिया है कि अर्हताएं और साथ में पाठ्यचर्चा तथा प्रशिक्षण संसाधनों को द्विभाषी रूप में सुलभ कराया गया है।

13.3 एनसीवीईटी ने सभी अवार्डिंग निकायों को निदेश दिया था कि वे विगत में अनुमोदित अर्हताओं, पाठ्यचर्चा और प्रशिक्षण संसाधनों के हिंदी में आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया में तेजी लाएं। वर्तमान में, 68% सक्रिय अर्हताएं सफलतापूर्वक अनुदित की जा चुकी हैं।

13.4 **परिषद् ने संतुष्टि के साथ इसे नोट किया।**

कार्यसूची मद 14 : एनसीवीईटी में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की सूचना

14.1 परिषद् को अवगत कराया गया कि संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में एनसीवीईटी में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में 21 फरवरी, 2024 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद् की पिछली बैठक से अब तक की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

14.2 एनसीवीईटी के कार्मिकों को राजभाषा संबंधी विभिन्न उपबंधों से अवगत कराने और उन्हें अपनी डेस्क से संबंधित अधिक से अधिक कामकाज हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 29.02.2024 को एनसीवीईटी में कार्यरत सभी डीईओ एवं लेखा सहायक/ कार्यालय सहायक के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री बी.के. सिंह, सलाहकार (वित्त) तथा श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, सलाहकार (राजभाषा) द्वारा कार्मिकों को राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। इस कार्यशाला के दौरान कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहित करने और उनके मन में हिंदी में काम करने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के प्रयोजन से कार्मिकों को रोजाना 'आज का शब्द' और 'लोकोक्तियां' शीर्षक से परिचालित हिंदी शब्दों एवं लोकोक्तियों तथा लिखित एवं ऑडियो रूप में उपलब्ध कराई गई हिंदी कहानियों से संबंधित एक प्रश्न-पत्र भी हल के लिए दिया गया, जिसके आधार पर तीन प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यशाला में कुल 13 कर्मचारियों ने भाग लिया।

14.3 एनसीवीईटी की हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति से संबंधित तिमाही प्रगति की समीक्षा करने और परिषद् में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में चर्चा करने और आवश्यक निर्णय लेने हेतु श्रीमती विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2024 को एनसीवीईटी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए।

14.4 एनसीवीईटी में कार्यरत सभी प्रधान निजी सचिवों/ निजी सहायकों/ सलाहकारों (सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त) तथा यंग प्रोफेशनलों (सूची संलग्न) के लिए दिनांक 27.03.2024 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त हिंदी कार्यशला में श्री अमित प्रकाश, सेवानिवृत्त निदेशक, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ने कार्मिकों को राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। इसके अतिरिक्त कार्मिकों को रोजाना 'आज का शब्द' और 'लोकोक्तियां' शीर्षक से परिचालित हिंदी शब्दों एवं लोकोक्तियों तथा लिखित एवं ऑडियो रूप में उपलब्ध कराई गई हिंदी कहानियों से संबंधित एक प्रश्न-पत्र भी हल के लिए दिया गया जिसके आधार पर तीन प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यशाला में कुल 23 कार्मिकों ने भाग लिया।

14.5 एनसीवीईटी की हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग-I व भाग-II (वार्षिक रिपोर्ट) राजभाषा विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट पर दिनांक 10.04.2024 को अपलोड कर दी गई। कार्यालय द्वारा दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के 64.6 प्रतिशत की तुलना में इस तिमाही में हिंदी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 70.35 प्रतिशत हो गया। आशा है इसी प्रकार प्रगति करते हुए कार्यालय द्वारा शीघ्र ही शत-प्रतिशत हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

14.6 एनसीवीईटी में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे उक्त प्रयासों से कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है।

14.7 **परिषद् ने उक्त जानकारी को नोट लिया और संतोषजनक बताया।**

कार्यसूची मद 15 : डीईपी पोर्टल के विकास के लिए सिस्टम इंटिग्रेटर के कार्य की स्थिति/ प्रगति और

एनसीवीईटी डीईपी पोर्टल के लिए क्वाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए अपेक्षित बजट के प्रावधान की सूचना

15.1 परिषद् को संक्षेप में अवगत कराया गया था कि परिषद् की 10वीं बैठक में यह अवगत कराया गया था कि डीईपी पोर्टल (टीसीएस) के विकास के लिए सिस्टम इंटिग्रेटर ने अनेक विचार-विमर्श/ कार्यशालाओं/ बैठकों के बाद अपेक्षा के अनुसार, एनसीवीईटी के सभी चार कार्यों के लिए वायरफ्रेम का विकास किया है। तदोपरांत, वायरफ्रेम की आन्तरिक रूप से समीक्षा की गई थी और साथ ही, उन पर उनके इनपुट के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ साझा भी किया गया। इस प्रकार प्राप्त इनपुट को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। परिषद् को वायरफ्रेम की प्रगति पर अद्यतन स्थिति प्रदान की गई थी, जो नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	कार्य	स्थिति	अभियुक्तियां
1.	अर्हता, एनओएस, माइक्रो/ नेनो क्रेडेंशियल अनुमोदित, जिसमें संशोधन और अंगीकरण शामिल हैं।	प्रगति पर	टीसीएस ने पहले ही टेम्पलेट के आधार पर वायरफ्रेम और एनसीवीईटी द्वारा प्रदान किए गए इनपुट का विकास किया है।
2.	वायरफ्रेम मान्यता - अवार्डिंग निकाय और मूल्यांकन एजेंसी	प्रगति पर	एनसीवीईटी ने वायरफ्रेम की पूर्ण समीक्षा के बाद परियोजना में विलंब को न्यूनतम करने के लिए 3 मई, 2024 को इस माड्यूल के विकास के लिए एक सशर्त अनुमोदन प्रदान किया। टीसीएस ने इसके लिए विकास शुरु किया है। टीसीएस ने इस माड्यूल के लिए 15 मई 2024 को एसआरएस साझा किया है और एनसीवीईटी द्वारा अन्तिम एबी और एए मान्यता प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी समीक्षा की जा रही है।
3.	शिकायत निवारण प्रणाली	प्रगति पर	एनसीवीईटी ने 3 मई, 2024 को इस माड्यूल के विकास के लिए सशर्त अनुमोदन प्रदान किया। टीसीएस ने इसके लिए विकास शुरु कर दिया है।

			टीसीएस ने इस माड्यूल के लिए 8 मई, 2024 को संशोधित एसआरएस साझा किया है।
4.	निगरानी- अवार्डिंग निकाय और मूल्यांकन एजेंसियां	प्रगति पर	टीसीएस द्वारा साझा किया गया संशोधित वायरफ्रेम इनपुट के लिए हितधारकों के साथ साझा किया गया है (कार्य प्रगति पर)

15.2 परिषद् ने अपनी 10वीं बैठक में यह भी अवगत कराया कि एनसीवीईटी के लिए डिजिटल इंटरप्राइज पोर्टल (डीईपी) का विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव करने के लिए सिस्टम इंटिग्रेटर के चयन के लिए आरएफपी के अनुसार, डीईपी आवेदन एनसीवीईटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्लाउड पर डाला जाएगा। क्लाउड को सिस्टम इंटिग्रेटर द्वारा प्रदान की गई अपेक्षाओं के अनुसार उक्त आवेदन को डालने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन पहले ही प्रदान किया जा चुका था। तद्नुसार, एनसीवीईटी ने 5 वर्ष और 6 माही की अवधि के लिए केवल 3,98,65,371.70/- लागत के साथ 10% की भिन्नता (जो कि अनुमोदित परियोजना लागत के अंदर है) और 1 वर्ष की अवधि के लिए 72,48,249.41/- (+ जीएसटी) के अग्रिम भुगतान के लिए एनआईसीएसआई के माध्यम से एनआईसी से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए एनआईसीएसआई से प्रोफार्मा इनवायस प्राप्त किया है।

15.3 अब, डीईपी की विकास प्रक्रिया ऐसी अवस्था पर पहुंच गई है, जहां सिस्टम इंटिग्रेटर को पोर्टल चालू करने के लिए क्लाउड की जरूरत पड़ेगी और पोर्टल चालू करने के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने में कोई भी विलंब ग्राहक (एनसीवीईटी) की जिम्मेदारी होगी और जवाबदेही होगी।

15.4 परिषद् के अनुदेशों के अनुसार, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए अन्तिम लागत पर कार्यसूची पहले ही परिचालन के माध्यम से परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

15.5 **परिषद् ने उपरोक्त इनपुट को नोट किया और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए उसे अनुमोदित किया।**

कार्यसूची मद 16 : एनआईसी, एमईआईटीवाई, भारत सरकार द्वारा जारी डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल (डीबीआईएम) दिशानिर्देशों के अनुसार, एनसीवीईटी वेबसाइट का पुनर्गठन और पुन: डिजाइनिंग

16.1 परिषद् को संक्षेप में बताया गया था कि एनसीवीईटी वेबसाइट हाल ही में मैसर्स सिकोइया फिटनेस और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्रा. लि. द्वारा कौशल व्यवस्था में विभिन्न हितधारकों और एनसीवीईटी अधिकारियों के साथ अनेक हितधारक परामर्शों के बाद, जेम के माध्यम से अपग्रेड किया गया है।

16.2 परिषद् को यह भी अवगत कराया गया था कि परिषद् ने अपनी 10वीं बैठक में, वेबसाइट में आवश्यक अनेक संशोधनों और परिवर्तनों को पहले ही अनुमोदित किया है, ताकि इसे एनसीआरएफ और अन्य नीति और विनियामक परिवर्तनों के साथ संरेखित किया जा सके और ऐसे संशोधनों का अनुबंध में पहले ही प्रावधान किया गया था। मौजूदा वेंडर ने आकलन करके 7,00,000/- (सात लाख रु. केवल) की अतिरिक्त लागत का उल्लेख किया है अथवा शामिल प्रयासों के आधार पर इस अतिरिक्त कार्य को किया है, जिसका मौजूदा वेंडर द्वारा दिए गए अनुमानित श्रम मास प्रयासों को सत्यापित/ जांचने के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) गठित करके मूल्यांकन किया जाना था।

16.3 तदोपरांत, एनआईसी ने यह बताया कि सभी सरकारी वेबसाइट भारत सरकार के डिजिटल फुटप्रिंट के अनुसार होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के डिजिटल फुटप्रिंट पर यूजर इंटरफेस और यूजर अनुभव (यूआई/ यूएक्स) के अनुसार सुसंगत और प्रभावकारी संदेश सुनिश्चित हो सके। तद्नुसार, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी वेबसाइट और ऐप में कंटेंट का केन्द्रीकृत प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल (डीबीआईएम) विकसित किया है। इसके अलावा, सभी मंत्रालयों/ विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया है कि वेबसाइट पर सही और अद्यतन कंटेंट हो, वेबसाइट के उपयोग का पता चल सके, यूआई/ यूएक्स में सुधार हो सके ओर यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय सरकारी वेबसाइट (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए अद्यतन दिशानिर्देशों के साथ अनुपालना हुई है।

16.4 उपरोक्त को देखते हुए, जीआईजीडब्ल्यू दिशानिर्देशों की अनुपालना और उपरोक्त पैरा में प्रस्तावित संशोधनों और परिवर्तनों सहित डीबीआईएम के सफल कार्यान्वयन के लिए

एनसीवीईटी वेबसाइट में वृद्धि आवश्यक है, जो मौजूदा वेन्डर के माध्यम से शुरु नहीं किया गया हो, एनसीवीईटी जीएफआर और जेम प्रक्रिया के अन्तर्गत यथाप्रदत्त विधिवत अनुसरण करके एक वेंडर को ऑनबोर्ड कर सकता है।

16.5 उपरोक्त को देखते हुए, परिषद् से डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल (डीबीआईएम) तथा जीआईजीडब्ल्यू मानकों के प्रावधानों के अनुसार ई-जूम खरीद प्रक्रिया के माध्यम से एक एजेंसी के चयन के लिए 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

16.6 **परिषद् ने उपरोक्त को नोट किया और उसे अनुमोदित किया।**

कार्यसूची मद 17: एनसीवीईटी की अन्य उपलब्धियों की सूचना

17.1 : वर्ष 2020 से एनसीवीईटी द्वारा प्रकाशित नीतियों और दिशानिर्देशों का संकलन

17.1.1 परिषद् को संक्षेप में यह बताया गया था कि एनसीवीईटी ने दिशानिर्देशों और नीतियों का एक व्यापक सेट तैयार किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में वीईटी व्यवस्था का मार्गदर्शन करेंगे। एनसीवीईटी का प्राथमिक लक्ष्य सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, निरंतरता और अनुपालना करना है, ताकि सामूहिक प्रगति के लिए एक अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इस संकलन में भारत में एक मजबूत कौशल व्यवस्था तैयार करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा विकसित व्यापक नीति फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश का ब्यौरा दिया गया है।

17.1.2 इस संकलन में विस्तृत दिशानिर्देश और नीतियां शामिल हैं, जो संस्थानों की मान्यता सहित वीईटी के विभिन्न पहलुओं, प्रशिक्षण के लिए प्रचालनात्मक मैनुअल, मूल्यांकन, प्रमाणन, और मिश्रित अधिगम दृष्टिकोण को शामिल करते हुए तैयार किए गए हैं। इसमें पूर्व अधिगम, आजीवन अधिगम, और कौशल डिप्लोमा दिशानिर्देश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की मूल भावना, सिद्धान्तों और प्रोटोकॉल को शामिल करने पर विचार किया गया है। यह मैनुअल निर्देशालय विधि से मूल्यांकन फ्रेमवर्क तक व्यावसायिक और कौशल उत्कृष्टता के लिए एनसीवीईटी के प्रयासों को संरेखित करता है। इन दिशानिर्देशों और नीतियों का पालन करने

से सभी हितधारकों की साझा योग्यता सुदृढ़ होगी ताकि छात्रों, शिक्षार्थियों, कार्यबल, उद्योग भागीदारों और हितधारकों के लिए प्रभावी तरीके से काम हो सके।

17.1.3 यह संकलन प्रत्येक हितधारक के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल व्यवस्था में उनकी भूमिका का अनुभव के बावजूद अपेक्षित है। इन दिशानिर्देशों में दक्षता और उनका प्रयोग होने से व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल मिशन के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए अनुभवी और पेशेवर दोनों सक्षम होंगे।

17.1.4 **परिषद् ने दिशानिर्देशों और नीतियों का संकलन तैयार करने की पहल की सराहना की और संतुष्टि के साथ प्रगति को नोट किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।**

17.1.5 **यह भी निर्णय लिया गया था और अनुमोदित किया गया था कि एनसीवीईटी विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ निकायों, राज्य सरकारों/ निकायों, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, अवार्डिंग निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों, उद्योग हितधारकों, गणमान्य व्यक्तियों और परिषद् के सदस्यों को नि:शुल्क प्रदान करने के लिए संकलन की संरचना का आकलन करे और जीएफआर/ जेम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उन्हें प्रिंट कराए।**

17.2 मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकायों को क्षमता निर्माण की पहल के संबंध में सूचना

17.2.1 प्रक्रिया के भाग के रूप में, अवार्डिंग निकाय (एबी) के रूप में एनसीवीईटी की मान्यता चाहने वाली संस्थाओं को अनंतिम मान्यता प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) के अनुमोदन के लिए, उनके द्वारा कम से कम एक अर्हता प्रस्तुत करना आवश्यक है।

17.2.2 प्राय: अनंतिम रूप से मान्यता प्राप्त एबी द्वारा प्रस्तुत अर्हताओं में अर्हता विकास के लिए मानकीकृत मानकों की तर्ज पर राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसआरएफ) की समझ और ज्ञान का अभाव होता है। अनंतिम रूप से मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय के समक्ष आई चुनौतियों का समाधान करने के लिए और एनएसक्यूएफ के तहत अर्हता के विकास में सुविधा के लिए एनसीवीईटी प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को 'क्षमता निर्माण कार्यशाला' आयोजित करने की पहल कर रही है, जिसमें कि सभी पात्र और इच्छुक आवेदक अपने आप को

एनसीवीईटी की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकृत करा सकें और इसके लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें।

17.2.3 इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों और स्कूल बोर्डों सहित संस्थाओं के साथ-साथ अन्य हितधारकों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ), आईडीपी, अवार्डिंग निकायों के रूप में संस्थाओं की मान्यता आदि जैसे विभिन्न मामलों पर नियमित रूप से जागरुकता और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं कर रही हैं।

17.2.4 **परिषद् ने इस नोट किया और प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को 'क्षमता निर्माण कार्यशालाएं' आयोजित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया।**

17.2.5 **इसके अलावा, परिषद् ने मांग के आधार पर ये "क्षमता निर्माण कार्यशालाएं' आयोजित करने का भी परामर्श दिया।**

17.2.6 **इसके अलावा, परिषद् ने अर्हता विकास संबंधी क्षमता निर्माण, एनएसक्यूएफ संरेखण आदि के लिए एक डिजिटल पाठ्यक्रम विकसित करने और इसे आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।**

17.3 सरकारी योजनाओं के लिए सैन्य बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की क्षेत्रगत/ भौगोलिक उपलब्धता के लिए अनुदेशकों/ प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का पूल तैयार करना

17.3.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल परिदृश्य कौशल अन्तराल को पूरा करने और युवाओं के बीच रोजगार योग्यता बढ़ाने पर केन्द्रित अनेक पहलों द्वारा, तेजी से संचालित और विकसित हो रहे हैं। इस परिवर्तन के मध्य में राष्ट्रीय मिशन और योजनाएं हैं, जो पीएमकेवीवाई, पीएम विश्वकर्ता, डीडीयूजीकेवाई आदि जैसे विभिन्न कौशलों के साथ व्यक्तियों को तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों का प्रस्ताव करते हैं।

17.3.2 रक्षा बलों से प्रत्येक माह विभिन्न कौशलों में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले काफी संख्या में अत्यधिक अनुभव सैन्य बल कार्मिक (करीब 6,000) सेवानिवृत्त होते हैं। ये कार्मिक सामान्यत: 40 वर्षों के आस पास की अपेक्षाकृत युवा उम्र में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अल्प प्रयुक्त राष्ट्रीय संसाधन रहते हैं। उनकी जल्दी सेवानिवृत्ति होने के कारण, उनमें से कई वर्किंग एज ग्रुप में होते हैं और अपने परिवार से काफी अधिक समय से दूर रहने के बाद वे अपने स्थानीय क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे। उन्हें प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में लगातार उनके सामर्थ्य का प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा।

17.3.3 कौशल व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए इन संसाधनों को जुटाने के लिए एमएसडीई, रक्षा (तीनों सेनाओं) को मिलाकर एक विचार-विमर्श बैठक आयोजित की गई थी और एनसीवीईटी के अध्यक्ष द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। इसे देखते हुए, एनएसडीई ने विभिन्न भूमिकाओं में, राज्य और जिला-वार प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की जरूरतों की एक व्यापक सूची साझा की। साथ ही साथ रक्षा संगठनों ने राज्य और जिला-वार सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों की उपलब्धता के ब्यौरे सहित एक सूची प्रदान की। इन अत्यधिक अनुभव वाले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मान्यताप्राप्त किया जाएगा और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए प्रशिक्षण हेतु नामित संस्थानों में ब्रिज माड्यूल भी शामिल किया जा सकता है।

17.3.4 उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए, उन्हें एमएसडीई/ एमएसएमई की पीएम - विश्वकर्मा - अग्रगामी योजना के लिए निर्धारित तरीके से मूल्यांकन करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिसमें कि एक संस्थान के प्रशिक्षण के लिए दूसरे संस्थान में अभ्यर्थी का मूल्यांकन करने के लिए प्रावधान किया गया है।

17.3.5 प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की उपलब्धता का ब्यौरा एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु एमएसडीई के साथ साझा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि आईएनआई और सीयू भी फेकल्टी को किसी अलग प्रमाणन के बिना अधिकांश कौशल आधरित पाठ्यक्रमों को पढ़ाने में समर्थ किया जा सके और उन्हें प्रमाणित प्रशिक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के समान माना जा सकता है। यहां तक कि ऐसे मामले में भी, जहां पर किसी संस्थान के पास किसी

विशिष्ट कौशल आधारित पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रशिक्षक नहीं होते, तो उनकी अनुदेशकों के पूल से अथवा उद्योग से संबंधित अवार्डिंग निकाय के माध्यम से नियोजन/ व्यवस्था की जा सकती है।

17.3.6 इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी एडजूटेंट जनरल ब्रांच, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को संरेखित करने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है। सेना प्रशिक्षण कमान और महानिदेशक, पुनर्वास द्वारा एक ऐसा मंत्र बनाया जाए जिसमें कि अनुदेशकों की उपलब्धता का नियमित रूप से अद्यतन हो, जिसमें हर माह तीनों सेवाओं से सेवानिवृत्त कार्मिकों को शामिल किया जाए, उसकी सूचना एनसीवीईटी और एमएसडीई के साथ साझा की जाए।

17.3.7 परिषद् ने उपरोक्त को नोट किया और उसे अनुमोदित किया।

17.4 सेवानिवृत्त रक्षा अनुदेशकों और प्रशिक्षकों के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वीईटीएस व्यवस्था में मास्टर प्रशिक्षकों और मास्टर मूल्यांकनकर्ताओं की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूल प्रावधान

17.4.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता अधिगम, कौशल विकास, और रोजगार योग्यता में सुविधा प्रदान करके कौशल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि गुणवत्ता आश्वासन भी सुनिश्चित करते हैं। प्रशिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे एक संरचित और स्वाभाविक तरीके से सूचना प्रस्तुत करके अधिगम प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि मूल्यांकनकर्ता यह सुनिश्चित करके शिक्षार्थियों और प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं कि वे अपेक्षित मानकों और क्षमताओं को पूरा करते हैं।

17.4.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के कार्यान्वयन के साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) का उच्चतर शिक्षा और स्कूल शिक्षा व्यवस्था में एकीकरण समय की जरूरत है, जिसमें समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में गुणवत्तापरक प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की उपलब्धता की और भी आवश्यकता है।

17.4.3 एमएसडीई सहित विभिन्न हितधारकों, कौशल पहल का कार्यान्वयन करने वाले एनएसडीसी और योजनाओं ने कौशल व्यवस्था में गुणवत्तापरक अनुदेशक/ प्रशिक्षक/ मूल्यांकनकर्ता की कमी की समस्या का उल्लेख किया है, जिससे न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बल्कि वीईटीएस योजनाओं की प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

17.4.4 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि प्रशिक्षकों/ मास्टर प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की मौजूदा कमी को दूर करने के उद्देश्य से, एनसीवीईटी ने "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश" के पैरा 8.2 पर प्रावधान का उल्लेख करते हुए एक आदेश जारी किया है - **'रक्षा बलों द्वारा सशक्त मूल्यांकन के बाद अनुदेशकों की पहचान और प्रशिक्षण के लिए अपनाई जा रही कड़ी प्रक्रिया को देखते हुए, भारत के रक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए सभी अनुदेशकों को उनके क्षेत्र में उनके प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए संगत व्यापार/ अर्हताओं में प्रशिक्षित प्रशिक्षक/ मास्टर प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया माना जाएगा। ऐसे अनुदेशकों को सभी प्रयोजनों के लिए अन्य टीओटी प्रमाणित प्रशिक्षकों/ मास्टर प्रशिक्षकों को समतुल्य माना जाएगा।**

17.4.5 तदनुसार, सभी अवार्डिंग निकायों को परामर्श/ अनुरोध किया गया है कि वे आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं के लिए प्रशिक्षण में लगे अनुदेशकों को प्रशिक्षक/ मास्टर प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता/ मास्टर मूल्यांकनकर्ता प्रमाण पत्र प्रदान करें।

17.4.6 इस पहल से सभी व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों/ योजनाओं के कार्यान्वयन को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए और इन अत्यधिक प्रशिक्षित संसाधनों का राष्ट्रव्यापी प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, अपेक्षित अकादमिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक गुणों के साथ अत्यधिक प्रशिक्षित और सुशिक्षित अनुदेशकों और मूल्यांकनकर्ताओं का एक केन्द्रीय पूल तैयार किया जा सकेगा।

17.4.7 **परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।**

17.4.8 **इसके अलावा, परिषद् ने यह सुझाव दिया कि "रक्षा बल अवार्डिंग निकाय" मास्टर प्रशिक्षक/ मास्टर मूल्यांकनकर्ता अर्हता (एनएसक्यूएफ स्तर 6) विकसित कर सकते हैं। इससे उन्हें मूल्यांकन करने और सेवानिवृत्ति के बाद अनुदेशकों की रोजगार योजना में वृद्धि करने वाले उनके संबंधित डोमेन में मास्टर प्रशिक्षक/ मास्टर मूल्यांकनकर्ता की जॉब भूमिकाओं के लिए उनके अनुदेशकों का मूल्यांकन करने और प्रमाणित करने में समर्थ बनाया जा सकेगा।**

17.4.9 **परिषद् ने एमएसडीई को आईटीआई की व्यवस्था में इन सेवानिवृत्त रक्षा बलों के अनुदेशकों को नियुक्त करने के लिए समुचित प्रावधान करने के लिए कहने का भी परामर्श दिया है।**

17.5 राष्ट्रीय स्तर के फ्रेमवर्क को तैयार करने और अन्तिम रूप देने में एनसीवीईटी की भूमिका

17.5.1 परिषद् को माननीय प्रधान मंत्री के भारत को "दुनिया की कौशल राजधानी" बनाने के विजन के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों में अनेक पहलों की अगुवाई/ समर्थन करने में कौशल के एक राष्ट्रीय नियामक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया था। तद्नुसार, एनसीवीईटी ने निम्नलिखित नीतियों/ फ्रेमवर्क के प्रारूपण/ अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है :-

क) हरित ऊर्जा कौशल क्षमता फ्रेमवर्क
ख) एकीकृत डिजिटल कौशल क्षमता विकास फ्रेमवर्क
ग) राष्ट्रीय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कार्यक्रम (एनपीएआई) कौशल फ्रेमवर्क
घ) सेमी कंडक्टर उद्योगों में कौशल के लिए रणनीतियां और कार्य योजना।

17.5.2 इन फ्रेमवर्क की कुछ बुनियादी विशेषताएं, उद्देश्य और स्थिति नीचे दी गई है:-

क) **हरित ऊर्जा कौशल क्षमता फ्रेमवर्क** : फ्रेमवर्क में अनिवार्य कौशलों की पहचान करना शामिल है, जैसे अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और सतत डिजाइन, वर्तमान कार्यबल कौशल अन्तराल का मूल्यांकन और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शैक्षणिक संस्थानों के साथ डिजाइनिंग। इसमें प्रमाणन मानकों की स्थापना करना, उद्योग की सरकारी

भागीदारियों को प्रोत्साहित करना, वित्तपोषण और संसाधन प्राप्त करना और मूल्यांकन मेट्रिक्स कार्यान्वित करना भी शामिल है।

ख) **एकीकृत डिजिटल कौशल विकास फ्रेमवर्क :** एक एकीकृत डिजिटल कौशल क्षमता फ्रेमवर्क के विकास के कार्यसूची में, अनिवार्य डिजिटल कौशलों की पहचान करना शामिल है, जैसे साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, एआई और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्रों में डिजिटल कौशल, इन्हें आगे निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है :-

i. बुनियादी डिजिटल साक्षरता
ii. वैश्विक डिजिटल प्रवीणता
iii. टेक फुलेट
iv. डिजिटल पायनियर; और
v. क्रास सेक्टरल

इसमें कौशल व्यवस्था और एचईआई से शैक्षणिक संस्थानों के साथ विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों की डिजाइनिंग, प्रमाणन मानकों की स्थापना और उद्योग हितधारकों व सरकारी निकायों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है।

ग) **राष्ट्रीय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कार्यक्रम (एनपीएआई) कौशल फ्रेमवर्क:** यह रिपोर्ट कौशल और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2023 के का.ज्ञा. सं. ईपी/21/2023-पीओएल-सीडीएन के तहत अनुमोदित की गई है और इसका उद्देश्य सामान्य एआई सहित आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) में आवश्यक कौशलों के साथ राष्ट्र को तैयार करना है। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख प्रावधानों/ सिफारिशों में कौशलों के अत्यंत महत्व पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

i. एआई में कौशल अपेक्षाओं को तीन व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) **"सभी के लिए" :** अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए, जिन्हें एआई इंटरफेस एवं टूल्स का प्रभावी उपयोग करने, जिम्मेदार एआई प्रक्रियाओं को समझने और

संभावित नुकसानों का पता लगाने के लिए बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल आवश्यक है।

(ख) **"कई" के लिए :** इसमें एआई आधारित व्यक्ति शामिल हैं, जो उत्पादकता बढ़ाना, एआई टूल्स का उपयोग करना और अपने संबंधित क्षेत्रों में एआई के प्रयोग को प्राप्त करना शामिल है।

(ग) **"कुछ" के लिए :** एआई कौशल व्यावसायिक, जिनके पास डिजिटल मास्टरी शामिल है, कोडिंग, डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, और क्लाउड केप्चूरिंग, सूचना सुरक्षा और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकों जैसे क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता शामिल है ताकि उन्हें एआई उत्पादन विकसित किए जा सकें और क्षेत्रों में सोल्यूशन शामिल हैं। इसमें विशिष्ट नए क्षेत्र जैसे स्पष्ट करने योग्य एआई, एआई के लिए विधि और विधि में एआई भी शामिल हैं, जिसे तैयार किया जाएगा।

ii. रिपोर्ट में ऐसे पाठ्यक्रमों का उच्च स्तरीय ब्यौरा प्रदान किया गया है, जो मौजूद हैं और जो भावी मांग को पूरा करने के लिए आईटी उद्योग और अन्य कारोबारी क्षेत्रों में सृजित किए जा सकते हैं। इसमें एआई पर फोकस वाले प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, उद्योग के नेताओं के साथ भागीदारियों का सृजन, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन और तकनीकी भागीदारों के साथ सहयोग की जरूरत के साथ एआई के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना शामिल है।

इसमें शामिल कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

(क) एआई की शुरुआत स्कूल में शुरुआती स्तर पर ही की जानी चाहिए, जहां पर बच्चों को एआई टूल्स का प्रयोग करना सिखाया जा सकता है और यह बताया जा सकता है कि एआई क्या है और यह पहचानना कि एआई का प्रयोग कहां किया जा रहा है।

(ख) विभिन्न स्रोतों से बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम सामग्रियां उपलब्ध हैं। नया कंटेट सृजित करने के साथ साथ मौजूदा कंटेंट को प्रोत्साहित किया जाए और

श्रोताओं के आधार पर अनेक माध्यम जैसे स्वयं के प्रयासों से और मिश्रित माध्यमों से इसे जुटाया जा सकता है।

(ग) सभी पाठ्यक्रमों, छोटे और बड़े, में कम से कम 10% अवधि के लिए नैतिकता एआई पर माड्यूल होना चाहिए। नैतिकता, पारदर्शिता और निजता को एआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एआई सिस्टम जिम्मेदारी से विकसित और तैनात किया गया है।

(घ) **सेमी कंडक्टर उद्योगों में कौशल के लिए रणनीतियां और कार्य योजनाएं**: सेमी कंडक्टर इलैक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसकी वैश्विक रूप से कमी के कारण आर्थिक विकास और जॉब पर प्रभाव पड़ रहा है। इन संवेदनशीलताओं का समाधान करने के लिए, भारत का उद्देश्य सेमी कंडक्टर डिजाइन, निर्माण, और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक हब बनना है। अनुमानों के साथ यह सुझाव देते हुए कि भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक करीब 64 बिलियन डॉलर हो सकेगा, जो वर्ष 2019 में इसके मूल्य का तीन गुणा है, उद्योग में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास संचालक बनने की संभावना है।

iii. तदनुसार, सेमीकंडक्टर उद्योग में कुशल कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में रणनीतियां और कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति की सन्दर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :-

(कक) सेमीकंडक्टर की मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में सेमिकंडक्टर उद्योग की जरूरतों की पूर्ति करने वाले कौशल और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों सहित अल्पावधिक और दीर्घावधिक कौशल पहल, दोनों के लिए रणनीतियां बनाना।

(खख) निवेश कंपनियों के साथ अनुबंध, जैसे विशिष्ट कौशल वाले कार्यबल की जरूरतों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसे

निवेश कंपनियों को अनुबंधित करना, जिससे कि संरचनात्मक प्रशिक्षण योजना तैयार हो सके।

(गग) तकनीकी संस्थानों (इंजीनियरिंग और बहुतकनीकी संस्थान) में सेमीकंडक्टर तथा भारत में ऐसी अन्य सुविधाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना जुटाने के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम सम्मिश्रण की पहचान करना।

iv. समिति ने भारत सेमिकंडक्टर प्रणाली तंत्र कार्यबल विकास रणनीति रिपोर्ट के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क की संरचना को अंतिम रूप दिया है और इसके विकास के संबंध में सुझाव पर चर्चा की गई थी। यह रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

17.5.3 **परिषद् ने राष्ट्रीय स्तर के फ्रेमवर्क तैयार करने और अन्तिम रूप देने में प्रणाली तंत्र की सहायता में एनसीवीईटी की भागीदारी की सराहना की।**

कार्यसूची मद 18 : सलाहकार ग्रेड-II के पारिश्रमिक की वार्षिक समीक्षा के संबंध में

18.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि दो वरिष्ठ सलाहकारों, श्री शौर्य संगम और सुश्री सारिका दीक्षित को 03/02/2023 से सलाहकार ग्रेड II के रूप में शुरुआत में दो वर्षों की अवधि के लिए, 1,45,000/- प्रति माह, प्रत्येक के समेकित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया था, जिसे श्री शौर्य संगम के मामले में 1,58,200/- प्रति माह और सुश्री सारिका दीक्षित के संबंध में 1,51,800/- प्रति माह के पारिश्रमिक के साथ, उनकी सलाहकार ग्रेड-II के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से आगे संशोधित किया गया था। दोनों ने 02/02/2024 को एक वर्ष पूरा कर लिया है।

18.2 एनसीवीईटी में सलाहकारों की नियुक्ति के लिए मौजूदा प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के पैरा 6.3(क) (नीति आयोग के अंगीकृत दिशानिर्देशों में, यह प्रावधान है कि यदि अनुबंध एक वर्ष से अधिक की अवधि का है, तो एक वर्ष पूरा होने के बाद वार्षिक आधार पर, सलाहकार के

पारिश्रमिक की समीक्षा की जा सकती है)। पारिश्रमिक में बढ़ोतरी समीक्षा समिति की सिफारिश के बाद और एनसीवीईटी के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संबंधित सलाहकार के कार्य प्रदर्शन के आधा पर की जा सकती है। यह वृद्धि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पारिश्रमिक के 10% तक होगी।

18.3 तदनुसार, एक वर्ष पूरा होने के बार एनसीवीईटी में अनुबंधित सभी सलाहकारों/ युवा पेशवरों के पारिश्रमिक की समीक्षा करने के लिए और एनसीवीईटी में सलाहकारों/ युवा पेशवरों की नियुक्ति के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सलाहकारों/ युवा पेशेवरों के पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की सिफारिश करने के लिए दिनांक 28.09.2022 के आदेश सं. 11001/21/2019/एनसीवीईटी/1215 के तहत एक समिति गठित की गई थी। समिति की संरचना इस प्रकार है :-

(क) डॉ. विनीता अग्रवाल - कार्यकारी सदस्य, सदस्य

(ख) डॉ. नीना पाहुजा - कार्यकारी सदस्य, सदस्य

(ग) कर्नल संतोष कुमार - सदस्य सचिव एवं निदेशक

18.4 परिषद् को यह सूचित किया गया था कि एनसीवीईटी को दिनांक 27/02/2024 के आवेदन के तहत वर्तमान 10% की बजाय उनका पारिश्रमिक 20% बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध के साथ श्री शौर्य संगम और सुश्री सारिका दीक्षित से एक लिखित पत्र के तहत अनुरोध प्राप्त हुआ था।

18.5 तदनुसार, श्री शौर्य संगम और सुश्री सारिका दीक्षित, दोनों सलाहकार ग्रेड-II के संबंध में रिपोर्टिंग वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट को, उपरोक्त प्रक्रिया के पैरा 6.3(क), 6.3(ख) और 6.3(ग) तथा दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार उनके पारिश्रमिक की समीक्षा के लिए स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इन दो सलाहकारों से उनके पारिश्रमिक में वर्तमान 10% की सीमा से अधिक वृद्धि के लिए

प्राप्त आवेदनों/ अनुरोधों को इस संबंध में समुचित सिफारिशें करने के लिए समिति के समक्ष विचारार्थ भी रखा गया था।

18.6 समिति ने दोनों सलाहकारों का प्रदर्शन मूल्यांकन करने के बाद अपनी रिपोर्ट/ सिफारिश प्रस्तुत की थी और दोनों सलाहकारों के पारिश्रमिक में 10% वार्षिक की वृद्धि की सिफारिश की थी।

18.7 इसके अलावा, नीति आयोग के दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित वार्षिक वृद्धि से आगे जाकर, समिति ने **एनसीआरएफ और संगत एसओपी, एबीसी, एमएनसी दिशानिर्देशों और अन्य जैसी विगत एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण प्रभावकारी परिवर्तनों वाली राष्ट्रीय नीतियों में उनके महत्वपूर्ण योगदान** और आदेश जारी होने की तारीख से एनसीवीईटी में कम से कम 06 माह की निरंतर सेवा के प्रावधान के साथ, इन दोनों सलाहकारों के संबंध में अतिरिक्त 5% की वृद्धि अर्थात एक वर्ष पूरा होने की तारीख से कुल 15% की वार्षिक वृद्धि की भी सिफारिश की थी।

18.8 परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया। उक्त सलाहकारों द्वारा 6 माह की अवधि से पूर्व कार्यालय को त्यागने के मामले में, अतिरिक्त 5% की प्रदान की गई वृद्धि (अर्थात 10% से आगे वृद्धि) को वापस करना जरूरी होगा।

कार्यसूची मद 19 : प्रशासन और वित्त विंग, एनसीवीईटी से संबंधित मामले

19.1 : श्री अमीर वाहिद, सलाहकार ग्रेड-I, एनसीवीईटी द्वारा त्याग-पत्र से पूर्व की नोटिस अवधि को आंशिक रूप से माफ करना

19.1.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी के दिनांक 16.03.2022 को हुई अपनी 5वीं परिषद् बैठक में एनसीवीईटी में सलाहकारों की नियुक्ति के लिए नीति आयोग के

दिशानिर्देशों और क्लॉज 3.9 के अनुसार, "व्यक्तिगत सलाहकार नीति आयोग को एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने की भी मांग कर सकता है" को अपनाया है।

19.1.2 परिषद् को यह भी सूचित किया गया था कि श्री अमीर वाहिद, सलाहकार ग्रेड-I, एनसीवीईटी ने अपने दिनांक 12.03.2024 के ईमेल पत्र के तहत सलाहकार ग्रेड-I के पद से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने **पिता की अचानक हुई मृत्यु के कारण घर पर अप्रत्याशित घरेलू समस्याओं** का उल्लेख किया था और उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए नोटिस अवधि को माफ करने पर विचार करने का अनुरोध था। श्री वाहिद ने पुन: अपने दिनांक 15.03.2024 के औपचारिक पत्र के तहत अनुबंध की समाप्ति के लिए अपने एक माह के नोटिस की अवधि में 11 दिनों की कमी को माफ करके 31/03/2024 को उन्हें कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया था।

19.1.3 सक्षम प्राधिकारी ने श्री अमीर वाहिद, सलाहकार ग्रेड-I की त्याग-पत्र की बाध्यकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था और उन्हें नोटिस अवधि में 11 दिनों की कमी को माफ करते हुए दिनांक 31/03/2024 (अपराह्न) को कार्यमुक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

19.1.4 तथापि, कुछ अपरिहार्य/ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण, श्री अमीर वाहिद ने दिनांक 22/03/2024 को एनसीवीईटी में अन्तिम बार उपस्थिति दी थी, अत: उन्हें 31/03/2024 को कार्यमुक्त करने के अनुमोदन की तारीख से 09 दिनों के अन्य कमी के परिणामस्वरूप 22.03.2024 को एनसीवीईटी से कार्यमुक्त किया गया है, जिसे उनके वेतन के अन्तिम निपटान कर उनके बकाया अवकाश/ वेतन से समायोजित किया जा रहा है। परिषद् से उनके एक पूरे माह की नोटिस अवधि के लिए 11 दिनों की कमी को माफ करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

19.2: एनसीवीईटी में अनुसंधान सहायक के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना

19.2.1 परिषद् को संक्षेप में यह अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी में अनुसंधान सहायक का एक नियमित पद सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बड़ी शास्ति लगाए जाने के दिनांक 21.04.2023 के शास्ति आदेश के खिलाफ दिनांक 07.05.2023 की अपील का अन्तिम रूप से निपटान होने के बाद 31.01.2024 से रिक्त है।

19.2.2 यह भी सूचित किया गया था कि वर्तमान में आरोपित अधिकारी ने मामले में एक न्यायिक मामला दायर किया है। चूंकि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीन है, अत: रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए प्रस्तुत किया गया था ताकि पद को 'समाप्त माना गया' होने से बचाया जा सके, क्योंकि 12 पद पहले ही 'समाप्त माने गए' हो चुके हैं और उनकी बहाली के लिए प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को एमएसडीई के माध्यम से भेजा गया है।

19.2.3 **परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।**

19.3 : जेम के माध्यम से शामिल सप्लाई वेंडर के नए मैनपावर संसाधनों के द्वारा मौजूदा मैनपावर संसाधनों को जारी रखना

19.3.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी में चूंकि निम्नलिखित मौजूदा मैनपावर का अनुबंध माह जून, 2024 में पूरा हो रहा है, अत: आउटसोर्स मैनपावर संसाधनों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए सप्लाई वेंडर के नए मैनपावर संसाधनों के चयन के लिए जेम पर बोली डालने की प्रक्रिया चल रही है :-

क) कार्यालय सहायक
ख) लेखा सहायक
ग) डेटा इन्ट्री ऑपरेटर (स्नातक स्तर)

घ) स्टॉफ कार ड्राइवर

ड.) एमटीएस

च) हाउस कीपिंग

19.3.2 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि चूंकि जेम के नए इन्टरफेस पर क्रेता द्वारा मौजूदा मैनपावर संसाधनों को आगे बढ़ाने का विकल्प दिया गया है, अत: मौजूदा मैनपावर संसाधनों को, संबंधित वर्टिकल/ रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक पदधारी का संतोषजनक कार्य निष्पादन पूरा होने पर, जेम पर बोली डालते समय उन्हें जारी रखने का विकल्प अपनाने का प्रस्ताव है, ताकि अबाध और सुचारु कार्यकरण हो, क्योंकि मौजूदा मैनपावर के स्थान पर नए पदधारी को रखने से एनसीवीईटी के कार्यकरण पर अवरोध आ सकता है, क्योंकि उन्हें एनसीवीईटी की कार्यात्मक अपेक्षाओं से परिचित कराने में काफी समय लग सकता है।

19.3.3 **परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और जेम पोर्टल पर नए टेंडर के लिए जाते समय मैजूदा प्रशिक्षित मैनपावर को जारी रखने के संबंध में एक क्लॉज शामिल करने के लिए अनुमोदन दिया।**

19.4 : ई-ऑफिस सिस्टम का कार्यान्वयन करना, मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करना और एनसीवीईटी के पुराने भौतिक दस्तावेज़ों/फाइलों को नष्ट करने के लिए नीति बनाना

19.4.1 परिषद् को संक्षेप में यह बताया गया था कि एमएसडीई ने कार्यालय के डिजिटाइजेशन सहित विभिन्न योजनाओं/ क्रियाकलापों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वच्छता कार्य योजना तैयार की है। तदनुसार, एनसीवीईटी का ई-ऑफिस सिस्टम को कार्यान्वित करके कागज रहित कार्यालय मोड के लिए आगे कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

19.4.2 इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी में मौजूदा भौतिक रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करने की योजना बनाई गई है। एनसीवीईटी ने सभी भौतिक दस्तावेजों के श्रेणीकरण, उनको रखने/ नष्ट करने

के संबंध में समीक्षा की है। एनसीवीईटी में एनसीवीईटी द्वारा रखे जा रहे विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए आन्तरिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

19.4.3 प्रस्ताव को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ताकि अलग ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए और जीएफआर/ जेम के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने और सरकार की समग्र नीति के आलोक में एनसीवीईटी द्वारा रखे जा रहे दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग से नष्ट करने संबंधी नीति तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरु करने का अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करें।

परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

19.5: एनसीवीईटी में दैनिक कार्य के लिए अग्रिम धनराशि में संशोधन करना

19.5.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि एबी और एए की मान्यता, अर्हताओं के अनुमोदन, कौशल व्यवस्था के नियमन के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों के विकास आदि के संदर्भ में किए जा रहे कार्यों के अनुसरण में अवार्डिंग निकायों/ हितधारकों के साथ फिजिकल बैठकें और बातचीत समय पर अनुमोदनों के लिए लगभग प्रति दिन की जा रही है। इसके अलावा, विभिन्न नियामक निकायों के दिशानिर्देशों पर समितियों, अवार्डिंग निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही है ताकि इस संबंध में दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में सहायता हो सके।

19.5.2 उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न पात्र संस्थाओं को अवार्डिंग निकायों/ मूल्यांकन एजेंसियों का दर्जा प्रदान करने के लिए उप-समिति की बैठकों और करार हस्ताक्षर के लिए नियमित बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी संगठनों/ संस्थानों और राज्य सरकार के

प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि इन संस्थाओं को एनईपी 2020 के अन्तर्गत एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित किया जा सके।

19.5.3 परिषद् को यह जानकारी दी गई थी कि वर्तमान में अग्रिम राशि की सीमा 25,000 रु. है और सभी आतिथ्य व्यय एनसीवीईटी की अग्रिम राशि से किए जा रहे हैं। आतिथ्य व्ययों के अलावा, अन्य विविध अत्यावश्यक व्यय भी इस अग्रिम राशि से किए जा रहे हैं। यह पाया गया है कि 25,000 रु. की वर्तमान सीमा एनसीवीईटी की बढ़ी हुई कार्यात्मक अपेक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि लगभग एकान्तर दिन पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया करनी आवश्यक होती है।

19.5.4 तदनुसार, आतिथ्य और अन्य तात्कालिक व्ययों को पूरा करने की कार्यात्मक आवश्यकता पर विचार करते हुए और कम से कम साप्ताहिक आधार पर पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया करने की जरूरत को देखते हुए, परिषद् से अनुरोध किया गया था कि 20,000/- की सिंगल वाउचर की अधिकतम सीमा के साथ 1,00,000/- (एक लाख रु.) की अग्रिम राशि की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जाए।

19.5.5. **परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया।**

19.6: एनसीवीईटी में वर्चुअल माध्यम से इंटर्न को लगाने का प्रावधान

19.6.1 परिषद् को यह जानकारी दी गई थी कि (7वीं) परिषद् बैठक में, जो 12.12.2022 को हुई थी, एनसीवीईटी में इंटर्नशिप के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड में, अन्य संशोधनों के अलावा, "स्नातक (अंतिम वर्ष) करने वाले अथवा स्नातक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों" के रूप में संशोधन/ समावेशन किया गया था। परिषद् ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि इंटर्नशिप की नीति में आगे कोई भी परिवर्तन, आवश्यकता के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाएगा, जिसे परिषद् द्वारा पुष्टि कराई जानी है।

19.6.2 तदोपरांत, परिषद् ने अपनी आठवीं (8वीं) बैठक में, जो 20 मार्च, 2023 को हुई थी, यह अवगत कराया था कि कुछ इंटर्न आवेदकों से वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम पर उन्हें इंटर्नशिप की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। मामले पर एनसीवीईटी में चर्चा की गई थी और परिषद् ने निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन वर्चुअल इंटर्न की लगाने की पुष्टि की :

क) "इंटर्न" इंटर्नशिप दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हों।

ख) वर्चुअल माध्यम पर कार्य करने वाले इंटर्न को एनसीवीईटी द्वारा कोई इंटर्नशिप राशि भुगतान नहीं की जाएगी।

ग) यह एनसीवीईटी परिषद् द्वारा अनुमोदित कुल 10 इंटर्न के अलावा होंगे।

घ) वर्चुअल इंटर्न को मापनयोग्य आउटपुट के साथ विशिष्ट परियोजना दी जाएगी।

ड.) इंटर्नशिप प्रमाणपत्र, परियोजना सफलतापूर्वक पूरी होने और संबंधित निदेशक द्वारा इसका मूल्यांकन पूरा होने के अध्यधीन जारी किया जाएगा।

19.6.3 स्नातक (अंतिम वर्ष) करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड में छूट देकर 04 वर्षीय बी.टेक. कार्यक्रम के दो 3 वर्षीय छात्रों की वर्चुअल/ ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और एनसीवीईटी परिषद् द्वारा 21 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में उसकी पुष्टि की गई है।

19.6.4 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि वर्तमान में, एक और छात्र नामत: श्री गर्वित सिंघल, चार (04) वर्षीय प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी के तृतीय वर्ष के छात्र ने दो माह के वर्चुअल/ ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए अनुरोध किया है। उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटर्न पृष्ठभूमि की अपेक्षा पर विचार

करते हुए, यह प्रस्ताव है कि श्री गर्वित सिंघल का स्नातक (अंतिम वर्ष) करने की न्यूनतम पात्रता के मानदंड में छूट प्रदान करते हुए अनुरोध पर विचार किया जाए।

परिषद् ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया और यह सुझाव दिया कि ऐसे सभी प्रतिभावान छात्रों, जो विभिन्न कौशल पहलों के लिए योगदान करने के लिए इच्छुक और योग्य हैं, इंटर्नशिप के अवसर (वर्चुअल मोड में) प्रदान करने का सुझाव दिया। उन छात्रों के लिए शैक्षणिक स्तर/ स्थिति पर अध्यक्ष के स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक संशोधनों को भी दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।

कार्यसूची मद 20: अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अनुमति से कोई अन्य कार्यसूची

20.1: नीति आयोग 2023 में वरिष्ठ परामर्शदता/ सलाहकार ग्रेड-II/ सलाहकार ग्रेड-I/ युवा पेशवर की नियुक्ति के लिए समुचित परिवर्तनों के साथ नवीनतम प्रक्रिया और दिशानिर्देशों को अपनाना

20.1.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि एनसीवीईटी ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 2022 को हुई 5वीं बैठक में सलाहकारों/ वरिष्ठ सलाहकार/ युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए नीति आयोग के मार्गनिर्देशों से प्रक्रिया को अपनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। एनसीवीईटी ने दिनांक 28.04.2022 के एनसीवीईटी का.ज्ञा.सं. 11001/02/2022/एनसीवीईटी/964 के तहत दिशानिर्देशों में सेशोधन होने के समय तक अथवा नए दिशानिर्देश जारी होने तक के लिए अधिसूचित किया था।

20.1.2 इसके अलावा, परिषद् को यह जानकारी दी गई थी कि नीति आयोग ने दिनांक 7 जुलाई, 2023 के परिपत्र सं. ए-12036/2/23-प्रशा.Iबी के तहत संशोधित दिशानिर्देश और दिनांक 7 दिसंबर, 2021 को जारी पहले के दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में वरिष्ठ सलाहकारों/ सलाहकार ग्रेड-II/ सलाहकार ग्रेड-I/ युवा पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रकाशित किया है।

20.1.3 उपरोक्त कार्रवाई को देखते हुए, परिषद् के समक्ष सलाहकारों/ युवा पेशेवरों को हायर करने के लिए यथा अपेक्षित उपयुक्त परिवर्तनों के साथ नीति आयोग के नवीनतम दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव किया गया था।

20.1.4 **परिषद् ने संशोधित नीति आयोग दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इसके अलावा, परिषद् सदस्य ने यह सुझाव दिया कि पद/ जॉब भूमिकाओं को सलाहकारों/ युवा पेशेवरों के अधिक अनुकूल बनाने और युवा पेशेवरों जैसे नामकरण बदलकर उन्हें आकांक्षी और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सहायक प्रबंधक आदि जैसे कार्यात्मक आधार के नाम रखे जाएं।**

20.2 परिषद् के अध्यक्ष/ कार्यकारी सदस्यों द्वारा व्याख्यान/ कार्यशाला जैसे मानद कार्य करने की अनुमति देना, क्योंकि यह अध्यक्ष/ कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कर्त्तव्य के अनुसार नहीं है।

20.2.1 परिषद् को संक्षेप में यह अवगत कराया गया था कि क्लॉज 6(2) के अन्तर्गत एनसीवीईटी राजपत्र अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि *"परिषद् एक कार्यकारी सदस्य को लिखित में ऐसे मानद कार्य करने की अनुमति दे सकती है, जो कार्यकारी सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्य के अनुसार न होने की संभावना है।"*

20.2.2 अध्यक्ष और ईएम, एनसीवीईटी को विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी/ गैर सरकारी संस्थाओं और शिक्षा, उद्योग व कौशल व्यवस्था की संस्थाओं द्वारा व्याख्यान देने/ प्रतिष्ठित पैनलिस्ट बनाने/ स्पीकर/ कार्यशाला/ सेमिनार, टीम शिक्षा पाठ्यक्रमों के आयोजन अथवा पुस्तकें लिखने/ प्रकाशनों, मानद अथवा संबद्ध प्रोफेसर आदि बनने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है।

20.2.3 तदनुसार, परिषद् के समक्ष यह प्रस्ताव किया गया था कि एनसीवीईटी के अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों को मानद आधार पर उपरोक्त क्रियाकलापों को करने के लिए अनुमति देने

पर विचार करें और अनुमोदन प्रदान करें, बशर्ते एनसीवीईटी के कार्य और उद्देश्यों के साथ कोई हित टकराव न हो।

20.2.3.परिषद् ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।

20.3 निर्माण ग्रेड-I के पारिश्रमिक की वार्षिक समीक्षा के संबंध में

20.3.1 परिषद् को यह अवगत कराया गया था कि सुश्री शीतल भंडारी को दिनांक 4 जनवरी, 2023 से अनुबंध आधार पर सलाहकार ग्रेड-I के रूप में अनुबंधित किया गया था। सलाहकार ने दिनांक 15 मार्च, 2023 को अपनी प्रोफाइल, अनुभव और अपने पिछले संगठन के वेतन/ भुगतान को देखते हुए अपना पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए निवेदन किया था।

20.3.3 तदनुसार, सलाहकार के अनुरोध की समीक्षा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि उनके प्रतिवेदन पर उनके वर्तमान वेतन का अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन समिति के समक्ष उपयुक्त सिफारिशें/ निर्णय के लिए विचार किया जाएगा। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद, दिनांक 28.09.2022 के आदेश के तहत गठित एक आंतरिक सदस्य के साथ गठित स्थायी समिति की एक बैठक 28 मई 2024 को आयोजित की गई ताकि सलाहकार के अनुरोध पर विचार किया जा सके और यह निर्णय लिया गया था कि इस विलंब की अवस्था में आधार वेतन बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा। तथापि, विगत एक वर्ष में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, मामला परिषद् के समक्ष 1.35 गुणा तक पारिश्रमिक वृद्धि के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जो कि नीति आयोग के नए दिशानिर्देशों, जो एनसीवीईटी द्वारा अपनाए गए थे, के अनुसार 11वीं परिषद् बैठक में परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

20.3.4 तदनुसार, परिषद् के समक्ष यह प्रस्ताव किया गया था कि उनका मौजूदा पारिश्रमिक को 80,000/- से 1.35 गुणा बढ़ाया जाए और विगत एक वर्ष की वार्षिक कार्य-निष्पादन

मूल्यांकन समीक्षा (एपीएआर) के आधार पर विचार करने की तिथि से फरवरी, 2024 से 1,08,000/- पर निर्धारित किया जाए।

20.3.5 परिषद् ने उनके द्वारा उनकी नियुक्ति के बाद पिछले वर्ष में, विशेष रूप से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रकाशन एवं अन्य क्रियाकलापों में उल्लेखनीय वृद्धि किए जाने का उत्कृष्ट कार्य पूरा किए जाने को नोट किया और नीति आयोग के संशोधित दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत उपरोक्त प्रस्ताव पर पारिश्रमिक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

Annexure I

Name of Member	Designation	Remarks
1. Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi	Chairperson, NCVET	Attended Physically
2. Dr. Vinita Aggarwal	Executive Member, NCVET	Attended Physically
3. Dr. Neena Pahuja	Executive Member, NCVET	Attended Physically
4. Shri Nilambuj Sharan	Non-Executive Member, NCVET & Senior EA, MSDE	Attended Physically
5. Dr. Rajneesh, IAS	Non-Executive Member, NCVET & Additional Secretary and Development Commissioner, Ministry of MSME	Attended Physically
6. Shri. Abhishek Singh	Non-Executive Member, NCVET and Additional Secretary, MEITY	Attended Physically
7. Shri Govind Jaiswal, IAS	Non-Executive Member, NCVET & Joint Secretary, Dept of Higher Education.	Attended in Online mode
8. Col. Santosh Kumar	Director, NCVET & Secretary to the Council	Attended Physically
9. Col. Gunjan Chowdhary	Director, NCVET	Attended Physically
10. Dr. Suhas Deshmukh	Director, NCVET	Attended Physically
11. Shri Purnendu Kant	Director, NCVET	Attended Physically

Annexure II

Sl. No.	ATR Agenda	Decision of Council in 10th meeting of NCVET Council	Action Taken
2.1	**Agenda Item 6**: Finalization and Approval of **SOPs for operationalization and implementation of National Credit Framework (NCrF)** in Vocational Education, Training and Skilling (VETS) including in Higher Education (HE) and School Education (SE) after due Public Consultation.	All three SOPs were to be shared with Council members for any additional inputs/suggestions	Compliance has been met. All three SOPs have been shared with the Council members via email dated 16th May 2024.
2.2	**Agenda Item 7:** Reporting on the status of the development of **Guidelines on Digital Content Creation and Quality framework"** and seeking council approval for public consultation, finalization and notification.	The Council had accorded approval to upload on the website for public consultation with a copy to the major stakeholders. The Council members were also requested to share their comments/feedback which may be incorporated in the guidelines.	Compliance has been met and is being presented as a separate agenda for the ratification.
2.3	**Agenda Item 8**: Reporting on the status of the development of **Guidelines for Information & Data Security** for internal use of NCVET and approval for public consultation, finalization and notification	The Council had accorded approval to upload the guidelines on the website for public consultation with a copy to the major stakeholders. The Council members were also requested to share their comments/feedback which may be incorporated in the guidelines.	Compliance has been met and is being presented as a separate agenda for the ratification.
2.4	**Agenda Item 9:** Reporting on the status of the development of **Guidelines for providing Comprehensive Accessibility Standards for the training of Persons with Disabilities** and approval for public consultation, finalization and Gazette Notification.	The Council members were requested to share their comments/feedback which may be incorporated in the guidelines before notification.	No additional comments have been received from the council members. The final Guidelines after incorporating all the comments received have been notified on the website on 2.4.2024.
2.5	**Agenda Item 10:** Reporting the status of the comprehensive revision of the **Guidelines or Recognition and regulation of Awarding Bodies** in alignment with NEP 2020 and National Credit Framework (NCrF) and	The Council had directed to circulate the final comprehensively revised guidelines among the members before notification.	The draft Guidelines was shared with all the Council members vide email dated 10.05.2024 and also uploaded on the NCVET website for wide public consultation on 09.05.2024 for a minimum period of 21

	National Skill Qualification Framework (NSQF).		days i.e., from 09.05.2024 to 29.05.2024, and is being **presented as a separate agenda for approval.**
2.6	**Agenda Item 11:** Reporting the status of comprehensive revision of the **Guidelines for Recognition and regulation of Assessment Agencies** in alignment with NEP and National Credit Framework (NCrF) and National Skill Qualification Framework (NSQF).	It was decided that the final guidelines so prepared may be sent as an agenda by circulation for approval of the guidelines before notification.	The draft Guidelines are uploaded on the NCVET website for public consultation on 02.05.2024 for a minimum period of 21 days i.e., from 02.05.2024 to 23.05.2024. The same is shared with all the Council members vide email dated 02.05.2024
2.8	**Agenda Item 15:** Reporting the status of **Registration and on-boarding of the NCVET recognized Awarding Bodies and Assessment Agencies and provisioning a Dashboard for NCVET on SIDH**.	The council had directed NSDC to expedite the facilitation of registration process of NCVET recognised ABs and AAs through NCVET and provisioning of process of a Dashboard for NCVET on SIDH with respect to regulatory aspects and directed that NSDC be communicated to expedite the enabling provisions for smooth and efficient functioning of regulatory provisions in the skill ecosystem.	The login credentials have been provided to the NCVET. **53 Awarding bodies and 60 Assessment Agencies** have been registered on the SIDH. 13 ABs and 02 AAs are yet to be onboarded and being expedited.
2.10	**Agenda Item 29:** Formulation of **Guidelines for Work Integrated/ Apprenticeship embedded Skill based Courses** in Education and Vocational Education, Training and Skilling (VETS) Ecosystem	The council had asked to follow-up the matter with University Grants Commission (UGC) to expedite the same.	The compliance has been met. Guidelines for Apprenticeship embedded Skilling in VETS was formulated and shared with MSDE and other Committee Members on 3rd May 2024 for further inputs. The MSDE vide letter 10th May 2024 has communicated that a separate Guidelines prepared by the NCVET on the subject may not be necessary. UGC guidelines on Degree Apprenticeship are being finalized by the UGC, as discussed in the meeting.
2.11	**Agenda Item 32**: Status Update on the **revamped NCVET Website and NQR portal**	It was decided by the council that the proposal be evaluated by constituting a technical evaluation committee (TEC) to verify/ vet the estimated man-	The further upgradation of the NCVET website and NQR portal through the existing vendor has been put to rest as the upgradation and maintenance of NCVET

		month efforts as given by the existing vendor. Based on the report of the TEC only that quantum of work may be executed which is covered within the limits of the additional work and cost allowed under the contract.	website for harmonising the digital presence would be done in accordance with the DBIM as per MeitY Guidelines. With respect to the NQR portal, as this is to be subsumed into the DEP, further upgradation and modification has been incorporated in the DEP. It is also being presented as a separate agenda.
2.12	**Agenda Item 33.7:** Applicability of Defence LTC Rules to serving defence personnel on deputation to NCVET	The Senior Economic Adviser and Council member from MSDE had suggested that the above proposal be shared with MSDE for taking a considered view on the subject matter.	NCVET vide its letter no. 11001/37/2020/NCVEDT/2173 has forwarded the document along with the proposal to MSDE. **The input was yet to be received from MSDE.**
2.13	**Agenda Item 33.10:** Regarding increasing the sanctioned strength of Technical Consultants	The Council had accorded approval to implement the same in two phases of 5 each of one Consultant Grade II, two Consultants Grade I and two young professionals.	The advertisement for requisite number for filling of vacancy has been published after taking approval of election commission of India. **The last date of receipt of application is 10th June 2024.**
2.14	**Agenda Item 33.12:** Fees for written opinion and written advice including advice on evidence (inclusive of consultation) given by empanelled Counsels of NCVET. (Legal Division)	The council had considered the proposal and advised to obtain the fee being paid by other regulatory bodies like UGC, AICTE etc. it was decided that if similar or higher than the proposed fee is being paid by them, then the proposal may be taken as approved.	The fees being paid for written opinion and written advice including advice on evidence by UGC and AICTE, were obtained which are similar or higher than the proposed fee. **Accordingly the proposal may be taken as approved by the Council.**

Annexure III

List of NCVET recognised Awarding Bodies (Standard) - Current Status

S. No.	Name	Status
1	Beauty & Wellness Sector Skill Council (B&WSSC)	Agreement Signed
2	Electronics Sector Skill Council of India (ESSCI)	Agreement Signed
3	Skill Council for Green Jobs (SCGJ)	Agreement Signed
4	Handicrafts and Carpet Sector Skill Council (HCSSC)	Agreement Signed
5	Automotive Skills Development Council (ASDC)	Agreement Signed
6	Food Industry Capacity and Skill Initiative (FICSI)	Agreement Signed
7	Rubber, Chemical & Petrochemical Skill Development Council (RCPSDC)	Agreement Signed
8	Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council (SPEFL-SC)	Agreement Signed
9	Management and Entrepreneurship and Professional Skills Council (MEPSC)	Agreement Signed
10	Apparel Made-Ups & Home Furnishing Sector Skill Council	Agreement Signed
11	Capital Goods & Strategic Skill Council	Agreement Signed
12	Media and Entertainment Skills Council (MESC)	Agreement Signed
13	Power Sector Skill Council	Agreement Signed
14	Textile Sector Skill Council (TSC)	Agreement Signed
15	Agriculture Sector Skill Council (ASCI)	Agreement Signed
16	Hydrocarbon Sector Skill Council (HSSC)	Agreement Signed
17	Healthcare Sector Skill Council	Agreement Signed
18	Paints and Coatings Sector Skill Council	Agreement Signed
19	Construction Skill Development Council of India	Agreement Signed
20	Instrumentation Automation Surveillance & Communication Sector Skill Council (IASC)	Agreement Signed
21	Telecom Sector Skill Council	Agreement Signed
22	Tourism and Hospitality Skill Council (THSC)	Agreement Signed
23	Water Management & Plumbing Skill Council (Indian Plumbing Skills Council)	Agreement Signed
24	Furniture and Fittings Skill Council (FFSC)	Agreement Signed
25	Domestic Workers Sector Skill Council (DWSSC)	Agreement Signed
26	National Association of Software and Service Companies (NASSCOM)	Agreement Signed
27	Logistics Sector Skill Council (LSC)	Agreement Signed
28	Aerospace and Aviation Sector Skill Council (AASSC)	Agreement Signed
29	Gems and Jewellery Sector Skill Council (GJSCI)	Agreement Signed
30	Skill Council for Person with Disability (SCPwD)	Agreement Signed
31	Infrastructure Equipment Sector Skill Council (IESC)	Agreement Signed
32	Indian Iron and Steel Sector Skill Council	Agreement Signed
33	Skill Council For Mining Sector (SCMS)	Agreement Signed
34	Banking, Financial Services and Insurance Sector Skill Council (BFSI SSC)	Agreement Signed
35	Life Sciences Sector Skill Development Council (LSSSDC)	Agreement Signed
36	Leather Sector Skill Council (LSSC)	Agreement Signed
37	Retailers Association's Skill Council of India (RASCI)	Agreement Signed

38	Centurion University of Technology and Management	Agreement Signed
39	Safety Skill Dev Foundation, Gujarat	Agreement Signed
40	Medhavi Skill University, Sikkim	Agreement Signed
41	Confederation of Indian Industry (CII)	Agreement Signed
42	Microsoft	LoI Issued
43	The Institute of Civil Engineers Society	LoI Issued
44	Samadhan Samiti	LoI Issued
45	Maa Saraswati Educational Trust, Delhi	Withdrawn
46	Thesia Skill Development of India Foundation, New Delhi/ National Skill Development Trust	Withdrawn
47	Council of Skill Innovation and Certification, UP	Withdrawn
48	BECIL	Withdrawn
49	Shree Ram Vocational and Cultural Society, Delhi	Withdrawn
50	Karnimata chikitsa shikhsha Evam samaj kalyan samiti	Withdrawn
51	Bharat Sevak Samaj	Withdrawn
52	Department of Employment and Training, Telangana	Withdrawn
53	The Apparel Training & Designing Centre (ATDC) - AB Standard	Withdrawn
54	Indira Gandhi Computer Shaksharta Mission	Ineligible
55	Smart Skill Bits & Bytes Pvt. Ltd.	Ineligible
56	Smart & Robust Skill Foundation, Chhattisgarh	Ineligible
57	Export Promotion Council for Handicrafts	Ineligible
58	International Inst of Hotel Management, Delhi	Ineligible
59	G&G Foundation, Haryana	Ineligible
60	SDI Bhubaneshwar	Ineligible
61	Andhra Pradesh Productivity Council (APPC), Hyderabad	Ineligible
62	Assam State Development Mission	Ineligible
63	Express Awarding Foundation	Ineligible
64	Universe of Social Defence (USD)	Ineligible
65	Contemporary Global Skill Council	Ineligible
66	Sikkim Global Technical University	Inprocess
67	Shivram Samajik Vikas Sansthan (SSVS)	Inprocess
68	SmartBridge Educational Services Pvt. Ltd.	Inprocess
69	TeamLease Skills University	Inprocess
70	Career Park Trust	Inprocess

B. List of NCVET recognized Awarding Bodies (Dual)- Current Status

S. No.	Name	Status
1	Central Institute of Petrochemical Engineering (CIPET), Chennai	Agreement Signed
2	Additional Skill Acquisition Programme, Kerala (ASAP)	Agreement Signed
3	National Institute of Electronics and Information Technology, Delhi	Agreement Signed
4	National Film Development Corporation, Mumbai (NFDC)	Agreement Signed
5	Karnataka Skill Development Corporation	Agreement Signed
6	Indian Air Force	Agreement Signed
7	Indian Navy	Agreement Signed
8	Directorate General of Armoured Corps	Agreement Signed
9	Corps of Military Police	Agreement Signed
10	Directorate General of Artillery	Agreement Signed
11	Army Medical Corps	Agreement Signed
12	Remount Veterinary Corps	Agreement Signed
13	Directorate General of Army Air Defence	Agreement Signed
14	Electrical & Mechanical Engineering	Agreement Signed
15	Directorate General of Army Aviation	Agreement Signed
16	Corps of Signals	Agreement Signed
17	Corps of Engineers	Agreement Signed
18	Directorate General of Mechanised Infantry	Agreement Signed
19	Directorate General of Infantry	Agreement Signed
20	Army Ordinance Corps	Agreement Signed
21	Army Service Corps	Agreement Signed
22	Army Intelligence Corps	Agreement Signed
23	Army Physical Training Corps (APTC)	Agreement Signed
24	Directorate General of Army Education Corps	Agreement Signed
25	State Council for Technical Education & Vocational Training (SCTEVT), Odisha	Agreement Signed
26	Indira Gandhi National Open University (IGNOU)	Agreement Signed
27	Jan Shikshan Sansthan (JSS)	Agreement Signed
28	The National Institute of Open Schooling (NIOS)	Agreement Signed
29	National Academy of RUDSETI, Karnataka	Agreement Signed
30	Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL)	Agreement Signed
31	Shri Vishwakarma Skill University (SVSU), Haryana	Agreement Signed
32	West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development	Agreement Signed
33	Haryana State Electronics Development Corporation Limited (HARTRON)	Agreement Signed
34	Nettur Technical Training Foundation (NTTF), Karnataka	Agreement Signed
35	Indian Institute of Technology (IIT) Guwahati	Agreement Signed
36	International Automobile Centre of Excellence (iACE)	Agreement Signed
37	Central Board of Secondary Education (CBSE)	Agreement Signed
38	Mewar University	Agreement Signed
39	Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University (MRSPTU)	Agreement Signed

40	Maharshi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan	Agreement Signed
41	Ganpat University	Agreement Signed
42	Gujarat Council of Vocational Training	Agreement Signed
43	The Institute of Cost Accountants of India (ICAI)	Agreement Signed
44	Maharashtra state board of skill vocational education and training	Agreement Signed
45	Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (CSVTU)	Agreement Signed
46	UP Skill Development Mission (UPSDM)	Agreement Signed
47	Centre for Development of Advanced Computing (CDAC)	Agreement Signed
48	Tamil Nadu Skill Development Corporation	Agreement Signed
49	Indian Jute Industries' Research Association (iJIRA)	Agreement Signed
50	HCL Technologies	Agreement Signed
51	MSME Technology Centre	Agreement Signed
52	Directorate of Special Operations and Diving (DSOD), Indian Navy	Agreement Signed
53	Assam University	LoR issued
54	Central University of Tamil Nadu	LoR issued
55	NIT – Calicut	LoR issued
56	IIT – Mandi	LoR issued
57	National Institute of Wind Energy Ministry of New & Renewable Energy, Government of India	LoI Issued
58	Centre for Research and Industrial Staff Performance (CRISP), Bhopal	LoI Issued
59	IBM	LoI Issued
60	The National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD)	LoI Issued
61	Bajaj Finserv	LoI Issued
62	IT Development Agency (ITDA), Govt. of Uttarakhand	LoI Issued
63	National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh	LoI Issued
64	Divya Yog Mandir Trust (DYMT)	LoI Issued
65	Delhi Metro Rail Academy (DMRA)	LoI Issued
66	Skill Development Network (SDN) - Implementing Wadhwani Skills Initiatives	Sub Com conducted, Compliance awaited
67	Lamrin Tech Skills University Punjab	Sub Com conducted, Compliance awaited
68	Vidya Bharti Akhil Bhartiye Shiksha Sansthan	Sub Com conducted, Compliance awaited
69	Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN - SPACe)	Sub Com conducted, Compliance awaited
70	Footwear Design & Development Institute	LoI Issued
71	State Council for Vocational Training, Uttar Pradesh	Sub Com conducted, Compliance awaited
72	Skill Development Department, Govt. of Sikkim	Sub Com scheduled, Compliance awaited
73	The Institute of Engineers	Sub Com conducted, Compliance awaited
74	West Bengal State Council for Vocational Training (WBSCVT)	Sub Com conducted, Compliance awaited
75	Sri Sri University	Sub Com conducted, Compliance awaited

76	Hindustan Aeronautics Limited	Sub Com scheduled, Compliance awaited
77	Rajasthan RCVET	Withdrawn
78	Radha Govind University, Jharkhand	Withdrawn
79	Sikkim Professional University	Withdrawn
80	Usha Martin University	Withdrawn
81	Mangalayatam University	Withdrawn
82	West Bengal State Council for Vocational Training (WBSCVT)	Withdrawn
83	Bihar SCVT	Withdrawn
84	Mahatma Gandhi University, North-East	Withdrawn
85	Karnimata Chikitsa Shiksha Evam Samaj Kalyan Samiti	Withdrawn
86	NSDC International	Withdrawn
87	GSDP Directorate, Ministry of Environment	Withdrawn
88	State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh (SBTET, AP)	Withdrawn
89	Global Skill Park, MP	Ineligible
90	NSDC	Ineligible
91	Engg Staff College of India (ESCI), Hyderabad	Ineligible
92	Construction Industry Development Council (CIDC), Delhi	Ineligible
93	Rajiv Gandhi Computer Sakshatra Mission, Rajasthan	Ineligible
94	Keerti Knowledge and Skills Limited	Ineligible
95	North East Frontier Tech University	Ineligible
96	AISECT Skill Dev Organization, MP	Ineligible
97	JITM Skills Pvt Ltd, Delhi	Ineligible
98	Labour Employment and Environment Development Council, Gujarat	Ineligible
99	The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR)	Ineligible
100	Techshore Inspection Services	Ineligible
101	BSA Institute of Skill Development	Ineligible
102	Sri Aurobindo Ashram – Delhi Branch Trust Society	Ineligible
103	Department of Employment and Training (DET, SCVT), Tamil Naidu	In process
104	Arunachal Pradesh State Council for Technical Education (APSCTE)	In process
105	Andhra Pradesh Board of Intermediate Education	In process
106	Scope Global Skill University	In process
107	National Skills & Environment Protection Foundation (NSEPF)	In process
108	Andhra Pradesh MedTech Zone Ltd	In process
109	National Institute for Geo-informatics Science and Technology, Survey of India	In process
110	Nolan Edutech Private Limited (Masai School)	In process
111	BSA Training Academy Pvt. Ltd	In process
112	Pimpri Chinchwad Education Trust	In process
113	Skill Development Department, Govt. of Sikkim	In process

Annexure IV

List of NCVET recognized Assessment Agencies (Current Status)

S. No.	Name	Status
1	Skill Mantra Edutech. Consulting India Pvt. Ltd.	Agreement Signed
2	Trendsetter Skill Assessors Pvt. Ltd.	Agreement Signed
3	MSAG Skill India LLP	Agreement Signed
4	Navriti Technologies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
5	IRIS Corporate Solutions Pvt. Ltd.	Agreement Signed
6	SP Institute of Workforce Development Pvt. Ltd.	Agreement Signed
7	SHL India Pvt. Ltd.	Agreement Signed
8	Federation of Indian Women Enterprises	Agreement Signed
9	TAG Assessors Guild Pvt. Ltd.	Agreement Signed
10	Asset Authors Pvt. Ltd. (A2PL)	Agreement Signed
11	Radiant Infonet Pvt. Ltd.	Agreement Signed
12	Brisk Mind Pvt. Ltd.	Agreement Signed
13	Eduvantage Pvt. Ltd.	Agreement Signed
14	I Assess Consultants LLP	Agreement Signed
15	Indore Skill Assessment Services Pvt. Ltd.	Agreement Signed
16	Knowledge Partner Technologies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
17	Rational Multi Skills (RMS)	Agreement Signed
18	Prima Competencies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
19	Mercer|Mettl (Induslynk Training Services Pvt. Ltd.)	Agreement Signed
20	Diversified Business Solutions Pvt. Ltd.	Agreement Signed
21	Ginger Webs Pvt. Ltd.	Agreement Signed
22	Proximo Education Society	Agreement Signed
23	Palmary Projects and Services Pvt. Ltd.	Agreement Signed
24	CEE Vision Technologies Pvt. Ltd.	Agreement Signed
25	Vedokt Skill and Consulting Pvt. Ltd.	Agreement Signed
26	I-Vintage Solutions Pvt. Ltd.	Agreement Signed
27	Independent Qualitative Assessors Guild - IQAG Pvt. Ltd.	Agreement Signed
28	Cleveratti Skills Pvt. Ltd.	Agreement Signed
29	Demorgia Consulting Services Pvt. Ltd.	Agreement Signed
30	Sai Graphics Assessment Body Pvt. Ltd.	Agreement Signed
31	E&E Skill Pvt. Ltd./ Invigilate Technologies Pvt. Ltd. (Consortium)	Agreement Signed
32	Methods Apparel Consultancy India Pvt. Ltd.	Agreement Signed
33	PVR Skills Central Pvt. Ltd.	Agreement Signed
34	Hemsen Exim LLP	Agreement Signed
35	MASCOT Upgrade Skill and Knowledge Pvt. Ltd.	Agreement Signed
36	Amrit Skill Development Pvt. Ltd.	Agreement Signed
37	India Skills Pvt. Ltd.	Agreement Signed
38	Integrated Learning Solutions Pvt. Ltd. (Wheebox)	Agreement Signed
39	Sai Skill Technology Pvt. Ltd.	Agreement Signed
40	InTouch Professional Services Pvt. Ltd.	Agreement Signed

41	Ajooni Skills India Pvt. Ltd.	Agreement Signed
42	eLitmus Evaluation Pvt. Ltd.	Agreement Signed
43	Shiksha Bharti	Agreement Signed
44	Vistaskills Pvt. Ltd. (Consortium)	Agreement Signed
45	Nitya Skill Development Organization Samiti (NSDOS)	Agreement Signed
46	Yuva Skills Foundation	Agreement Signed
47	ACE Assessment Pvt. Ltd.	Agreement Signed
48	Swargiya Shrimati Durga Devi Charitable Trust	Agreement Signed
49	Udhyog Vikas Sansthan	Agreement Signed
50	Khwaspuria Advisory Pvt. Ltd.	Agreement Signed
51	Agam Skills & Consulting Pvt. Ltd. (Consortium)	Agreement Signed
52	Kreonz ADS Private Limited (Consortium)	Agreement Signed
53	Reliable projects services	Agreement Signed
54	Five Elements Business Solutions Pvt. Ltd.	Agreement Signed
55	Testkit Skills Pvt. Ltd. (Consortium)	Agreement Signed
56	LEAD Assessment Service Pvt. Ltd.	Agreement Signed
57	S3 Assessors India	Agreement Signed
58	TCS iON	Agreement Signed
59	Karpaga Assessment App Matrix Services Pvt. Ltd. (KAAM) - (HireMee)	Agreement Signed
60	SVC Skill Assessments Private Limited - Consortium Name (Stallion Veritas Certification Pvt Ltd) - Previous Name	Agreement Signed
61	Livecore Testing Services SPV Pvt. Ltd.	Agreement Signed
62	Formac Software Services Pvt Ltd.	Agreement Signed
63	Pearson VUE	LoI Issued
64	Odisha Institute for Social Development (OISD)	LoI Issued
65	Merindyne Skills India Pvt. Ltd.	LoI Issued
66	Garment Export Mfg Association (GEMA)	LoI Issued
67	Apparel Export Promotion Council	Sub-Committee conducted, Compliance awaited
68	Padmanav Vastushilp Pvt Ltd.	Ineligible
69	Futureshape	Ineligible
70	Sima skills Pvt. Ltd.	Ineligible
71	NSDC	Ineligible
72	Fashion Future	Ineligible
73	Global Infotech	Ineligible
74	Sun Gateway	Ineligible
75	S3 Assessors	Ineligible
76	Shaurya 4S Sewa Samiti	Ineligible
77	Human Development and research foundation	Ineligible
78	People Point	Ineligible
79	AKG Skills Pvt Ltd	Ineligible
80	Apparel Export Promotion Council	Ineligible

81	Future Wings Edu skill	Ineligible
82	Briddhi Innovation	Ineligible
83	Glocal Skill Management Pvt. Ltd	Ineligible
84	MRSD Info tech Services	Ineligible
85	Excel Group	Ineligible
86	Future Global Foundation	Ineligible
87	Karpaga Assessment App Matrix (KAAM) Services Pvt Ltd/ HireMee	Ineligible
88	Indian Society for Training and Development	Ineligible
89	Lead Assessment	Ineligible
90	Shri Guru Hargovind Society	Ineligible
91	Cyber Dyne Private Limited	Ineligible
92	Talent Bridge	Ineligible
93	National Skills & Environment Protection Foundation	Ineligible
94	Shameena Begum Edu Dev Society	Ineligible
95	Greenarrows	Ineligible
96	Algol	Ineligible
97	NYSA Communications pvt ltd	Ineligible
98	Tebro Hindustan	Ineligible
99	Satilala Charitable	Ineligible
100	SRPM Aspire	Ineligible
101	Virtual SAAS pvt ltd	Ineligible
102	Society for vocational Studies	Ineligible
103	Bluestone solutions	Ineligible
104	Pratham Skill Mantra	Ineligible
105	Intent Management	Ineligible
106	Krish Network	Ineligible
107	Pratibha Education	Ineligible
108	Hritvik Aggarwal Foundation	Ineligible
109	CMS	Ineligible
110	Global SME	Ineligible
111	Career Point Kota	Ineligible
112	Gravess Infotech	Ineligible
113	Digital Skills Indo Corp	Ineligible
114	Growwell Fincon Services	Ineligible
115	Samriddhi	Ineligible
116	Mahamaya Shiksha	Ineligible
117	Sree Gayatri Natural Resources	Ineligible
118	Sant Ravidass Educational Society	Ineligible
119	Eminence Solutions	Ineligible
120	FUSEC Consulting Pvt Ltd	Ineligible
121	SIMS	Ineligible
122	SEG	Ineligible
123	Rangan Trust	Ineligible
124	A to Z foundation	Ineligible

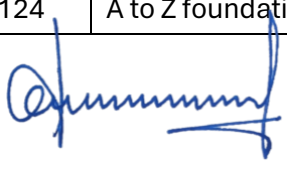

125	Garment Export Mfg Association (GEMA)	Ineligible
126	Intellitix	Ineligible
127	Samta Shiksha Vikas Sansthan	Ineligible
128	Star Project	Ineligible
129	Virtual Education Trust	Ineligible
130	Aspire Assess Skills	Ineligible
131	GHRP Skill India Pvt Ltd	Ineligible
132	Oceans Assessors	Ineligible
133	Eduquity	Ineligible
134	Centre For Entrepreneurship Development Madhya Pradesh	Ineligible
135	One Crew Solutions Pvt. Ltd.	Ineligible
136	Test Key	Ineligible
137	IKANN Skills & Consultants Pvt Ltd	Ineligible
138	ACE Foundation	Ineligible
139	Bhavishya Uday Shiksha Evam Baal Chetna Samiti	Ineligible
140	Shobha Multi Speciality Services	Ineligible
141	Career Forum Society	Ineligible
142	Sambhav Educational & social welfare Society	Ineligible
143	Aspire Assess Skill (AASK)	Ineligible
144	Gupteshwar jankalyan Mahila Avam Ball vikas siksha samiti	Ineligible
145	iamneo	Ineligible
146	Hindgrow Professionals India Pvt. Ltd.	Ineligible
147	Shaurya Swasthya Shiksha Sewa Samiti (Shaurya_4s)	Ineligible
148	IYD – Assessment Team	Ineligible
149	Edus Skills Management Services	Withdrawn
150	Gupteshwar Jan Kalyan	Withdrawn
151	Flawless Beauty	Withdrawn
152	Sambhav Foundation	Withdrawn
153	Qazi Skills	Withdrawn
154	Basil India	Withdrawn
155	C&K Management	Withdrawn
156	New Saraswati Education Society	Withdrawn
157	HR Interventions	Withdrawn
158	Global Assessment	Withdrawn
159	Mirams	Withdrawn
160	Ms Certification	Withdrawn
161	Eduworld	Withdrawn
162	Explore D flair	Withdrawn
163	Rajiv Gandhi Educational Foundation	Withdrawn
164	SSD, MP	Withdrawn
165	Base Research	Withdrawn
166	Career Soft infotech	Withdrawn
167	Future Developers & Contractors	Withdrawn
168	PSG College of Technology	Withdrawn
169	Naya Savera	Withdrawn

170	Sparsh Education Trust	Withdrawn
171	Magic Abacus	Withdrawn
172	Cooperation & Assistance for Relief & Development (CARD), Bhopal	Withdrawn
173	Premia Consultancy	Withdrawn
174	Alfaa Tech Pvt Ltd	Withdrawn
175	Udichi	Withdrawn
176	Lala Fateh Chand Edu Society	Withdrawn
177	Arthav Information Technologies Private Limited	Withdrawn
178	Smart Skill Trust	Withdrawn
179	VSAA Knowledge Academy Pvt. Ltd.	Withdrawn
180	Unique Educational Society	Withdrawn
181	Sree Gayatri Natural Resources Pvt. Ltd.	Withdrawn
182	Unique Education Welfare Society	Withdrawn
183	Sparsh Education Trust	Withdrawn
184	ACE Foundation	Withdrawn
185	Inspire Youth Development (IYD)	Withdrawn
186	CII	Withdrawn
187	The Indian Institute of Welding	Withdrawn
188	Gauge Squad Pvt Limited	Withdrawn
189	Bhavishya uday shiksha Evam Baal chetna samiti	Withdrawn
190	Asian intitute of English Language Pvt. Ltd.	Withdrawn
191	Satyamayba Jayate Charitable Trust	Withdrawn
192	Skill Tributaries	Withdrawn
193	Mosiac Multi Ventures Pvt. Ltd.	Withdrawn
194	International Social Worker Association	Withdrawn
195	MS Certification Services Pvt. Ltd.	Withdrawn
196	Aman Skill Programming Society	Withdrawn
197	Netcom Impo Expo Pvt. Ltd.	Withdrawn
198	Hindgrow Professionals India Pvt. Ltd.	Withdrawn
199	Ace Foundation	Ineligible
200	Royal Education Research society	In process
201	Sai Social Micro Finance Foundations	In process
202	Ocean Assessors Guild Pvt. Ltd	In process
203	Apparel Export Promotion Council	In process
204	Asian Institute of English Language Pvt. Ltd	In process
205	Rangan Educational & Welfare Trust	In process
206	Leather Assessor Scale India Foundation	In process
207	Glocal Skill Management Pvt. Ltd	In process
208	ACE Foundation	In process
209	Fashion Futures Consultant Pvt. Ltd.	In process

Annexure V

The standard template of Expression of Interest (EOI)

S. No	Parameters	Details by the applicant entity
1	Name of the HEI	
2	Year of Establishment of the HEI	
3	Jurisdiction of the HEI as per Statute	
4	Category of the HEI (INI/ CU/ Deemed/ Other)	
5	Present NAAC Grade (Wherever Applicable)	
6	Present NIRF Ranking (Wherever Applicable)	
7	Name of the Head of the HEI	
8	Contact Details of the Head of the HEI Email id Mobile Number	
9	Contact Details of the Nodal Officer of the HEI for dealing with NCVET Name Designation Email id Mobile Number	
10	Specialization of the HEI (technical/ Sciences/ Humanities/ Commerce/ Multi-Disciplinary/ Any other)	
11	Jurisdiction in which you would like to work	
12	Sector in which you have expertise and you would like to work	
13	Whether offshore campus available (Yes/No)	
14	The Skill Based Program being offered as part of curriculum at present, if any	
15	The Skill Based Program being offered outside of curriculum at present, if any	
16	A brief Plan of Action with respect to Integration of VETS in Higher Education as part of Curriculum Integration of VETS in Higher Education Not as part of Curriculum to learners beyond their regular UG/ PG students	

Name of the Head of the Institution:

Signature:

Stamp of the Institution concerned:

Annexure VI

The standard template of Letter of Recognition for being recognized as Awarding body/Deemed Awarding Body

AB Recognition Code: _____

File No: _____

National Council for Vocational Education and Training (NCVET)
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Government of India
****

4th Floor Kaushal Bhawan
Africa Avenue, Diplomatic Enclave,
Chanakyapuri, New Delhi - 110023
Date: 2024

To,
_____
_____

Subject: Grant of Recognition as a Deemed Awarding Body- Dual to (Name of the Organization) by NCVET for a period of Three (03) continuous years effective from DD/MM/YYYY - Reg.

1. The National Council for Vocational Education and Training (NCVET), by virtue of the functions and powers entrusted in the gazette notification No. SD-17/113/2017-E&PW dated 05th December, 2018 under para 16(1) (a), is empowered to recognize, the awarding bodies for developing and implementing the NSQF aligned & approved qualifications and issuing National Level Certificates for them.

2. To promote better integration and embedding of Skill based courses and Qualifications in the Higher Education Institutions (HEIs) in line with National Education Policy (NEP) 2020 and National Credit Framework (NCrF), the NCVET Council in its 9th Meeting held on 17th August 2023 accorded approval to award the status of the Deemed Awarding Bodies (Dual), to the Institutes of National Importance (INIs) and Central Universities (CU) subject to their expressing interest in offering NSQF aligned and approved skill based qualifications/ courses to the students and learners. Such deemed Awarding Bodies will carry out the assessments after the skill based training, award credits and issue competency certificates or skill diplomas or consider the credits as part of the degree being awarded for such NSQF aligned and approved skill based qualifications/ courses.

3. Accordingly, based on the Expression of Interest (EoI) received, NCVET hereby grants recognition as Deemed Awarding Body (Dual) to **(Name of the Organization),** within the territorial jurisdiction mentioned in your Statute.

4. This recognition would be applicable for all the NSQF aligned & approved qualifications/ courses/ **National Occupation Standards (NOSs)/ Micro-Credentials (MCs)** either developed or adopted by the **(Name of the Organization)** as are duly reflected on the National Qualification Register (NQR), which is the National Skill Qualifications repository.

5. For developing, offering, assessing, and issuing certificates/ diplomas for the NSQF aligned and approved Qualifications to the students/ learners outside the regular students of the Institute, the Guidelines and Operational Manual for Recognition and Regulation of Awarding Bodies (AB) 2020 (referred to as AB Guidelines) & Assessment Agencies (AA) 2020 (referred to as AA Guidelines) will be followed as amended from time to time.

6. The Deemed Awarding Body (Dual) shall carry out the following functions:

6.1. **Develop NSQF aligned skill-based qualifications/ courses/ National Occupation Standards (NOSs)/Micro-Credentials (MCs)** and get these approved by the National Skills Qualification Committee (NSQC) or

6.2. Institute may adopt the NSQF aligned and approved qualifications/ courses/ NOSs/ MCs developed by any other recognised Awarding Bodies of NCVET.

6.3. Conduct skill trainings on such qualifications/ courses/ NOSs/ MCs in the campuses or through the training centers owned or fully managed by the deemed Awarding Body. The trainings may also be imparted through Training Providers/ Training Centres directly affiliated to the Awarding Body as per the process specified under AB/AA guidelines. However, **skill trainings shall not be conducted through any franchisee or outsourcing model in any manner.**

6.4. **Conduct assessments of the trainees/ learners after successful completion of training by itself**. However, deemed Awarding Body may also get the assessment conducted through any other NCVET recognized Assessment Agencies as per the process and provisions laid down in the AB/AA Guidelines.

6.5. **Award certificates and credits** for its NSQF aligned and approved qualifications/ courses/ NOSs/ MCs after successful completion of the training and assessment of the same.

6.6. **Perform all such other functions of an Awarding Body** as specified in the AB Guidelines and Operation Manual.

7. The faculty of the institute may teach most of the skill-based courses without the need for any additional Trainer's certification. However, in case the AB feels the need, an orientation program for the teachers/ trainers of the institute can be conducted by NCVET for better understanding of the NSQF, NCrF and the training being conducted under under this system. Even if the institute does not have the required trainers in a specific skill-based course, the same can be organised / arranged through the Awarding body (AB) concerned from the pool of instructors or from the industry.

8. To ensure alignment with the provisions of NEP 2020 and **National Credit Framework (NCrF),** the Deemed Awarding Body (Dual) shall adhere to the norms for operationalisation of NCrF in Higher Education and Vocational Education Training and Skilling (VETS). The details of norms with respect to integration of VETs in Higher Education as mentioned in the Annexure enclosed.

Director, NCVET

Norms with respect to integration of VETS in Higher Education

1. The NCrF enables the Universities/ Higher Education Institutes to integrate and embed the vocational education training & skilling (VETS) based courses/ qualifications. This can be done in any of the following ways:

   A. **Integration of VETS in Higher Education as part of Curriculum/ as Additional courses for their students enrolled in UG/ PG Programs**

      i. As per the provisions in the NCrF, up to 50 percent of the total credit requirement of a UG/ PG program can be fulfilled by earning credits from the Skill based courses/ Qualifications of appropriate NCrF levels (4.5 to 8). Such Skill-based courses/ qualifications may be implemented in different ways by the HEIs for their enrolled students as given below:

         a) **As part of the UG/ PG curriculum** - Such courses/ qualifications, may be NHEQF or NSQF aligned, and are integrated as part of the curricular structure of the UG/PG program.

         b) **As additional courses/ qualifications, not integrated within the curriculum of a UG/ PG program or offered as a standalone course/ qualification -** The HEIs may offer relevant skill-based courses/ qualifications over and above their approved curricular structures with provision of additional credits. While additional course/ qualification may be related to the curricular stream of the student/learner, the standalone course/ qualification could also be totally unrelated to the curricular stream of the UG/PG Program but supports the holistic development of the learner. Such courses/ qualifications could either be NHEQF or NSQF aligned.

      ii. HEIs may offer Skill-based NHEQF courses/ qualifications developed by them with the approval of their highest Academic Body/ authority. The HEIs may also implement NSQF aligned and approved skill-based courses/ qualifications to their enrolled UG/ PG students, carry out assessments to ascertain the learning outcomes and issue their own certificates for such courses/ qualifications subject to successful assessment.

      iii. At present, the curricular structure/ design in Higher Education for their UG program is based on the guidelines for Four Year UG program (https://www.ugc.gov.in/pdfnews/7193743_FYUGP.pdf), which includes Vocational Education, Training and Skilling as an important component of learning. The skill-based courses/ qualifications can also be implemented as:

         a) Ability Enhancement Course, Skill Enhancement Course, Value added common courses or as Summer Internship programs.

         b) The foundational or upskilling courses/ qualifications which may form part of skill/ability enhancement courses.

         c) As part of the Major or Minor stream in the curriculum.

   B. Offering Standalone Skill-Based NHEQF courses/ qualifications by HEIs to the learners beyond their regular UG/ PG students

      i. HEIs may offer Skill-based NHEQF courses/ qualifications developed by them with the approval of their highest Academic Body/ authority to the students/ learners **beyond their regular UG/ PG students** subject to their jurisdiction as permitted by their Statutes.

ii. The learners may be issued an HEI Skill Certificate by the HEI concerned with Skill India branding for such NHEQF courses/ qualifications.

C. Offering Standalone Skill-Based NSQF courses/ qualifications by HEIs to the learners beyond their regular UG/ PG students

i. In case any HEI wants to operate in the VETS ecosystem and offer the NSQF aligned and approved Skill based courses / qualifications of appropriate NCrF levels 4.5 and above as standalone courses, to learners beyond their regular enrolled UG/ PG students, the HEI may do so if it is a recognised Awarding body (AB) of NCVET.

ii. As an AB, HEIs may implement NSQF aligned and approved skill-based courses/ qualifications, to the students/ learners beyond their regular UG/ PG students subject to their jurisdiction as permitted by their Statutes, and issue NCVET certificates, with Skill India branding, for such courses/ qualifications subject to successful assessment.

iii. As an AB, HEI may also develop an NSQF course/ qualification with the approval of National Skills Qualification Committee (NSQC). NSQC includes members /representatives from UGC and AICTE

iv. As an AB, the HEIs may also adopt NSQF aligned and approved qualifications out of more than 1300 courses / qualifications of NCrF level 4.5 and above (including future skill qualifications) in various sectors (list available at www.nqr.gov.in).

Annexure VII

Simplified application form for HEIs/Universities for being recognized as Awarding body

APPLICATION FOR AWARDING BODY (DUAL CATEGORY)-
Higher Education Institutions (HEIs)

Part A: Basic Details of the Organization

S. No	Parameters	Details by the applicant entity
1	Name of the HEI	
2	Complete Address of the HEI	
3	Year of Establishment of the HEI	
4	Website URL	
5	Category of the HEI (Deemed/Autonomous/ Other)	
6	Present NAAC Grade, if any	
7	Present NIRF Ranking, if any	
8	Specialization of the HEI (Technical/ Sciences/ Humanities/ Commerce/ Multi-Disciplinary/ Any other specialization)	
9	Jurisdiction of the HEI as per Statute/Act	
10	Details of the Head of the HEI: Name Email id Mobile Number	
11	Details of the Nodal Officer of the HEI for dealing with NCVET: Name Designation Email id Mobile Number	
12	Jurisdiction Applied for by the HEI (in case different from S.No 9)	
13	Skill based Programs/Courses offered at present, if any: As part of curriculum b) As Standalone (not part of curriculum) along with the NCrF level, as applicable	

B. Cover Letter- to be sent along with the application

(Date)

Dear Sir/Madam

Sub: Application for NCVET Dual Recognition

I represent (*Name of the applicant body*) and have the legal authority to ensure commitment of my organization to uphold the requirements and conditions of NCVET recognition. I, hereby acknowledge that all the requirements and conditions under the Eligibility & Continuation Criteria mentioned in the Guidelines and Operational Manuals for recognition and regulation of Awarding Body and Assessment Agency respectively have been read and duly acknowledged.

I, the undersigned, will also ensure that the organization acts in accordance with the Guidelines and procedures detailed in the NCVET Guidelines. I understand that the NCVET absolves itself of any legal or financial liability arising out of any act involving any accidental or consequential damage to personnel/equipment at any time.

I am aware that the terms and conditions of NCVET recognition may be amended from time to time and that the updating of the same on the website and in writing shall constitute due notice. I understand that it is the responsibility of the applicant organization (*name of organization)* to review these terms and conditions in order to maintain compliance.

Signed

(Name and Position)

On behalf of (name of organization)

C. The organization must submit the following documents for Dual Category Recognition

1. Legal Status

S. No	Name of Document	Mandatory/Optional
	Certificate of Registration and/ or Article of Incorporation/Act	Mandatory

2. Prior Experience

2.1. Number of learners trained, certified, and placed with details of geographical spread of the organization for the past years in the format (table a and table b)

a. General Diploma/Degree Programs

Year	TRAINING DATA					ASSESSMENT DATA*
	Enrolled	Trained	Assessed	Certified	Total	Total Learner assessed
Year 1						
Year 2						
Year 3						
Total						

b. For Skill based programs/ Courses

Year	TRAINING DATA					ASSESSMENT DATA*
	Enrolled	Trained	Assessed	Certified	Total	Total Learner assessed
Year 1						
Year 2						
Year 3						
Total						

**data for training and assessment should be mutually exclusive. If the same number has been trained and then assessed then that would be counted as only one case and not two.*

3. Credibility and Industry linkages (for each sector separately)

3.1. Availability of Departments/Schools in the HEI with respect to the sector being applied for

S. No	Sector applied for	Concerned School /Department Available

3.2. Details of Engagement of members from relevant industry as subject matter expert/ professor of practice (Mandatory)

S. No	Name	Sector	Prior Experience	Tenure of engagement

3.3. Details of MoUs with industry partners from the relevant sector (large, medium, and small enterprises) (Mandatory)

S. No	Name and address of the industry partner	Name of the Head of the Industry partner	Sectoral expertise of the industry	Tenure of collaboration (start date and validity)	Specific areas of collaboration

4. Qualification related (Mandatory)

Have the HEI developed skill-based qualification/s? If yes, provide the process for creation, withdrawal of Skill based qualification.

5. Provide an undertaking for the following (Mandatory)

5.1. Availability of requisite infrastructure required for conduct of training in a qualification.
5.2. Availability of IT infrastructure as owned/hired by the organization.
5.3. Availability of data system & security of ecosystem
5.4. Availability of well-defined governance process associated with assessment.
5.5. Availability of defined Process of assessment planning and delivery
5.6. Availability of robust Data management systems

6. Governance and Manpower

5.1. Functional Organogram of the HEI (Mandatory)
5.2. Details of BoM (Mandatory for non-Government HEIs)

S. No	Name	Contact number	Email	Design ation	Employed since	Education and Experience	Role & Responsibility

6. Assessment Related Functions (Mandatory)

7.1. List of assessors/examiner/proctors (separate for each category)

S. No	Name	Highest level of education/ skilling achieved	Certified (Yes/NO)	Tenure of engagement	Joining date	Sector

7.2. Subject Matter Expert (SME) Details

S. No	Name	Sector	Prior Experience	Tenure of engagement

7.3. List of staff (other than assessors/examiner/proctors and SME) involved in assessment and monitoring.

7.4. Accessible Assessment Tools

Name of courses offered	Name of the assessment tools	Availability in national language (Yes/No)	Accessible for PwD (Yes/No)	Alternative for PwDs	Remarks (if any)

7. Whether HEI is compliant to Institutional Development Plan (IDP)

Part D: Authorization Statement of the Organization

I, represent the … (name of the HEI), confirm the following:

That the information contained in this application and all supporting evidence is correct and accurate, the property of the organization and that it reflects the organization's business practice to the best of my knowledge.

That this organization has not been blacklisted by any ministry, department, agency or undertaking of the central or any state government, nor has it at any time been indicted for corrupt and/or fraudulent practice.

That I have never been involved in a business/institution which has been blacklisted by any ministry, department, agency or undertaking of the central or any state government, nor have I ever been indicted for corrupt and/or fraudulent practice or of an offence against the law.

That neither the organization nor I have linkages with other organizations or individuals which might constitute a conflict of interest.

Signature of Nodal Officer:

Date

Office use only

Application checked by	
Registration No	
All required information provided	
Follow up action	
Date	

Annexure VIII

The Details of the EOI Format shared with the stakeholders

S. No.	Name of INIs, NITs and CUs	Date of Issue
1	Indian Institute of Technology, Jodhpur	14 May 2024
2	SVNIT, Surat	09 April 2024
3	Indian Institute of Technology, Gandhinagar	09 April 2024
4	National Institute of Fashion Technology	02 April 2024
5	Central University of Tamil Nadu	16 Feb 2024
6	National Institute of Technology, Suratkhal	13 Feb 2024
7	National Institute of Technology, Calicut	09 Feb 2024
8	Indian Institute of Technology, Mandi	05 Feb 2024
9	Assam University	25 Jan 2024
10	Indian Institute of Technology, Ropar	04 Jan 2024
11	National Institute of Technology, Kurukshetra	04 Jan 2024
12	University of Delhi, North Campus	04 Jan 2024
13	Indian Institute of Technology, Roorkee	04 Jan 2024

Annexure IX

Standardized Templates for Skill Competency Certificates under Schemes

i. PM VISHWAKARMA Certificates

प्रशिक्षक के लिए कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate of Skill Competency for Trainer

Photo of Trainer

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of

जन्म तिथि
Date of Birth

नामांकन संख्या
Trainer ID

ने जॉब रोल/अर्हता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment as trainer in the job role/qualification

अवधि
of duration

अर्जित किया
having earned

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF

Level

प्रशिक्षण केन्द्र
Training Centre

जिला
District

राज्य
State

जारी करने का स्थान
Place of Issue:

जारी करने की तिथि
Date of Issue:

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

Logo of awarding body

हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

अपस्किलिंग के साथ पूर्व शिक्षा की मान्यता के लिए प्रमाणपत्र
Certificate for Recognition of Prior Learning with Upskilling

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx.

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of

जन्म तिथि
Date of Birth

नामांकन संख्या
Enrolment No

ने जॉब रोल/अर्हता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification

अवधि के साथ अपस्किलिंग
with upskilling of duration

अर्जित किया
having earned

क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF

Level

प्रशिक्षण केन्द्र
Training Centre

जिला
District

राज्य
State

जारी करने का स्थान
Place of Issue:

जारी करने की तिथि
Date of Issue:

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

Logo of awarding body

हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

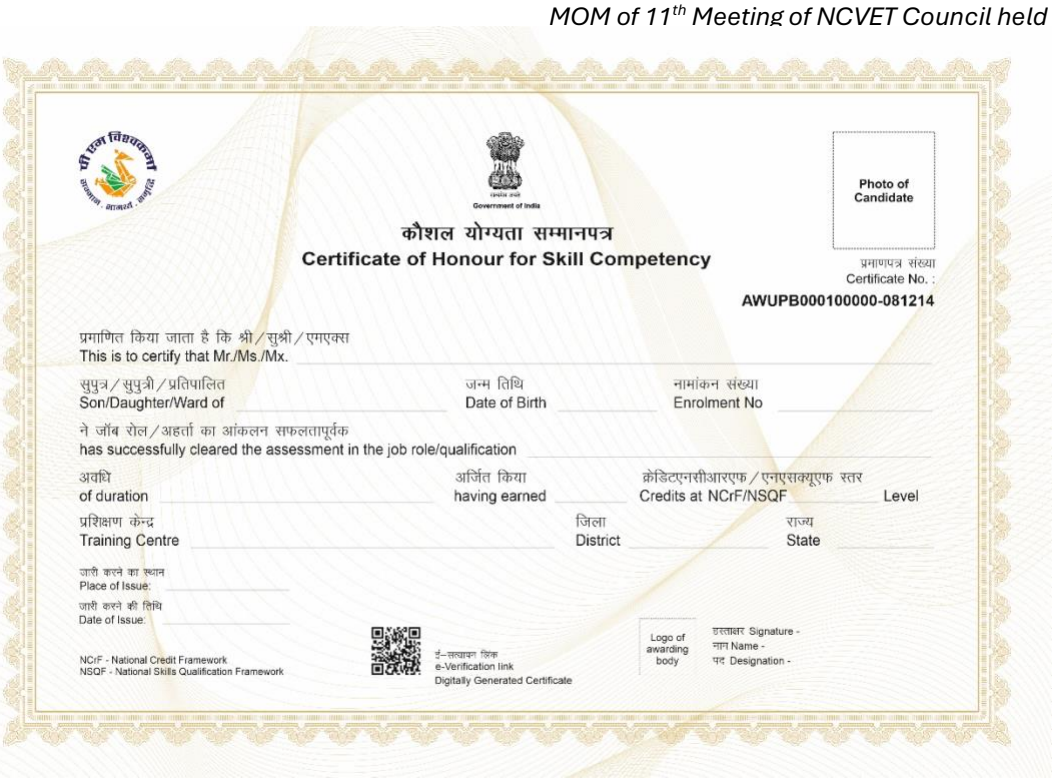

कौशल योग्यता सम्मानपत्र
Certificate of Honour for Skill Competency

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. _____

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____ जन्म तिथि Date of Birth _____ नामांकन संख्या Enrolment No _____

ने जॉब रोल/अहर्ता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification _____

अवधि of duration _____ अर्जित किया having earned _____ क्रेडिटएनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF _____ Level

प्रशिक्षण केन्द्र Training Centre _____ जिला District _____ राज्य State _____

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

ई–सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

Logo of awarding body

हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

मूल्यांकनकर्ता के लिए कौशल योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate of Skill Competency for Assessor

Photo of Assessor

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. _____

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____ जन्म तिथि Date of Birth _____ नामांकन संख्या Assessor ID _____

ने जॉब रोल/अहर्ता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment as assessor in the job role/qualification _____

अवधि of duration _____ अर्जित किया having earned _____ क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF _____ Level

प्रशिक्षण केन्द्र Training Centre _____ जिला District _____ राज्य State _____

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____

जारी करने की तिथि
Date of Issue: _____

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

ई–सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

Logo of awarding body

हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

INDIA SKILLS Certificates

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

भारतीय कौशल – जिला स्तरीय प्रमाणपत्र
Certificate for India Skills - District Level

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : ADTGX005201163000001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. **Navam Kumar**

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of Amit Kumar

जन्म तिथि
Date of Birth

नामांकन संख्या
Enrolment No

ने जॉब रोल/अहर्ता का आकलन सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification

अवधि
of Duration

अर्जित
having earned

क्रेडिट, एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level

जिला/अंचल
District/Zonal

राज्य
State

प्रतिशत/श्रेणी
with % grade.

जारी करने की तिथि
Date of Issue:

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Logo of awarding body

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

भारतीय कौशल – राज्य स्तरीय प्रमाणपत्र
Certificate for India Skills - State Level

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : ADTGX005201163000001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. **Navam Kumar**

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of Amit Kumar

जन्म तिथि
Date of Birth

नामांकन संख्या
Enrolment No

ने जॉब रोल/अहर्ता का आकलन सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification

अवधि
of Duration

अर्जित
having earned

क्रेडिट, एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level

जिला/अंचल
District/Zonal

राज्य
State

प्रतिशत/श्रेणी
with % grade.

जारी करने की तिथि
Date of Issue:

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Logo of awarding body

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

NCVET
कौशल गुणवत्ता प्रगति

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY

India skills COMPETITION 2023-24

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
भारतीय कौशल – पूर्व राष्ट्रीय प्रमाणपत्र
Certificate for India Skills-Pre National

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : ADTGX005201163000001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. Navam Kumar

सुपुत्र / सुपुत्री / प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of Amit Kumar

जन्म तिथि
Date of Birth

नामांकन संख्या
Enrolment No

ने जॉब रोल / अर्हता का आकलन सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification

अवधि
of Duration

अर्जित
having earned

क्रेडिट, एनसीआरएफ / एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level

जिला / अंचल
District/Zonal

राज्य
State

प्रतिशत / श्रेणी
with % grade.

जारी करने की तिथि
Date of Issue:

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Logo of awarding body

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

NCVET
कौशल गुणवत्ता प्रगति

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY

India skills COMPETITION 2023-24

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
भारतीय कौशल – राष्ट्रीय प्रमाणपत्र
Certificate for India Skills - National

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : ADTGX005201163000001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. Navam Kumar

सुपुत्र / सुपुत्री / प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of Amit Kumar

जन्म तिथि
Date of Birth

नामांकन संख्या
Enrolment No

ने जॉब रोल / अर्हता का आकलन सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है
has successfully cleared the assessment in the Job Role / Qualification

अवधि
of Duration

अर्जित
having earned

क्रेडिट, एनसीआरएफ / एनएसक्यूएफ स्तर
Credits at NCrF/NSQF Level

जिला / अंचल
District/Zonal

राज्य
State

प्रतिशत / श्रेणी
with % grade.

जारी करने की तिथि
Date of Issue:

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

NCrF - National Credit Framework
NSQF - National Skills Qualification Framework

Logo of awarding body

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

ii.Diploma/ Advance Diploma Certificates

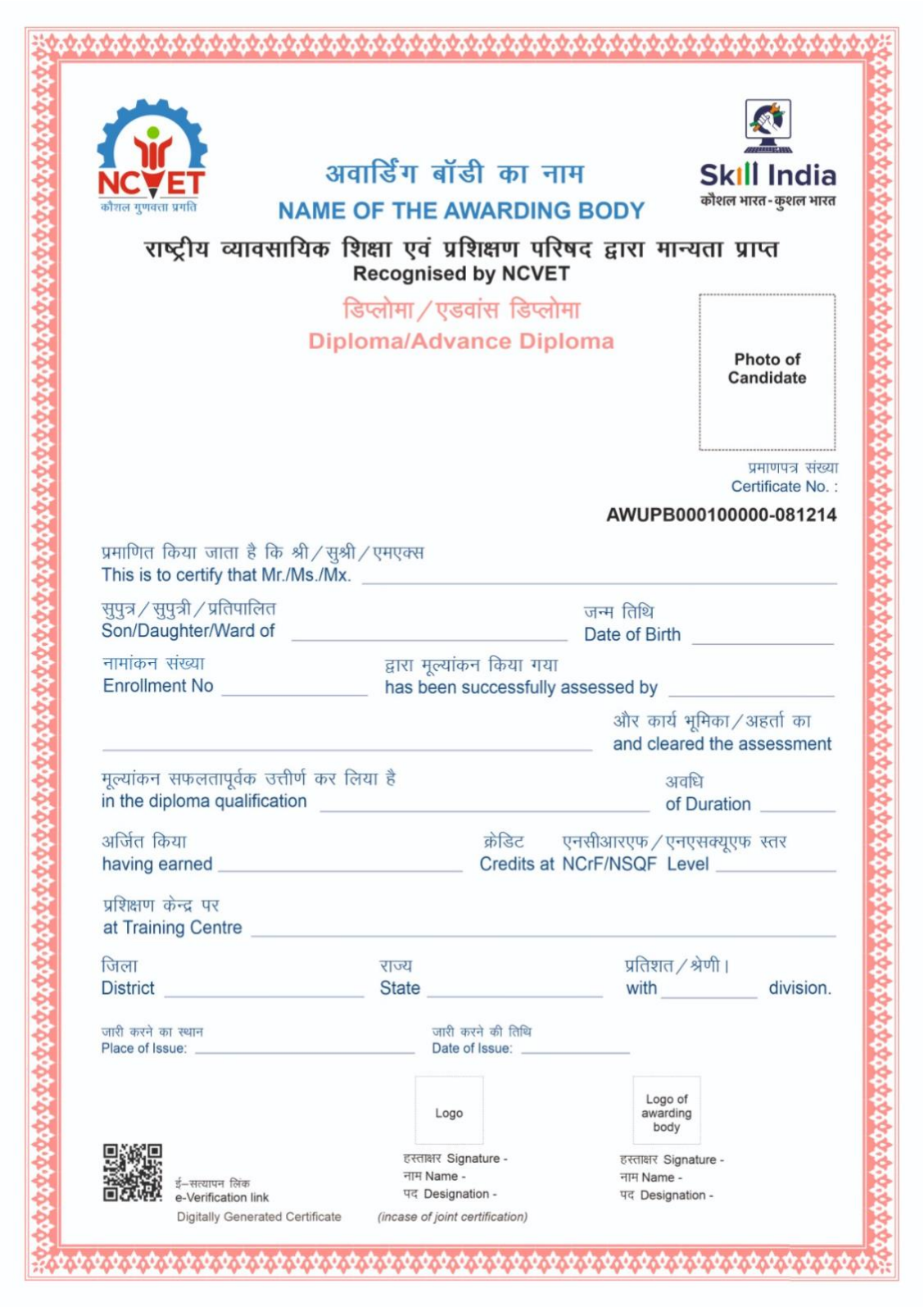

NCVET
कौशल गुणवत्ता प्रगति

अवार्डिंग बॉडी का नाम
NAME OF THE AWARDING BODY

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET

डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा
Diploma/Advance Diploma

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx. _____

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of _____ जन्म तिथि Date of Birth _____

नामांकन संख्या
Enrollment No _____ द्वारा मूल्यांकन किया गया has been successfully assessed by _____

_____ और कार्य भूमिका/अहर्ता का and cleared the assessment

मूल्यांकन सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है
in the diploma qualification _____ अवधि of Duration _____

अर्जित किया
having earned _____ क्रेडिट Credits at एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर NCrF/NSQF Level _____

प्रशिक्षण केन्द्र पर
at Training Centre _____

जिला
District _____ राज्य State _____ प्रतिशत/श्रेणी। with _____ division.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: _____ जारी करने की तिथि Date of Issue: _____

Logo

Logo of awarding body

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link
Digitally Generated Certificate

हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -
(incase of joint certification)

हस्ताक्षर Signature -
नाम Name -
पद Designation -

Annexure X

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Between

Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

GOVERNMENT OF INDIA

And

National Council for Vocational Education & Training for the

financial year 2024-25

I. PARTIES

The document elaborates an understanding between National Council for Vocational Education & Training (NCVET) notified by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship vide notification No.SD-17/113/2017-E&PW dated 05th December, 2018, subsuming the National Council for Vocational Training (NCVT)& National Skill Development Agency(NSDA),with the mandate to act as an overarching regulatory authority in Vocational Education & Training and Government of India (GOI), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

II. PURPOSE

As per Rule 229 (xi) of General Financial Rules 2017, an autonomous organization with a budgetary support of more than Rupees five crores per annum, should be required to enter in to a Memorandum of Understanding [hereinafter referred as ('MOU)]'with the Administrative Ministry or Department, spelling out clearly performance parameters, output targets in terms of details of programme of work and qualitative improvement in output, along-with commensurate input requirements. The output targets, given in measurable units of performance, should form the basis of budgetary support extended to these organizations. The road map for improved performance with clear milestones should form part of the MoU.

III. OBJECTIVES OF NCVET

1. The National Council of Vocational Education and Training (NCVET) has been established by Government of India as an Overarching National Regulator for setting standards and developing & implementing comprehensive regulations for the vocational education, training and skilling eco-system. The NCVET has been entrusted with the responsibilities of development, qualitative improvement and regulation of vocational education, training and skilling ecosystem including granting recognition to and monitoring the functioning of all awarding bodies, assessment agencies, skill information providers, training bodies and skill universities as its focus areas.

2. The functions and responsibilities of NCVET include recognition, ensuring discipline, de-recognizing and regulation of Awarding Bodies (ABs), Assessment Agencies (AAs) and Skill related Information Providers (SIPs). NCVET is also responsible for implementing the National Skills Qualification Framework (NSQF), maintaining the National Qualification Register (NQR), approval of the NSQF aligned Qualifications and National Occupational Standards (NOSs)under each

Qualification. Presently there are about 4300 NCVET approved Qualifications. As a comprehensive regulator NCVET is also responsible for monitoring, evaluation and supervision of recognized entities, and grievance redressal of the varied stakeholders. NCVET also establishes the regulations for Skill Universities with the approval of MSDE.

3. Various Sector Skill Councils in their role as Awarding Bodies, their training providers, the training institutions & bodies under various Central Ministries and State Governments involved in vocational education, training and skilling eco-system are also regulated and monitored by NCVET as awarding bodies, assessment agencies, training providers and skill information providers.

4. The National Council for Vocational Education and Training (NCVET)regulated skill ecosystem ensures strong industry interfacing, layered effective regulations for the varied stakeholders for improving outcomes, set standards for Awarding Bodies and Assessment Agencies.

5. Recognition and Regulation of Awarding body ecosystem and Assessment Agencies are the focus areas of NCVET considering the existence of multiple regulators and non-standardized norms leading to quality issues and poor outcomes of the training. The NCVET acts as an overarching regulatory body to integrate fragmented regulatory system and infuse quality assurance across the entire vocational training value chain, leading to strengthened outcomes and perform other incidental functions.

IV. FUNCTIONS OF NCVET

· Recognition and regulation of Awarding Bodies (ABs), Assessment Agencies (AAs) and Skill related Information Providers.

· Approval of qualifications as per the NSQF (National Skills Qualification Framework)

· Monitoring, Evaluation and Supervision of recognized entities.

· Grievance Redressal of the varied stakeholders.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
1	**Regulation Process**				
a)	Recognition & Regulation of **Awarding Bodies (ABs)** And Recognition & Regulation of **Assessment Agencies (AAs)**	• Development of mechanism and allocation of sectors for NCVET recognised AAs. • Engagement and onboarding of recognised AAs by ABs for conduct of assessments. • Revision of AB and AA Agreements • Development and notification of Guidelines for "Creditisation of Skilling & Training Courses & Qualifications of Multinational Companies (MNCs) and Leading Indian Enterprises"	• Development of comprehensive Awarding Body and Assessment Agency guidelines in alignment with NEP and National Credit Framework (NCrF) and National Skill Qualification Framework (NSQF) including recognition, regulation and monitoring aspects.	30 May 2024	No Financial Implication

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
b)	**Monitoring of Awarding Bodies and Assessment Agencies through** well- defined KPIs	• Templates developed and shared with ABs and AAs. for push method of data collection for monitoring on a quarterly and monthly basis respectively.	• automation of the entire data collection and processing through Digital Enterprise Portal. • Amendment in AB and AA Guidelines regarding monitoring of NCVET recognised ABs	August 2024	the financial cost involved has been catered in the Digital Enterprise Portal (DEP) under development. there is no additional financial implication anticipated as on date.
c)	**Rating and Grading** of NCVET Recognised Entities on monitoring parameters	N/A	• Mechanism of Rating and Grading is being developed in consultation with E&Y and is to be incorporated in the comprehensive revised AA Guidelines. • Automation of **Rating and Grading** of NCVET Recognised Entities on monitoring parameters	30th May 2024 30th August 2024	No Financial Implication. the financial cost involved has been catered in the Digital Enterprise Portal (DEP) under development. there is no financial implication.
d)	**Skill Certificate Repository:** Establish Skill Certificate Repository for all NCVET recognized Awarding Bodies	• Recognition of Awarding bodies is an ongoing process, and all the recognised ABs have been mandated to register with Digilocker, National e-Governance Division (NeGD). • To bring homogeneity and uniformity and ensure the authenticity of various types of long-term training and short-term training 17 Certificate templates listed below have been designed and got approved in the various NSQCs and also in the Council Meetings. • To obviate any pilferage in the issue of NCVET approved certificates, DG, DGT has been issued the CDR file of certificates for	• As the process of recognition is an ongoing dynamic process, all the ABs who get recognition in 2024-25 will be registered on Digilocker, National e-Governance Division (NeGD). • Ensuring compliance of issuance of all the certificates in the prescribed format through the council/NSQC approved certificate templates.	On Occurrence On occurrence and a continuous monitoring process.	As applicable No financial implication

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		various types of LTT and STT qualifications along with duly password protected explanatory notes. Similarly, certificates for all STT will be issued through SIDH for which NSDC has been made responsible and accordingly all the CDR files of STT certificates along with the explanatory notes have been given duly password protected to CEO NSDC for better accountability. The details of certificates are given below: • **DGT (LTT) certificate Templets** a) National Apprentice Certificate (NAC) b) National Trade Certificate (NTC) c) Dual System of Training under CTS **DGT: Short Term Training (STT) Certificates** a) Flexi MoU b) STT, CITS c) Skill Universities (Short term skilling) **NSDC: (STT) Certificates** a) University b) School Board c) Fresh Skilling d) National Occupational Standards (NOS) e) Micro Credential (MC) f) Upskilling g) Reskilling h) Recognition of Prior Learning (RPL) i) RPL with Upskilling j) Apprenticeship Programs **Armed Forces ABs** The mechanism for issue of certificates to all forces personnel by all three Try services is under formulation by the respective arms.	Review of the standing operating procedure (SOP) and streamlining issue of Skill certificates to the Armed Forces ABs	30th May 2024	No financial implication No financial implication

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
e)	**National Credit Framework**: A well-defined and robust credit framework for creditising the learning outcomes of academics and VETS qualifications after assessment thus enhancing the mobility within and out of VETS eco-system.	• The National Credit Framework has been formulated and notified by UGC on 10th April 2023 and adopted by NCVET on 12th May 2023. • Routine and regular workshops have been conducted to create Awareness on NCrF. • The Standard Operating Procedure (SOP)/ Operationalization of NCrF for school education, higher education and VETS has been formulated and approved by HLC. • Orientation workshops have been conducted for State Boards, providing handholding assistance as under: • National Conclave of School Education Board held on 16th and 17th June 2023 at Patna in Bihar, which was attended by 32 State Boards. • Foundational Learning Studies held on 4th November 22, at Vidya Bhavan, Vigyan Bhavan, New Delhi wherein all states and departments of state education boards attended. • Capacity Building Workshops organised in consultation with CBSE where in five webinars were held for different state school boards with representations from Heads of the School Boards and Principals of government and private schools. • Orientation session of States was conducted by NCVET starting with a few select states in a phased manner in consultation with MoE. In the first phase workshop was organized for following five states by NCVET: • Odisha • Madhya Pradesh. • Telangana • Andhra Pradesh	• Gazette Notification of SOP for NCrF in VETS • Implementation of the SOP for NCrF in VETS. • Continuation of the process of awareness and capacity building programs through physical and virtual conduct of workshops/webinars.	31st May 2024. Jun 2024 onwards Ongoing process	Travelling and dearness allowance as applicable within the laid down prescribed budget.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		• Jammu and Kashmir • An orientation workshop was held in physical mode with Telangana State Board of Secondary Education on 27th December 2023 and a meeting with officials of Telangana State Board of Intermediate Education on 28th Dec 2023.			
f)	**Grievance redressal mechanism**	• Guidelines has been successfully implemented through CPGRAM, and a proper communication channel has been established for queries and complaints	Need to automate Grievance redressal mechanism on digital enterprise portal (DEP) • .	30th June 2024	The financial cost involved has been catered in the Digital Enterprise Portal (DEP) under development. there is no additional expense anticipated.If need is felt the approval of the Council will be obtained and MSDE would be apprised accordingly.
g)	**Adoption of Qualifications/ NOSs** by Recognised ABs	• The guidelines for adoption of qualifications/ Nos have been notified on 22 February 2022. Adoption of qualifications by recognised Awarding bodies have commenced as per laid down policies and it has resulted in time and resource optimisation.	• Adoption of qualification by recognised awarding bodies is an ongoing process and will be processed on occurrence as per the need of the training in respective geographical locations by the concerned awarding bodies.	Ongoing & Dynamic Process. Each request would be processed within the stipulated period	There is no financial implication.
h)	**Standardization of Common Pool of NOSs**	• ES NOSs of 30, 60, 90 and 120 Hrs. for various levels of the qualifications were approved by NSQC. Subsequently, Rationalization exercise undertaken to incorporate NOSs in existing NSQF aligned and approved qualifications. • Employability Skills NOSs have been integrated in all the existing NSQF aligned	• ES/LS/SS is comprehensibly being revised to be tailor made as plug and play model to suit the genuine need of the target learners from basic, intermediate, advanced and higher education institution learners	September 2024.It would be run as a pilot in the institution for one year before finalization and would be uploaded on SIDH LMS portal, SWAYAM and	As per the e-GeM following QCBS process.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		and approved qualifications through rationalization of qualification process. • Comprehensive revision of Employability Skills, Soft skills and life skills to include higher order skills has been initiated	through PMU under SANKALP. • A total of 9 modules and 50 sub modules along with its model curriculum have been prepared through a committee constituted for the same. The content development is to be done through Content development agencies to be selected through e-GeM.	other govt LMS portal free of cost.	

i)	**Multiskilling & Cross-Sectoral qualifications**: SOP for Design Multiskilling & Cross- Sectoral qualifications and assessment	• The ABs were encouraged to submit the Multiskilling (MS) and Cross-Sectoral (CS) qualifications in their respective domain as per the NCVET Guidelines for Multiskilling & Cross-Sectoral qualifications.
		• Total Qualifications approved till date:
		  • Cross Sectoral - 59
		  • Multi Skilling - 84
		• Both - 11
			• ABs shall be encouraged to develop & submit more MS & CS Qualifications.	continuous ongoing process	No Financial Implication.

j)	**TOT & ToA** Guidelines	• Comprehensive Guidelines on ToT and ToA prepared with inputs from wide public consultation and notified on 01/02/24.	• Implementation of ToT Guidelines	Ongoing Activity	No Financial Implication.

k)	Mechanism for identification of **Future Skills** and Jobs requirements	• The future skills Qualifications (350 plus Qualifications) have been got developed by recognised Awarding Bodies NSQF aligned and approved. Summary of the sectors/sub sector wise qualifications is as follows:
		• Category and no of future Qualifications approved:
		  • 3-D printing - 11
		  • 5G/6G Technology -12
		  • EV/Automotive - 64
		  • IOT oblique IIT - 32
			• Framework for Recognition of Future Skills is being developed which will further make the process of identifying qualifications as future skills robust.		No Financial Implication.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		• Automation oblique RPA-30 • Cloud computing -17 • Electronic design -17 • AI, ML & data analysis analytics - 32 • Cyber security - 21 • AR/VR/ER -12 • Mechatronics - 05 • CAD/CAM - 10 • VLS design and nano technology - 07 • Health tech - 16 • Drone tech – 10. • Green hydrogen - 08 • Block chain - 09. • Biotechnology & bioinformatics - 02 • Sustainable agriculture - 02 • Miscellaneous - 62			
l)	Diploma Guidelines	• Guidelines for Diploma Qualifications in Vocational Education, Training & Skilling (VETS) has been developed and notified on 15/05/24. • 5 Diploma Course have been aligned and approved	• Recognised Awarding Bodies have been sensitized to develop more diploma qualifications and get them NSQF aligned and approved. • Provision has also been made to get individual standalone losses in the relevant field develop and NSQF aligned and approved which may be subsequently stacked to form a diploma qualification.	Ongoing Activity	No financial implication.
a)	Recognition of Awarding Bodies including Dual category Awarding Bodies and Assessment Agencies	• Signing of agreement with 92 ABs and 62 AAs. • As on 15/04/2024, 385 proposals were received and 360 have been processed.	• The LoI to the eligible & approved entities shall be issued and Agreements will be signed with the eligible & approved entities.	continuous and on-going process.	As per the Provisions of the guidelines, the prescribed fees will be submitted to the NCVET for the purpose of scrutiny and

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
					evaluation and the fee structure.
b)	Approval of new Qualifications aligned with NSQF by NSQC And alignment of exiting qualification with NSQF	• NSQC meetings are continuous and ongoing process. • 8 NSQC meetings have been conducted in the FY 2023-24 in which 802 Qualifications have been aligned to NSQF and approved. • The cleaning of NQR portal as a dynamic process has been undertaken and a total of 3577 qualifications have been archived so far, which includes 1057 qualifications archived in 2023-24	• Number of qualifications being approved on NSQC is a dynamic process and based on industry demand. • NQR portal is the official record keeping and public facing portal of NCVET to display NSQF aligned and approved qualifications of NCVET. • The archiving of qualifications is a ongoing process and periodic in nature.	NSQC is an ongoing process	No Financial Implication.
a)	Upgradation of NCVT Website add NQR portal.	• The revamped and upgraded version of the NCVET Website and the NQR Portal have been made live on 14.07.2023. • Advanced search parameters for searching qualifications have been enabled in the NQR Portal. • Login credentials made available to all the recognized ABs.	• Upgradation and maintenance of NCVET website and social media handles for harmonising the digital presence in accordance with the DBIM as per MeitY Guidelines.	On receipt of written communication from MeitY/MSDE	Approx. 10 lacs would be required for harmonization of the NCVET websites.
	Upgradation of NCVT Website add NQR portal.	• The revamped and upgraded version of the NCVET Website and the NQR Portal have been made live on 14.07.2023. • Advanced search parameters for searching qualifications have been enabled in the NQR Portal. • Login credentials made available to all the recognized ABs.	• Upgradation and maintenance of NCVET website and social media handles for harmonising the digital presence in accordance with the DBIM as per MeitY Guidelines.	On receipt of written communication from MeitY/MSDE	Approx. 10 lacs would be required for harmonization of the NCVET websites.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
b)	**NCVET Tech Platform: System Integrator for Development, mplementation and Maintenance Of Digital Enterprise Portal (Dep) For NCVET.** .	• Defining the scalable and flexible system architecture of the Portal has been completed. • Agency (TCS) has been selected through e-GeM for development of system integrator for the DEP. • The wire frame for process development for recognition of awarding body, assessment agency, process for grievance redressal have been completed.	• The wire frame for process development for qualification approval mechanism, monitoring and rating is under process. • Development and Testing of all DEP process. • Selection of cloud service provider.	• 30th May 2024. 31st July 2024. 30th May 2024.	An approx. estimate of 86 lacs per year (4.75 crores for 5 years including GST) has been projected by NICSI.
a)	Integration and embedding of VETS in Education	• Simplified, fast-track process for Recognising State Schools Boards as Awarding Body (Dual) undertaken. • Approval for recognizing INIs and central Universities as deemed awarding Body has been given in the 9th meeting of Council held in August 2023. EoI has been sent to 10 HEIs and LoR has been sent to CU-Tamil Nādu and NIT-Calicut. • Workshop and orientation capsule conducted with Various State School boards both physically and online. State School Boards and technical Boards have been sensitized and hand holding provided/being provided preparation and submission of application for Recognition as AB Dual. • Future Qualifications being introduced in School through PSSCIVE • 180 plus new age NSQF aligned and approved qualifications have been	• Recognition of ABs (including School Boards and Higher Education Institutions/Universities is a dynamic process and being done on routine basis. • Continuation of the Capacity Building and awareness workshops for all balance state school boards. • List of all future and MNC qualifications to be shared with educational institutions for implementation.	30th December 2024. 30th May 2024.	No Financial Implication.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		communicated to PSSCIVE after due consultation with concerned Awarding bodies for introducing in the school education. • SOP developed for development and integration of NSQF aligned Qualifications in SE and HE.	• Continuous identification and persuasion of NSQF aligned and approved qualifications.		
b)	Implementation of Indian languages in VET	• The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) is fully committed for use of Indian Languages in its day to day working. • Three (03) Hindi workshops were organized on 11.12.2023, 29.02.2024 & 27.03.2024 for the staff members of NCVET to promote the utilization of Rajbhasha Hindi in day to day working. • Hindi Pakhwada was organized in the month of September 2023 in which seven competitions were conducted. • Officers/employees participated enthusiastically in these competitions. • Four (04) quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were held in the National Council for Vocational Education and Training in June 2023, September 2023, December 2023 & March 2024. • All NCVET recognized Awarding Bodies /Assessment Agencies and other stakeholders in the skills ecosystem are also encouraged to promote the use of official languages/Indian languages in the Vocational Education, Training and Skilling sector. • All skill qualifications are being translated and uploaded on the National Qualifications Register (NQR) in a phased manner.	• Implementation of Indian languages in VET – to ensure availability of Qualification, Curricula, Training Material / modules and Assessment etc. in Indian Language for all the NSQF aligned and approved qualifications. • To promote use of Rajbhasha in NCVET and to achieve targets as prescribed by the Dept of Official Languages, Ministry of Home Affairs.	• Availability of Qualification , Curricula, Training Material / modules and Assessment etc. in Indian Languages for all the NSQF aligned and approved qualifications targeted to complete by October 2024. • The promotion of use of Rajbhasha in NCVET will be a continuous activity.	No Financial Implication.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION

		• Approx. 65 % qualifications have been translated in Hindi/Indian Languages and uploaded on the NQR.
		• All the qualifications are submitted in bilingual to the NSQC for approval w.e.f. 15th April 2023. 980 such qualifications have been approved by the NSQC after 15.04.2023 and all these qualifications were developed in bilingual i.e. English & Hindi/Indian Languages.
		• The Awarding Bodies/Submitting Bodies have been instructed to take the following action for promotion of use of Indian Languages in VET domain:
		  • To develop the qualifications in Hindi/other Indian Languages in addition to English.
		  • To ensure availability of Qualifications and related curricula in Hindi and other Indian Languages of the States, as per applicability.
		• Recruitment of Consultant-(Rajbhasha) from retired Govt employees was approved by the NCVET Council. The process of selection has been completed and one Consultant-(Rajbhasha) & one Hindi Typist (DEO) are working in NCVET as on date.
		• परिषद् की नई वेबसाइट द्विभाषी रूप में तैयार की गई है और इसमें एनसीवीईटी परिषद् की समस्त बैठकों के कार्यवृत्त, एनएसक्यूसी की समस्त बैठकों के कार्यवृत्त एवं कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमन एवं परिचालन हेतु एनसीवीईटी द्वारा जारी की गई समस्त नीतियां एवं दिशानिर्देश आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय कौशल नियामक (एनसीवीईटी) की वेबसाइट पर कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध
			• All the qualifications will be submitted to the NSQC for approval in bilingual i.e. English & Hindi/Indian Languages
			• One Consultant-(Rajbhasha) & One Hindi Typist/DEO are working in NCVET as on date.
				Continuous Process	

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		होने से हिंदी भाषी शिक्षुओं आदि को विशेष लाभ मिल रहा है और कौशल प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं। • महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती (11 दिसंबर) को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया गया और इस दौरान 'मेरी मातृभाषा-मेरे हस्ताक्षर अभियान', हिंदी कार्यशाला तथा बहुभाषी सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया। **'मेरी मातृभाषा मेरे हस्ताक्षर** अभियान' में परिषद् के सभी **कर्मचारियों ने अपनी-अपनी मातृभाषा में अपने हस्ताक्षर करने की मुहिम में बढ़-चढ़कर भाग लिया। हिंदी कार्यशाला में उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने राजभाषा की महत्ता के बारे में अपने विचार रखे और कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी उपबंधों की जानकारी दी। उन्होंने दैनिक काम-काज में राजभाषा के प्रयोग के महत्व को भी साझा किया। इस दौरान आयोजित बहुभाषी सांस्कृतिक कार्यक्रम** में कार्मिकों ने **09 राजभाषाओं-** पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, गढ़वाली और उड़िया **में** विभिन्न प्रस्तुतियां दीं।	वेबसाइट पर उपलब्ध हिंदी सामग्री को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।	Already recruited परिषद् की नई वेबसाइट द्विभाषी रूप में तैयार की गई है	
5.	**Admin and Finance matters**	**ACHIEVEMENT IN 2023-24**	**TARGET FOR 2024-25**	**Targeted Timeline**	**FINANCIAL IMPLICATION**
a)	Filling up Posts / Hiring of **Manpower**	Overall, NCVET has 29 sanctioned posts & 34 approved posts of Consultants (Technical) i.e Sr. Consultant-01 nos., Consultant Grade-II-05 nos., Consultants Grade-I-14 nos. and Young Professionals-14	Target to fill all the remaining vacant posts under all categories of posts 31st August (Regular/Technical/outsourced)	12 nos. of regular posts will be filed post revival by DoE, MoF through MSDE and a proposal in	• After selection of remaining Technical Consultants and filling of deputation posts, additional expenditure

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		nos. Out of these 29 sanctioned posts, 16 were filled up till the end of FY 2023-24 and the effort are on to fill up the remaining posts through deputation. In addition, against 34 approved posts of Consultants (Technical), 22 Consultants were in place.		this regard has been sent to MSDE and follow up has been made regularly. One vacant post of RA will be filed on deputation and the advertisement for the same will be issued post Lok Sabha Elections. Efforts will be made to fill the Vacant Post of Consultants (technical) post on priority in two phases as decided in the NCVET Council meeting held on 21 Feb 2024.	around Rs.1.77 crore (Approx.) will incur on their remuneration in Financial Year 2024-25. • The expenditure on deemed abolished posts will be assessed at RE stage after revival of these posts.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
b)	**NCVET Byelaws**	NA	In exercise of the powers conferred under paragraph 10 (1) & (6), 13 (1), 14 (2) of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India Notification dated 5th December 2018, the Council is required to frame bye- laws. The same is under preparation and shall be placed before the Council in the next meeting.	30th June 2024	nancial implications in this year.
c)	**Additional Civil/Electric/Furnishing work including functional Reception Constructed at 4th Floor, Kaushal Bhawan allotted to NCVET.**	NCVET has shifted to the new Location on 01st June 2023. Based on user specific requirements to accommodate the office staff and to ensure optimal operational functioning, NCVET had identified areas which required immediate modifications to align with office requirements and the same were intimated to NBCC/MSDE to carry out the suitable changes. After rigorous follow up, some of the works were completed by the NBCC. However, many of the civil, electrical, creation of functional reception, IT related work were pending, which hampered the smooth and efficient functioning of the NCVET (As per **List**). Some of the essential works required to make the office fully functional, which were not in the scope of NBCC and were not executed by	The remaining essential works are to be executed by following the due procedure under GFR/ GEM.	The balance pending infrastructure important work on the 4th floor Kaushal Bhawan will be completed by September 2024. All additional functional requirement will be completed on priority as and when the need arises.	All the additional functional requirement will be met following prescribed Rules and Procedures under GFR/GeM.

SL No	KEY FUNCTIONAL AREAS	ACHIEVEMENT IN 2023-24	TARGET FOR 2024-25	Targeted Timelines	FINANCIAL IMPLICATION
		NBCC, have already been executed by the Council as these were required to make the building functional.			
d)	**Procurement/ upgradation of IT Infrastructure** (Laptops, Computers, printers, etc, including Upgradation of the existing IT infrastructure)	Upgradation of existing infrastructure and procurement including additional infrastructure has been partially completed. Further, Procurement of the IT hardware as well as software is a continuous process and is being carried out on functional requirement basis.	NCVET council in its meeting held on 21st Feb 2024 increased the sanctioned strength from 24 to 34 in nos. Therefore, the additional requirement of IT peripherals will be processed accordingly as per functional requirement during the Financial Year 2024-25.	The items needed will be procured on need basis, during the process of filling up the vacancies arising.	Approx. 15 Lakhs for Procurement/ upgradation of IT Infrastructure (Laptops, Computers, printers, etc, including Upgradation of the existing IT infrastructure) including AMC and other incidental charges.

V. INPUT REQUIREMENTS

1. NCVET is headed by Chairperson, (Secretary to the Government of India level officer) and is supported by two Executive Members of the rank of Additional Secretary to the Government of India. Full time Chairperson and two Executive Members assumed charge on 16th April, 2021, post appointment by the ACC.

2. Additionally, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has conveyed the approval of Department of Expenditure for creation of 11 posts in NCVET i.e Director (04), Under Secretary/DD (03) and ASO (04) vide Order No.Sd- 17/113/2017-E-&PW(Pt.-3) dated 07.05.2019 Out of these, 04 posts of Director, 05 posts of Deputy Director and 01 post of PRO were filled on deputation.

3. As per MSDE notification dated 05thDec, 2018, "the NSDA with its existing manpower and sanctioned strength shall stand transferred to and form the nucleus for staffing the National Council for Vocational Education and Training." NSDA at that time had the sanctioned strength of 17 regular posts of which DG post has been upgraded to Chairperson, NCVET and 01 post of DDG, is not operative. At present NCVET has 29 sanctioned posts & 34 approved posts of Consultants (Technical) i.e Sr. Consultant-01 nos., Consultant Grade-II-05 nos., Consultants Grade-I-14 nos. and Young Professionals-14 nos.. The details including the sanctioned post along with the details of retired Consultant/outsourced manpower is at **Annexure**. Out of these 29 sanctioned posts, 16 were filled upto the end of FY 2023-24.

4. Although no financial implication has been shown against Policy issues (a large numbers) yet it involves recruitment of Officers on Deputation basis as well as engagement of large number of Consultants/ DEOs/ PS/ PA. This policy issues have financial implications indirectly. In view of the increased workload, the NCVET is making efforts to fill the remaining unfilled posts by deputation and taking steps to form the Recruitment Rules for the said posts.

VI. BUDGETS/ ACCOUNTS

a) Budget Outlay for the Financial Year 2024-25 at BE stage is Rs. 17.56 Crores i.e, Rs.11.96 Crores under Grants-in-aid-General and Rs.5.60 Crores under Grants-in-aid- Salaries.

b) Release of Grant-in-Aid shall be strictly as per provisions contained in GFRs and in Department of Expenditure's OM No. 7(1)/E. Coord/2012 dated 14.11.2012.

c) All financial irregularities which have been pointed out by the Audit and pursued by the Ministry (MSDE) should be taken care of and report should be furnished by NCVET.

VII. AUTONOMY TO NCVET

1. NCVET is a regulator in Skilling Ecosystem with a well-defined roles and responsibilities. To fulfil its obligations NCVET needs total autonomy in matter of creation of contractual posts, its day to day functioning, procurement/ outsourcing of services.

However, the service conditions of regular employees will be subject to approval of competent authority and to extent rules/orders of Govt. of India.

2. Except for the matters enumerated hereinbefore, the NCVET, being regulator in Skill Ecosystem, is competent to take decision in pursuance of Govt. of India orders issued from time to time. Where the Rules/Regulations of GoI are silent on any subject, the NCVET may take a decision with the approval of the NCVET Council.

3. As per Rule 229 (iv) of General Financial Rules, all autonomous organizations, new or already in existence should be encouraged to maximize generation of internal resources and eventually attain self-sufficiency.

VIII. PERIOD OF AGREEMENT

This MOU will be effective when signed by both parties, up to the end of the financial year 2023-24,i.e.Upto 31.3.2024. This MOU may be amended at any time by the mutual written consent of the Parties, if there is a variation in the output targets during the Financial Year.

IX. EXTENSION OF MOU

This MOU can be extended by agreement of both the Parties by mutual understanding/consent.

IN WITNESS where of the Parties hereto have caused this MOU to be signed on (date)_____, between the National Council for Vocational Education and Training (NCVET) and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, at New Delhi.

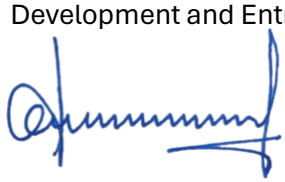

Signature Signature

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF **National Council for Vocational Education and Training, New Delhi**	SIGNED FOR AND ON BEHALF OF **The Government of India, Ministry of skill Development and Entrepreneurship, New Delhi**
Date:	**Date:**
Venue:	**Venue:**